लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation 18-6-92
Fumigated 26.12.85
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया | Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22—बुधवार, 15 सितम्बर, 1965/24 भाद्र, 1887 (शक)

No.—22 *Wednesday, September* 15, 1965/*Bhadra*, 24, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
629	विज्ञान शिक्षा	Science Education . . .	2197–99
630	नेफा का प्रशासन	Administration of N. E. F. A. .	2200–05
631	नये विश्वविद्यालय	New Universities .	2205
632	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Offices	2205–08
633	जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूस	Pakistani Spies in Jammu and Kashmir . . .	2208–13
634	विश्वविद्यालयों में प्रवेश	Admission to Universities .	2213–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
635	बुनियादी रसायन तैयार करने के लिये जर्मन फर्मों से समझौता	Agreement with German Firms for manufacture of Basic Chemicals	2215
636	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन	University Grants Commission's Report	2215–16
637	बम्बई के निकट पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex near Bombay	2216
638	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में पद	Posts in National Laboratories .	2216
639	रूस से आयात डीजल तेल	Diesel Oil imported from Russia	2216–17
640	पाकिस्तान जाने वाले सेवा निवृत्त अधिकारी	Retired Officers going to Pakistan	2217
641	पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध व्यक्ति	Raid in the Premises of Persons connected with Punjab National Bank . . .	2218
642	आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाना	Fencing of Assam-East Pakistan Border	2218

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

—35 L. S./65

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
643	राष्ट्र गान	National Anthem .	2218
644	वीर सावरकर	Veer Savarkar	218–19
645	विश्वविद्यालय तथा कालिज अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay Scales of Universities and College Teachers . .	2219
646	लाटीटीला-दूमाबाड़ी क्षेत्र से निष्कासित परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of families evacuated from Lathitilla—Dumabari Sector	2219–20
647	गैर-सरकारी इंजीनियरी कालिज	Private Engineering Colleges .	2220
648	वामपंथी कम्यूनिस्ट	Left Communists	2220–21
649	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	2221
650	बिहार में पैट्रो-रसायन उद्योगसमूह	Petro-chemical complex in Bihar.	2221
651	दिल्ली में विधि संबंधी प्रयोगशाला	Forensic Laboratory in Delhi .	2222
652	तटवर्ती तेलशोधक कारखानों में पैट्रोलियम का उत्पादन	Petroleum Production in Coastal Refineries	2222
653	गुरु गोविन्द सिंह का 300 वां जन्म दिवस	Birthday of Guru Gobind Singh.	2222
654	नगर सुरक्षा	Civil Defence . .	2223
655	जन शक्ति सम्बन्धी आवश्यकतायें	Manpower Requirements . .	2223
656	बर्मा आयल कम्पनी	Burmah Oil Company . .	2224
657	राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central Universities in States .	2224–25
658	गोआ का भविष्य	Future of Goa	2225

अता० प्र० सं०

U. Q. Nos.

2138	स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये भारत का इतिहास	History of India for School Children	2225
2139	नंदमबाकम में शल्य चिकित्सा औजार कारखाना	Surgical Instruments Project at Nanambakam . . .	2225
2140	केरल में पुलिस की ज्यादतियां	Police Excesses in Kerala . .	2226
2141	केरल में चालियार नदी के पानी का दूषित हो जाना	Water Contamination in Challiyar River, Kerala . . .	2226
2142	थोतड़ पालिटैक्निक	Thotada Polytechnic . .	2226–27
2143	केरल में नगरपालिका कर्मचारियों सम्बन्धी नियम	Municipal Staff Rules in Kerala	2227
2144	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Migrants from East Pakistan . .	2227

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2145	प्रशासनिक समस्यायें	Administrative Problems	2227–28
2146	नशाबन्दी	Prohibition	2228–29
2147	सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Government Employees	2229
2148	खजुराहो मन्दिर	Khajuraho Temple	2229
2149	कतिपय विश्वविद्यालयों में काम करने के दिन	Working Days in certain Universities	2229
2150	विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़	Clash with Naga Hostiles	2230
2151	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नतियां	Promotions of C. S. S. Officers	2230
2152	अग्रता-प्राप्त शिक्षा परियोजनायें	Priority Education Projects	2230–31
2153	नवीन अखिल भारतीय सेवायें	New All India Services	2231
2154	बिहार विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में रमन समिति का प्रतिवेदन	Raman Committee's Report on Bihar University	2231
2155	केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समय की पाबन्दी	Punctually in Central Sectt. and Central Govt. Offices	2231–32
2156	साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले समाचारपत्र	Newspapers spreading Communal Tension	2232
2157	उत्तर प्रदेश में स्मारकों का परिरक्षण	Preservation of Monuments in U.P.	223
2158	उत्तर प्रदेश के स्कूलों तथा कालिजों के लिये दर्शक कक्ष (औडिटोरिया)	Auditoria in U. P. Schools and Colleges	2233
2159	उत्तर प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों की केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति	U. P. Government Officers on deputation in Central Government	2233
2160	पश्चिम बंगाल के देहातों में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pakistani Trespass into West Bengal Villages	2233–34
2161	गुंडागर्दी की समस्या	Gonda Problem	2234
2162	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का स्ट्रक्चरल इंजीनिरिंग अनुसन्धान केन्द्र	Structural Engineering Research Centre of the C.S. I. R.	2234
2163	कुमारी मृदुला साराभाई	Kumari Mridula Sarabhai	2234–35
2164	नौगां गांव (काश्मीर) में दहनशील तरल पदार्थ	Combustible Liquid in Nowgang Village (Kashmir)	2235
2165	राजधानी में जेब कटने की घटनायें	Pick-pocketing in Capital	2235–36

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2166	लाटरियें	Lotteries	2236
2167	पुलिस द्वारा गोली चलायें जाने से सम्बन्धित नियम	Rules on Police Firing .	2236–37
2168	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Units . . .	2237
2169	दिल्ली के न्यायालयों में निर्णयों की प्रतियों के दिये जाने में विलम्ब	Delay in the Supply of copies of Judgements in Delhi Courts .	2237
2170	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में प्रशासनिक पद	Administrative Posts in C. S. I.R.	2237
2171	योग्यता छात्रवृत्तियां	Merit Scholarships .	2238
2172	गंगानगर रेलवे स्टेशन के निकट एक गोले का गिरना	Fall of a Shell near Ganganagar Railway Station . . .	2238
2173	देश में अपराध की स्थिति	Crime Situation in the country .	2238–39
2174	मध्य प्रदेश के स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई	Teaching of Science in Madhya Pradesh Schools . . .	2239
2175	दिल्ली में भूमि के दाम	Land Price in Delhi .	2239–40
2176	विशेष सचिवों के पद	Posts of Special Secretaries	2240
2177	भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists . .	2240–41
2179	कार्बन ब्लैक गैस और अमोनिया	Carbon Black Gas and Ammonia	2241
2180	दण्डकारण्य में दुग्धशाला और लकड़ी के काम का उपयोग	Dairy Farm and Wood work Complex at Dandakaranya .	2241–42
2181	सीमान्त सड़कों का निर्माण	Construction of Border Roads .	2242
2182	"पायनियर" लखनऊ में प्रकाशित गोआ का मानचित्र	Map of Goa Published in 'Pioneer' Lucknow . . .	2242
2183	वाराणसी के निकट खुदाई	Excavations near Varanasi	2242
2184	निकोबारी गोले का मूल्य	Price of Nicobarese Copra	2242–43
2185	नाडिया जिले (पश्चिम बंगाल) में जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Spies in Nadia District (West Bengal) . . .	2243
2186	पुलिस तथा जनता के बीच सम्पर्क	Relations between Police and Public	2243
2187	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा सीमेंट के लिये बनाया गया प्रायोगिक संयंत्र	Pilot Plant for Cement Designed by C. S. I. R. . .	2243–44
2188	कोट्टोयूर देवास्वम	Kottiyoor Devaswom .	2244
2189	बम्बई के औद्योगिक सार्थों में काम करने वाले पठान	Pathans working in Industrial concerns in Bombay . .	2244–45

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2190	सरकारी उपक्रमों में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये पदों का अभ्यंश	Quota for S. Cs. and S. Ts. in Public Undertakings . .	2245
2191	भारत में नजरबन्द चीनी राष्ट्रजन	Chinese Nationals under Detention in India	2245-46
2192	दिल्ली प्रशासन के मोटर गाड़ी निरीक्षकों के निवास स्थानों पर छापे	Raids on Residences of Motor Vehicle Inspectors under Delhi Administration	2246
2193	दिल्ली में एक नाबालिग लड़की का अपहरण	Kidnapping of a Minor Girl in Delhi	2246
2194	भारतीय उच्च शिक्षा संस्था	Indian Institute of Advanced Studies	2247
2195	दिल्ली में स्कूलों के पाठ्यक्रम	School Course in Delhi . .	2247
2196	अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay Scales of Teachers	2247-48
2197	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के लिये परिव्यय	Outlay for C.S.I.R.	2248
2198	प्रोटीन तैयार करने के लिये प्रायोगिक संयंत्र	Pilot Palnt for Manufacture of Protein	2248-49
2199	चैकोस्लोवाकिया के साथ सांस्कृतिक करार	Cultural Agreement with Czechoslovakia	2249
2200	रिहायश सम्बन्धी पाबन्दियां	Domiciliary Restrictions	2249
2201	गोपनीय रिपोर्ट	Confidential Reports .	2249-50
2202	एनड्रिन परियोजना	Endrin Project .	2250
2203	अध्यापकों की शिकायतें	Teachers' Grievances	2250
2204	गोआ के नागरिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Goans . .	2251
2205	राजनयिक स्वागत समारोहों में भाग लेने के बारे में जूनियर अधिकारियों के लिये संहिता	Code for Junior Officers for Attending Diplomatic Receiptions .	2251
2206	वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता	West German Assistance for Scientific Research	2251
2207	दिल्ली में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistanis in Delhi	2251
2208	दिल्ली में अनाज व्यापारियों पर आरोप लगाना	Charge-sheeting of Grain Dealers Delhi	2252
2209	दिल्ली में अनाज व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Grain Dealers in Delhi	2252
2210	दिल्ली में गुण्डे	Goondas in Delhi	2253

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2212	अफ्रीकी लोगों के लिये शिक्षा संबंधी सुविधायें	Educational Facilities to Africans	2253
2213	कारों तथा स्कूटरों की चोरी	Theft of Cars and Scooters	2253
2214	उत्तर प्रदेश को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान	Grants to U. P. for Primary and Secondary Education	2254
2215	पांडिचेरी में सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम	Pay Scales of Government Employees in Pondicherry	2254
2216	मसूर में तेल शोधन कारखाना	Oil Refinery in Mysore	2254
2217	तिहाड़ सेन्ट्रल जेल दिल्ली	Tihar Central Jail, Delhi	2255
2218	ट्रावंकोर देवास्वम बोर्ड कर्मचारी	Travancore Devaswom Board Employees	2255
2219	प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज, आसाम	Regional Engineering College, Assam	2255
2220	एशियाई शिक्षा-शास्त्रियों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम	Study Course for Asian Educationists	2256
2221	साधना चिट फण्ड	Sadhana Chit Fund	2256
2222	विदेशों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के विद्यार्थी	Students from M. P. Studying Abroad	2256
2223	केरल में एक पुराने कब्रिस्तान की खोज	Discovery of an Old Cementery in Kerala	2257
2224	गोहाटी तेल शोधक कारखाने की गैस	Gauhati Refinery Gas	2257
2225	दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर बनाना	Promotion of S. C. & S. T. Head Constables as Assistant Sub-Inspector of Police in Delhi	2257
2226	मिट्टी के तेल के भाव में वृद्धि	Rise in Price of Kerosene	2257
2227	दिल्ली नगर निगम के चुनाव	Elections to D.M.C.	2258
2228	भारत में पाकिस्तान-समर्थक मुसलमान	Pro-Pak Muslis in India	2258
2229	युद्ध सेवा कर्मचारियों को पेंशन	Pension to War Service Personnel	2258-59
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	जकार्ता में 'एयर इंडिया' के कार्यालय पर हमला	Attack on Air India Office at Jakarta	2259-64

अता० प्र० सं० U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2264
	विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	2264
	1 केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965;	1. Kerala Appropriation (No. 3) Bill 1965; . .	2264
	2 केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965;	2. Kerala Appropriation (No. 4) Bill 1965; . .	2265
	3 विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965	3. Appropriation (No. 3) Bill 1965; . . .	2265
	4 विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965;	4. Appropriation (No. 4) Bill 1965; . . .	2265–66
	5 विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1965—	5. Appropriation (Railways) No. 3 Bill 1965 and .	2266
	6 विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1965	6. Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1965 .	2266
	भाण्डागारण निगम (अनुपूरक) विधेयक—	Ware housing Corporations (Supplementary) Bill . . .	2267–68
	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार	Consideration of Rajya Sabha Amendments	
	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव—	Motion to agree to Rajya Sabha Amendments— . . .	2268
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	2268
	श्री दा० रा० चव्हाण	Shri D. R. Chavan . .	2268
	जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक—	Life Insurance Corporation (Amendment) Bill . . .	2269
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider— .	
	श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	2269
	श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	2269–70
	श्री दाजी	Shri Daji . . .	2270–71
	श्री सुब्बारामन	Shri Subbaraman .	2271
	श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	2271–72
	श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav .	2272
	श्री सोनावने	Shri Sonavane . .	2272
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	2272–73
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	2273
	श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	2274
	डा० मा० श्री अणे	Dr. M. S. Aney . . .	2274
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	2274–75
	श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	2275
	डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	2275
	खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 . .	
	पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass— . . .	
	श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . .	2276–77

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
कोयला खान भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनायें (संशोधन) विधेयक—	Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes (Amendment) Bill—	2278
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider— . .	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao .. .	2278–79
श्री मुहम्मद इलियास	Shri Mahammad Elias	2279–80
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsinghka	2280
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	2280–81
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	2281
श्री बड़े	Shri Bade .	2281
श्री काशीनाथ पांडे	Shri K. N. Pande .	2281–82
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	2282
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	2282
श्री वारियर	Shri Warior	2282–83
तेल सम्बन्धी नीति पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re : Statement on Oil Policy—	2283
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah	2283
श्री मं० रं० कृष्ण	Shri M. R. Krishna .	2283–84
श्री के० दे० मालवीय	Shri K. D. Malaviya .	2284
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir	2284–88
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	2288

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 15 सितम्बर, 1965/24 भाद्र, 1887 (शक)

Wednesday, September 15, 1965/Bhadra 24, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे।**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विज्ञान शिक्षा

***629. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो व्यय तथा क्रियान्वित करने की अवधि सहित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : चौथी आयोजना के लिए योजनाओं की तैयारी तथा जांच की जा रही है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी कई कदम उठाए गए हैं जैसा कि विज्ञान प्रयोगशालाओं को शक्तिशाली बनाना, माध्यमिक, स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर विज्ञान शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा नवीकरण पाठ्यक्रम, आदर्श पाठ्यचर्या व पाठ्य-पुस्तिका का निर्माण अग्रिम अध्ययन के केन्द्रों का संस्थापन आदि।

श्री प्र० चं० बरुआ : यद्यपि विज्ञान का ज्ञान सभी तकनीकी तथा व्यवसायी शिक्षा के लिये अत्यावश्यक है, तब भी इस देश के 80 प्रतिशत छात्रों को वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाएं नहीं दी जातीं। इसको ध्यान में रखते हुए, क्या कम से कम माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान को एक अनिवार्य विषय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ?

श्री सौन्दरम रामचन्द्रन : अब भी विज्ञान एक अनिवार्य विषय है, और विज्ञान के अध्यापन और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि विभिन्न स्कूलों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राधिकार द्वारा विज्ञान की ऐसी पाठ्य-पुस्तकें प्रयोग में लाई जाती हैं जिनका स्तर बहुत नीचा होता है जिससे विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है, और यदि हां, तो क्या सरकार के सामने अच्छे स्तर की वैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकें जारी करने और वैज्ञानिक शब्दों के मानकीकरण का कोई प्रस्ताव है ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : यह योजना शिक्षा तथा प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय अनुसन्धान परिषद् को सौंपा गया है ताकि वह एक ऐसी आदर्श वैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तक का प्रारूप तैयार कर सके और इससे विभिन्न भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों का भी मानकीकरण हो सकेगा।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : प्रस्तावित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का इस योजना को सफल बनाने में क्या योग होगा ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : यह एक पृथक् प्रश्न है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैज्ञानिक शिक्षा की बुनियाद केवल अनुसन्धान पर ही रखी जा सकती है, सरकार ने किन कारणवश वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अनुदान में कमी की ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : इसपर अलग से एक प्रश्न है। वर्तमान प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

श्री बासप्पा : क्या विज्ञान शिक्षा को मज़बूत संबंधी योजना में 'यूनिस्को' अथवा यूनिसेफ से कोई अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने की बात शामिल है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : 'यूनिसेफ' और 'यूजएड' से हम सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापकों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिये ग्रीष्म संस्थान चलाने के लिये हम इस सहायता का समन्वय यू० जी० सी० से भी कर रहे हैं।

श्री श्याम लाल सराफ : क्या देश में शिक्षा के स्तर पर, अनुसन्धान के स्तर पर तथा प्रयोगशालाओं के स्तर पर एक प्रभावशाली वज्ञानिक वातावरण पैदा करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : इस प्रश्न का मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्ध है। हम एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं, मिडल कक्षाओं तथा माध्यमिक कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाना चाहिये। इसमें न केवल शिक्षा के पहलू पर ही जोर दिया गया है अपितु यह व्यवहारिक भी है। यही कारण है कि इस योजना के अन्तर्गत हम माध्यमिक स्कूलों की भी लगभग सभी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को मज़बूत बना रहे हैं।

श्री वारियर : क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है कि क्या हमारी वैज्ञानिक शिक्षा निचले स्तर की है ? अथवा उसका स्तर उतना ही ऊंचा है जितना कि सबसे विकसित विदेशी वैज्ञानिक शिक्षा का ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : हम वर्तमान स्तरों से संतुष्ट नहीं हैं। यही कारण है कि हम अपने माध्यमिक स्कूलों में वैज्ञानिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये सब कदम उठा रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार यह जानती है कि भौतिक विज्ञान के आधारभूत नियमों तथा वास्तविकता के हिन्दु दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करने से कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन आ जायेगा ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है। (हंसी) यह हंसने की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न की बजाये यह सब लेख के लिये अधिक अच्छा है।

Shri Yashpal Singh : What will be its practical shape? At how many places research is being carried on regarding earthquake and the extent to which success has been achieved so far? What is the come out of the research which is being carried on for the last four years in the Roorkie University.

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : माध्यमिक शिक्षा से इसका कोई संबंध नही है।

श्री कपूर सिंह : ऐसे प्रश्न किये जाते हैं जिनका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं होता और एक घंटे का सारा समय इस प्रकार समाप्त हो जायेगा।

Shri Yashpal Singh : Does it not come under the Scientific research? If the scientific research cannot yield us practical benefits, what is the use of th at research?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह प्रश्न बहुत व्यापक प्रतीत होता है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री केवल माध्यमिक शिक्षा के बारे में ही बोलने पर इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं। प्रश्न देश में वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंध रखता है। क्या माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात लाई गई है कि विभाजन पूर्व सभी कालिजों में विज्ञान की प्रयोग शालाओं तथा विज्ञान के थियेट्रो का पूरा इन्तजाम था, जबकि विभाजन के पश्चात, हमारे शान्ति ग्रहण करने के पश्चात देश भर में बड़ी संख्या में जो नये डिग्री कालिज खुले हैं उनमें थियेट्रों और प्रयोगशालाओं की कमी है? क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सरकारने कोई ठोस कदम उठाये है कि पिछले समय के कालिजों की तरह इन कालिजों में भी विज्ञान की प्रयोगशालाओं और थियेट्रों की व्यवस्था की जाये?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : मैंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से ये ग्रीष्म संस्थान चलाये जा रहे है, यद्यपि बल माध्यमिक शिक्षा पर हैं। परन्तु यह मैं मानती हूं कि इस प्रश्न का क्षेत्र व्यापक है। इसीलिये मैंने कहा कि अमरिकी सहायता से हम विश्वविद्यालयों में विज्ञान के अध्यापन में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु चूंकि विश्वविद्यालय की शिक्षा पृथक हैं, मैं उस भाग का उत्तर नहीं दे रही हूं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have Government made a study of the aeronautic 'Sukta' of 8th Mandal of aeronautics and 'Rig' Veda written by Muni Bhardwaj in which it is mentioned that an aircraft can be fed with Petrol by mercury? Has any thought been given to it?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कपूर सिंह : इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। उन्हें उत्तर देने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामान्य शिक्षा है।

श्री राम सेवक यादव : वह उत्तर देने के लिये तैयार है।

डा० चन्द्रभान सिंह : यदि सरकार वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक की कई प्रगति से संतुष्ट नही हैं, तो क्या वह वैज्ञानिक शिक्षा के मंत्रालय को फिर से स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : यह मेरे कहने के लिये नहीं है।

नेफा का प्रशासन

+

*630 **श्री स० चं० सामन्त :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आसाम के बहुत से लोगों ने सुझाव दिया है कि नेफा का प्रशासन आसाम सरकार के हाथ में होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) बहुत देर से ऐसा कोई सुझाव नही आया ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या आसाम सरकार ने कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया है क्योंकि दोनों सीमा पर हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : जी नहीं, हाल ही में आसाम सरकार से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जब श्री पाटसकर की सिफारिशें आयेंगी तो क्या सरकार उनको क्रियान्वित करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें आने तो दीजिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : हां, उनकी सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

Shri M. L. Dwivedi : If the hon. Deputy Minister had seen the papers regarding the separation of Nefa administration, he would have known that the idea of separating the administration of Nefa was to have balanced development of Nefa and as the development takes place it would be merged into the administration of Assam. Have Government changed its decision, if not, why efforts are not being made to merge Nefa administration into Assam?

Shri L. N. Mishra : At present Nefa is separate from Assam and it is under Home Ministry. Its Governor is working in the capacity of an agent of the President. He runs the administration with the help of his adviser and 4-5 secretaries. As regards the development of that place, we want that there should be rapid development of that place. We want to bring changes in the administrative system also of that place and we have brought changes. I want to draw the attention of the hon. Members to the Report of the Erring Committee, who has recommended that some changes should be brought there, particularly Anchal Committee Gram Panchayat and Zila Parishad etc., should be started. We want to do that.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हाल ही में सरकार को नेफा और आसाम के लिये एक सामूहिक सेवा संवर्ग स्थापित करने के लिये सुझाव दिया गया था और यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । हम नेफा के लिये भी संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग चाहते हैं, परन्तु वह विधि मंत्रालय के विचाराधिन है ।

श्री दी० चं० शर्मा : तृतीय योजना में नेफा के लिये कितना धन आवंटित किया गया था, और क्या इस संबंध में नेफा में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हुई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

Shri Bhagwat Jha Azad : This question is under consideration fo r the last so many years. Just now the hon. Deputy Minister said that it is pro posed to set up Panchayati Raj in Nefa. Should we take it in view of this that Go vern-ment is considering to merge Nefa into Assam?

Shri L. N. Mishra : As regards the merging of Nefa into Assam, we will have to take into account the reactions of residents of Nefa. We can do some thing only by keeping that in view. We want to bring the administration of that place in the level of administration of the rest of the country and we are doing that. For example we have given the name of "Deputy Commissioner" to "Po litical Officer" and "District" to "Frontier Division". Before merging into Nefa. we will have to take into account the wishes of the Nefa people.

Shri Prakash Vir Shastri : At present the handful of persons of the border State of Assam have been dissected into three parts : Assam, Nefa and Nagaland. This has given rise to the separating tendencies and that is why the people of Mizo hills are demanding a separate State. Will Government decide if not now sometime later to unite all these areas with views to repress such like tendencies?

Shri L. N. Mishra : This suggestion is very good, but the time is not oppro-tune.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार नेफा के लोगों को आसाम विधान सभा में प्रतिनिधित्व देना चाहती है ताकि उनको हमारी संसदीय प्रणाली के दुःख और सुख का कुछ अनुभव हो इसके और नेफा और आसाम के एकीकरण की दिशा में सांवैधानिक उपबन्ध को क्रियान्वित किया जा सके ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है । हम उसकी जांच करने का प्रयत्न करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Deputy Minister told that he is going to set up Panchayati Raj in Nefa. By what time Government will begin this work so as to enable the people of that place to understand the whole working and prepare for merger into Assam?

Shri L. N. Mishra : We are not doing this for the merger of Nefa into Assam. I want to make it clear we should not put those people under the misapprehension that we want to merge them against their will into Assam. This intention we never had nor we have now. The former Prime Minister had also made it clear that the people of Nefa will not be put anywhere against their will. We are setting up Gram Panchayats not for the merger of Nefa into Assam but with view that the people of that place should have their right in the administration of that place.

Shri Tulsidas Jadhav : By keeping Nefa separate from Assam the people of that place entertain the feeling of solution. Why they are not merged into Assam so that the feelings of integration is created in them?

Shri L. N. Mishra : This very thing Shri Prakash Vir Shastri said. Inte-gration is good but the question is what is the reaction of the people of that place. Slowly and slowly we are launching programmes of coordination with other

areas. Our students come and go there. A team of medical College students had gone there. They met the people of that place. In this way mutual association is on the increase. This work can be done slowly and not by thrusting.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या योजना आयोग ने राज्यों को चतुर्थ योजना में और अधिक विश्वविद्यालय स्थापित न करने का सुझाव इसलिये दिया है कि यह उनकी तीव्र इच्छा थी कि हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों के स्तरों में सुधार हो अथवा इसलिये कि उनको बाध्य होकर यह निर्णय करना पड़ा है क्योंकि इस प्रयोजन के लिये उनके पास निधियों की कमी है ?

श्री हजरनवीस : मैं समझता हूं कि उनके निर्णय का आधार शायद ये दोनों ही बातें थीं। परन्तु मैं समझता हूं कि मुख्य रूप से उनका विचार यह है कि नये विश्वविद्यालय खोलने से पहले यह आवश्यक है कि वर्तमान संस्थाओं के स्तर को ऊंचा किया जाये।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि गत चार या पांच वर्षों से कुछ राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन अथवा मंजूरी के प्राप्त किये बिना ही नये विश्वविद्यालय खोले हैं और यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं और क्या कारण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनको बाद में स्वीकृति दे दी।

श्री हजरनवीस : मेरे पास इन बातों का ब्योरा नहीं है। मेरा विश्वास है कि कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें राज्य सरकारों ने आयोग की सलाह को नहीं माना है। मेरे पास इसका ब्योरा नहीं है; परन्तु निश्चय ही यदि माननीय सदस्य को यह जानकारी चाहिये तो मैं इसे उनको दे दूंगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करता है कि ये सभी सिफारिशें प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित की जाती हैं और यदि नहीं की जाती हैं तो कुछ दाण्डिक कार्यवाही भी की जा सकती है ? गल्तियाँ देखने के बावजूद भी इस अधिनियम को विभिन्न विश्वविद्यालयों पर लागू क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री हजरनवीस : मैं नहीं समझता कि शब्द "दाण्डिक कार्यवाही" इस संदर्भ में उचित होगा क्योंकि वह तो केवल इतना ही कर. . .

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दाण्डिक कार्यवाही का अर्थ है अनुदानों का बन्द किया जाना।

श्री हजरनवीस : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की जानकारी उनको मिलने के पश्चात यदि विश्वविद्यालय उनको क्रियान्वित नहीं करता है, तो केवल यही किया जा सकता है कि अनुदानों को बन्द किया जाये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में दाण्डिक कार्यवाही उचित नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : दो प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह केवल स्पष्टीकरण है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गल्तियों का पता चलता है तो वह विश्वविद्यालय को सूचना दे सकता है और जो सहायता दी जाती थी उसे बन्द कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने कह दिया है। श्री शिवनंजप्पा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन्होंने यह कहा है कि वे कोई दाण्डिक कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री शिवनंजप्पा : क्या बंगलौर विश्वविद्यालय को चलाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूर्व समर्थन प्राप्त है ?

श्री हजरनवीस : इसका अनुमोदन किया गया था।

Shri D. N. Tiwary : This statement states the circumstances in which new Universities can be set up. May I know whether any State Government have applied to U.G.C. or the Central Government under those circustances for setting up new university in the 4th Five Year Plan?

Shri Hajarnavis : So far as I know, no State Government have sent a suggestion for the setting up of a new University in the Fourth Plan. But as I said U.G.C. has been requested not to set up new university in the 4th Plan as far as possible.

श्री जसवन्त मेहता : योजना आयोग के इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए कि चतुर्थ योजना में कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाये, उन विश्वविद्यालयों के संबंध में क्या स्थिति है जिनकी मंजूरी तृतीय योजना में दी गई थी और जिन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ? इस मामले में सरकार की क्या नीति होगी ?

श्री हजरनवीस : जो मंजूरियाँ पहले से दी जा चुकी हैं वे लागू रहेंगी।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या इन सिफारिशों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिये दक्षिण में नये विश्वविद्यालय अथवा ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने पर रोक लग जायेगी ?

श्री हजरनवीस : यह प्रश्न इस प्रश्न से पैदा नहीं होता, परन्तु विश्वविद्यालय का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa : What amount has been granted by U.G.C. for the Nehru University which is going to be set up in Delhi?

Shri Hajarnavis : The money has not been granted so far. A bill in this connection will be brought before the House and the House will have all the details, when the bill is discussed.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में 3 और विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

श्री हजरनवीस : उत्तर प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय स्थापित करने के सुझाव प्राप्त हुये थे—वे हैं कानपुर और मेरठ। नैनीताल में भी एक विश्वविद्यालय बनाये जाने का एक सुझाव था।

श्री स० मो० बनर्जी : इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है यह तो बताया ही नहीं गया।

श्री हजरनवीस : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कानपुर तथा मेरठ में विश्वविद्यालय स्थापित करना मान लिया है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अवधि में विश्वविद्यालयों का स्थान लेने वाले इन केन्द्रों का गठन तथा रूपरेखा क्या होगी ?

श्री हजरनवीस : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय केन्द्रों को विश्वविद्यालयों का स्थान देने का कोई मनोरथ नहीं है। वास्तव में विचार यह है कि जहां विश्वविद्यालय स्थापित हो उस स्थान को पहले एक विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये ताकि वहां पहले एक अच्छा पुस्तकालय और प्रयोगशाला बन जाये और तब वहां स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये उचित संख्या में तथा प्रवीण प्राध्यापक हों। यह सब सम्भव होने के चार अथवा पांच वर्ष पश्चात जब अनुभव प्राप्त हो जाये तभी वह स्थान विकास करके एक विश्वविद्यालय के योग्य बन सकता है।

डा० मा० श्री० अणे : क्या नये विश्वविद्यालय स्थापित न करने का आदेश कृषि विश्वविद्यालयों पर भी लागू होता है जिन की बड़ी मांग की जा रही है ?

श्री हजरनवीस : मैं इसका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दे सकता परन्तु मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। परन्तु हो सकता है कि किसी कृषि अथवा तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले में उनकी मांग के अत्यावश्यक होने के कारण अपवाद मानकर ऐसा कर दिया जाये।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या बिहार राज्य की सरकार की ओर से वहां एक भोजपुरी विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हजरनवीस : मेरी जानकारी के अनुसार तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Raghunath Singh : In view of the Government's policy to spread education as much as possible and the ever increasing number of students, whether Government have considered the policy of the Planning Commission not to allow any new University to be established and may I know what arrangement will be made for future students?

Shri Hajarnavis : Both these objectives are kept in view. For the present, the standard of present education should be raised as also the number of students. But due to limited financial resources, these objectives are being tried to be realised as far as possible.

Shri Bhagwat Jha Azad : The statement shows that the whereas Planning Commission has recommended to the States not to create new Universities; the University Grants Commission has made no such recommendation. I want to know whether it is due to the negative attitude of Government or whether the intention behind this recommendation is to remove their defects for which they need time before opening new Universities? If so; the action being taken by them in this regard?

Shri Hajarnavis : This is also one of the reasons. The standard of the present Universities has to be raised first and their shortcomings removed. Only then, new Universities would be started.

Secondly, the overhead expenses of Universities should not be allowed to go up and the affiliated Colleges which are the foundations of a University, should be developed before the University itself develops.

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप चौथी योजना में कुछ विधान सभाओं द्वारा नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के पहले से पारित अधिनियम रद्द हो जाएंगे ?

श्री हजरनवीस : जी, नहीं।

Shri Sheo Narain : Whether the recommendation of the Commission to provide identical grades to teachers of a University and its affiliated Colleges are being implemented or not?

Shri Hajarnavis : It will definitely be considered. The Government are earnestly trying to see that the grades in Universities and their affiliated Colleges should be the same.

नये विश्वविद्यालय

*631. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा योजना आयोग ने एकमत से सिफारिश की है कि चौथी योजना अवधि में देश में कोई नये विश्वविद्यालय नहीं खोले जाने चाहिये;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिफारिश का मुख्य आधार क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रकार की कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की है कि चौथी आयोजना के दौरान कोई नए विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किये जाने चाहिये । फिर भी, आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि राज्य सरकार द्वारा किसी नए विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने से पहले, आयोग के परामर्श से 5–10 वर्ष की संदर्श आयोजना क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, तैयार की जाय । लेकिन योजना आयोग ने चौथी आयोजना के लिए प्रस्तावों को तैयार करने के संदर्भ में, राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि चौथी आयोजना के दौरान नये विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किये जाने चाहिये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा योजना आयोग, दोनों का यह विचार है कि नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने से पहले, स्नातकोत्तर शिक्षा के केन्द्र इस प्रकार स्थापित किये जाएं कि प्रत्येक कालेज उन्हीं के आस पास स्थित हो और ये केन्द्र कालान्तर में विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित हो सके ।

(ख) इन सिफारिशों का कारण यह है कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर भारी खर्च होता है। स्नातकोत्तर-शिक्षा-केन्द्र स्थापित करके इस खर्च में काफी कमी की जा सकती है । इसके साथ ही यह परम आवश्यक है कि विद्यमान विश्वविद्यालयों का समेकीकरण हो और उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों का पूरा-पूरा उपयोग हो ।

(ग) आशा है कि राज्य सरकारें चौथी आयोजना अवधि के लिये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्ताव तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखेंगी ।

Use of Hindi in Government Offices

*632. **Shri +Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of the indecisive policy of Government, the work in Hindi has been stopped even in those Government Offices where it had been started;

(b) whether it is also a fact that even the Hindi-speaking States are not being encouraged to use Hindi for communication with the Centre; and

(c) whether it is also a fact that those Government employees who had started noting in Hindi for the last few years are compelled by their superior officers to use English in their work?

2—35 L. S./65

The deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (c). No Sir. Government have taken in hand various preparatory measures for promoting the progressive use of Hindi for Union official purposes. No reports have been received that the Hindi work which had been started in certain selected Sections in various Ministries has been stopped or that Central Government employees have been asked not to do work in Hindi.

(b) The Chief Ministers' Conference held in December 1964 had agreed that there should be a convention that if the original communication was in Hindi, an authorised English translation should accompany it.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the hon. Minister is in a position to state as to the number of Government employees who have been given training under the Hindi Training Scheme started for the purpose as also the percentage of those whose training is being profitably utilised?

Shri L. N. Mishra : I do not have exact figures but about two or two and a half lakh employees have received this training and they are given incentive for this and they are given some increase in their salaries.

Shri Prakash Vir Shastri : The second part of my question was regarding those employees who have received such training. Have they also been asked to work in Hindi and if so, the percentage thereof?

Shri L. N. Mishra : The fact is that if one or two employees receive training if work cannot be conducted in Hindi. It is possible only when most of them have been trained in Hindi. If one or two Hindi knowing persons are asked to work in Hindi, then the work of that department could not be done properly. Therefore no restriction has been imposed on the use of Hindi in a Department where most of the people know that language.

Shri Prakash Vir Shastri : Why the Central Government insist on those Hindi speaking States who correspond with them, to attach English translation of all communications in Hindi. The effect of this will be that no official will correspond in Hindi due to difficulty of translation. In the light of this, whether Government are planning to make some arrangements so that the States might be saved from this procedure and this might be arranged here itself?

Shri L. N. Mishra : There is no question of compulsion. In December, when the State Chief Ministers met, the Chief Ministers of Hindi-speaking States had themselves suggested that if they will correspond in Hindi only, the work will not be handled expeditiously. The Chief Ministers of U.P. and Bihar had stated that if they write to the Food Minister in Hindi only, perhaps, they might not get foodgrains early. Therefore they said that they will correspond in Hindi and will attach its English translation thereto. They have taken this decision for the sake of prompt action. This has nothing to do with policy. If they do not like to attach English translation, they would not be pressed to do so. This decision has been taken by them voluntarily.

Shri Ram Sevak Yadav : Is the hon. Minister aware whether some Ministries send their replies in English in response to Hindi Communications sent by Members of Parliament? If so; the reason therefor? Whether no one in these Ministries is conversant in Hindi or whether this is purposely done?

Shri L. N. Mishra : The instructions are to send replies in Hindi to such communications. If this is not so, it is not proper and this should not be so.

Shri Yashpal Singh : On a point of order, Sir, Part (c) of the main question states "whether it is also a fact that those Government employees who had started noting in Hindi for the last few years are compelled by their superior officers to use 'Hindi' in their work?" This is a printing mistake. In place of 'Hindi' it should have been 'English' *i.e.* They are compelled to use English in their work. I want to know as to who is responsible for this mistake?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is it a fact that in the Agriculture Ministry of Government of India, those employees who can work in Hindi are discouraged and those who do so are prevented from doing so?

Shri L. N. Mishra : No. It is not correct. Work in every Ministry is conducted in accordance with Government's policy. But if any Ministry works in a different manner, it is not proper. This should not be so.

श्री कपूर सिंह : श्रीमन् क्या वर्तमान भारत-पाकिस्तानी संघर्ष और इससे उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए क्या सरकार ने हिन्दी को उसी स्थान पर वापिस लाने, जो उसका है, अर्थात आरजी पद प्राप्त भाषा, की वांछनीयता पर विचार किया है **(अन्तर्बाधायें।)** श्रीमन् मैंने इसका उत्तर सदन से तो नहीं मांगा है। **(अन्तर्बाधायें)।** मैं सरकार से इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री अ० प्र० शर्मा : संकट काल से इसका कोई संबंध नहीं है। यह प्रश्न तर्कसंगत नहीं है। **(अन्तर्बाधायें)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं ।

श्री कपूर सिंह : यह तो आशाओं पर ओस डालने वाला उत्तर है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विशेषकर गृह कार्य मंत्रालय का ध्यान इस ओर गया है कि वे पदाधिकारी जो अपने कार्य में काफी दक्ष थे और समय समय पर अनेक पदोन्नतियां प्राप्त कर चुके थे, अब राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड के कर्मचारियों की पदाली में नीचे का स्थान केवल इसलिये दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी परिक्षाएं अंग्रेजी की बजाय हिन्दी में देने की इच्छा व्यक्त की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है, और मेरे विचार में ऐसा हो भी नहीं सकता।

Shri A. P. Sharma : Is it not a fact that since English translation is attached to Hindi letters sent to Hindi speaking States, it has resulted in these states having to correspond with the Centre in English and this in turn has resulted in those employees also being compelled to work in English who used to work in Hindi previously.

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं ।

Shri L. N. Mishra : Shri Prakash Vir Shastri had also asked identical question and my reply to him was that it is not so and we are not compelling any State to do so.

Shri Ram Sahai Pandey : Are communiques of various Departments of Central Government published in Hindi also? If not, why?

Shri L. N. Mishra : As I stated earlier, some of them used to be published in English, while others were published in Hindi. But now after Hindi became our State Language *i.e.* after 26th January, 1965, we have decided that some items must be published in Hindi.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि किन हिन्दी भाषी राज्यों ने भारत सरकार के साथ पत्र-व्यवहार पूर्णतया हिन्दी में करना आरम्भ कर दिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह बताना तो कठिन है। मैं तो यह कहूंगा कि किसी भी राज्य सरकार ने पूणतया हिन्दी नहीं अपनायी है।

Shrimati Jayaben Shah : May I know whether this Ministry has decided to give some incentive to those departments who have switched over to Hindi?

Shri L. N. Mishra : This is a good suggestion but we give incentives to individual officials rather than departments.

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister has just stated that they do not compel the States Governments to attach English translations of communications sent to them. But expressed one apprehension that if State Government correspond only in Hindi, their replies may be delayed. May I know what arrangements have been made or being made at the receiving end here to obviate this possibility?

Shri L. N. Mishra : We have not made any such arrangement so far as the State Government are sending all their Communications with English translations thereof. In case, they will be not be able to do so, we, will perforce have to make these arrangements.

Shri Bhagwat Jha Azad : My question was different. I wanted to know that though they do not compel the State Governments to do so, but in order to encourage them to correspond in Hindi, whether the Central Government have made some arrangements for translation of these communications into English at this end?

Shri L. N. Mishra : It would be unfortunate if the Centre were to encourage Hindi Speaking State in this regard. They themselves are enthusiastic about it.

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या सरकार ने अग्रिम क्षेत्रों में सुरक्षा सेनाओं को दी गई हिदायतों में कोई परिवर्तन करने का प्रयास किया है जिस से भ्रम उत्पन्न हो जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे तो सुरक्षा सेनाओं में उत्पन्न किसी ऐसे भ्रम की जानकारी नहीं है।

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूस

*633. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 24 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में कथित पाकिस्तानी जासूसों के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले दो महीनों में जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की संख्या बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां। मेंढार में जो दो व्यक्ति पकड़े गए थे उनके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अन्य तीन व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री इतनी नहीं थी कि उनके विरुद्ध आपराधिक अभ्यारोपण किया जा सके ; परन्तु निवारक निरोध के लिये पर्याप्त आधार था अतः इन व्यक्तियों को नज़रबन्द कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) अक्तूबर 1964 से अबतक 11 व्यक्ति। उनके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है।

Shri Rameshwar Tantia : A large number of spies and infiltrators of Pakistan have been coming into Jammu and Kashmir for the last six months. The hon. Minister has stated that only 11 spies have come so far. May I know the difference between spies and infiltrators?

Shri L. N. Mishra : There is a lot of difference between a spy and an infiltrator. The infiltrators come duly armed. So far as spies are concerned it is not necessary that they would have come from Pakistan. Even the people of India can do spying.

Shri Rameshwar Tantia : Is it not a fact that certain persons of Kashmir have drawn the attention of Government to this fact that spies and infiltrators of Pakistan have been coming to Kashmir for the last some days and whether it is also a fact that Government have tried to prevent them?

Shri L. N. Mishra : It is true that Pakistan had started this work of sending its spies in 1949—from 1957 this work was more accelarated and a sort of a training centre was started there on the cease-fire line. A large number of people armed with modern devices have been sent and lot of funds have been spent by them to get this work done. But we took stern measures to apprehend them.

Shri Rameshwar Tantia : Have Government received any information to this effect that such persons are coming?

Shri L. N. Mishra : We had this information that such persons are coming from Pakistan.

श्री पु० र० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार कर दिया है कि काश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर जो जासूस तथा घुसपैठिये हैं, वह पाकिस्तानी है—अतः वह युद्ध बन्दी नहीं हैं—और उन्होंने जो अपराध किया है वह है देश के विरुद्ध राजद्रोह, तो उनपर कोर्ट मार्शल में मुकदमे क्यों नहीं चलाये जाते और उनको चान्दनी चौक में फांसी क्यों नहीं दी जाती ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सही है कि वह युद्ध बन्दी नहीं हैं। उनपर विधियों के अनुसार मुकदमे चलाये जायेंगे और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

Shri Bibhuti Mishra : The efforts made by Government through its Intelligence Department have failed altogether in order to achieve success in this direction, whether Government propose to follow Chanakya Policy in this regard which had been very successful then ?

Shri L. N. Mishra : I do not agree with the hon. Member that the Government has failed in this matter. We have apprehended people, we had enough information about it and our Intelligence Department took the right steps.

So far as the question of Chanakya Policy is concerned, I cannot say anything about it as I have not read anything about it.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Has Government noted this thing that some Government servants and M.L.As. have been found spying for Pakistan? Last time, Shri Nanda stated in his speech that some such Government servants had been found there who indulge in spying for Pakistan. Is Government taking any measures to keep a close watch on such Government servants and M.L.As.?

Shri L. N. Mishra : There can be good and bad persons in every society. A person who is is bad, he would be apprehended and action would be taken against him irrespective of the fact whether he belongs to this or that society.

श्री हेम बरुआ : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने इस सभा में बताया था कि काश्मीर में हमारी जो गुप्त सूचना व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है। इसके बावजूद भी हमारी गुप्त सूचना व्यवस्था तब तक हमें कोई सूचना नहीं दे सकी जब तक 10,000 पाकिस्तानी घुसपैठिये समस्त काश्मीर में नहीं फैल गये और जब तक श्रीनगर में एक मस्जिद में युद्धोपकरणों का एक ढ़ेर नहीं पाया गया। इस संदर्भ में क्या सरकार हमें यह बताने की स्थिति में है कि काश्मीर में जो गुप्त सूचना व्यवस्था है वह पहले ही की तरह बहुत अच्छी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही नहीं है कि हमें घुसपैठियों का केवल तब पता चला जब 10,000 लोग घुस आये। हमें उनके बारे में काफी पहले से जानकारी थी। हम 26 मई से जानते थे कि उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जा रहा था। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमें इस बात का भी पता था कि 3 अथवा 4 अगस्त को उन्होंने घुसपैठ करना आरम्भ किया था। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि हमें केवल तभी पता चला जब मस्जिद में युद्धोपकरणों का एक ढेर पाया गया था अथवा जब 10,000 घुसपैठिये वहां पर आ गये थे। उन्होंने अधिकांश ढ़ेर अपने राज्यक्षेत्र में ही लगाये थे ; परन्तु बाद में ऐसे ढ़ेर उन्होंने हमारे देश के इस भाग में लगाये होंगे। आरम्भ में यह सब कुछ युद्ध-विराम रेखा के दूसरी ओर था। जब उनकी पहली टोली ने घुसपैठ किया था हमें उसका भी पता था। स्थानीय पदाधिकारी को इस बात का पता था तथा स्थानीय गुप्त सूचना पदाधिकारी ने स्थानीय कमान्डर को बता दिया था। उन्होंने हमें तथा राज्य सरकार को इस बात की सूचना दे दी थी। अतः जहां तक उनके घुसने के प्रश्न का सम्बन्ध है इस मामले में हमारा गुप्त सूचना विभाग अथवा हमारी सुरक्षा सेनायें इस में असफल नहीं रही है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने श्रीनगर में मस्जिद में पाये गये युद्धोपकरणों के एक ढ़ेर के बारे में कहा है परन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि यह ढ़ेर युद्ध-विराम रेखा के उस पार था। सभी जानते हैं कि यह ढ़ेर श्रीनगर में पाया गया था। यह दो परस्पर विरोधी बातें कैसे मेल खा सकती हैं ? युद्ध-विराम रेखा श्रीनगर में तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि श्रीनगर युद्ध-विराम रेखा पर है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है।

मैंने श्री हेम बरुआ की इस धारणा को कभी भी स्वीकार नहीं किया है कि हमें तभी पता चला था जब मस्जिद में युद्धोपकरण पाये गये थे। यह सत्य नहीं है। मैंने कहा था कि उपकरणों के कुछ ऐसे ढ़ेर होंगे जो श्रीनगर में पाये गये हों। यह एक अलग बात है। परन्तु इन ढेरों तथा घुसपैठियों के बारे में हमें बहुत पहले से पता था और यह कहना ठीक नहीं है कि हमें इनका तभी पता चला जब हमने उन्हें श्रीनगर में पकड़ा था। यह सही नहीं है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस बात को जानना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। अभिकथन यह है कि ढ़ेर श्रीनगर की मस्जिद में पाया गया था। क्या वह इसे मानते हैं अथवा नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह पता चला है कि जिन लोगों पर जासूस होने का शक था और जो व्यक्ति जासूस सिद्ध हुये हैं, उनकी संख्या में बड़ा अन्तर है ; और यदि हां, तो जनता तथा पुलिस को इस सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें मालूम है कि उनकी लगभग संख्या क्या है। परन्तु यह संख्या भी बदलती रही है। उनकी संख्या बढ़ गई थी, फिर कम हो गई और फिर दोबारा बढ़ गई। इसलिये उनकी संख्या एकसी नहीं रही है। हमें इस सम्बन्ध में जानकारी है ; हमारे पुलिस कर्मचारियों को भी जानकारी है तथा जनता को भी इस बारे में शिक्षित किया जा रहा है।

श्री नाथ पाई : माननीय उपमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग को पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों के प्रशिक्षण तथा गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। यदि केन्द्रीय गुप्त-वार्ता विभाग को यह सब जानकारी थी तो क्या उन्होंने हमारी सुरक्षा सेनाओं को सतर्क किया था ? अथवा क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सुरक्षा सेनाओं पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सतर्क किया गया था परन्तु वे घुसपैठियों को रोकने में असफल रहे। इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है ? केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग के पास जानकारी होते हुये भी घुसपैठिये हमारे क्षेत्र में दाखल हो गये। कहीं न कहीं भारी गलती की गई है। इसके लिये कौन ज़िम्मेवार है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा ; मैंने कभी नहीं कहा कि सुरक्षा सेनायें अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही हैं। उन्होंने अपना कर्त्तव्य ठीक निभाया है। यदि माननीय सदस्य ने पाकिस्तान के 8, 9 अथवा 10 अगस्त के रेडियो समाचार सुनें होंगे और यदि उनका मुकाबला पाकिस्तान में वास्तविक घटनाओं से किया होगा तो उनको पता लगा होगा कि हमारी सुरक्षा सेनाओं ने किस प्रकार उनको दी गई सूचना के अनुसार काम किया। उन्होंने शत्रुओं की सभी योजनाओं को निष्फल बनाया। हमारी सुरक्षा सेनाओं ने बिल्कुल समयानुसार कार्यवाही की।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री हरि विष्णु कामत : यह सब क्या है। सरकार इस प्रकार उत्तर देकर हमें टाल नहीं सकती।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, यह एक गम्भीर मामला है। हमें आपका संरक्षण मिलना चाहिये। सदैव ही गृह-कार्य मंत्रालय यह दावा करता रहा है कि उन्हें घुसपैठियों की गतिविधियों की जानकारी थी। यदि ऐसा है, तो वे भारत कैसे घुस आये ? मैं रेडियो पाकिस्तान नहीं सुनना चाहता।

श्री हरि विष्णु कामत : उनकी संख्या 500 नहीं परन्तु 10,000 है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको वह सब जानकारी थी, तो वे कैसे घुस आये ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि हमें इस सम्बन्ध में जानकारी थी ; यह भी सच है कि हमने सुरक्षा सेनाओं को अवगत किया था और यह भी सच है कि उन्होंने समयानुसार कार्यवाही की। अब प्रश्न यह उठता है कि वे हमारे राज्य क्षेत्र में किस प्रकार घुस आये . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : हज़ारों की संख्या में।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान युद्ध-विराम रेखा की ओर दिलाउंगा . . . **(अन्तर्बाधायें)**

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री ल० ना० मिश्र : आप कृपया मेरी बात सुन लें। युद्ध-विराम रेखा 470 मील लम्बी है और दोनों ओर जंगल और पहाड़ियां है। वे युद्ध-विराम रेखा की इंच इंच भूमि की रक्षा नहीं कर सकते। इसके लिये तो पता नहीं सेना के कितने ही डिविज़न आवश्यक होंगे ? इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि सुरक्षा सेनायें अथवा केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग असफल रहा। उन्हें इसमें सफलता मिली है और यही कारण है कि घुसपैठियों के सभी प्रयत्न असफल रहें हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे

श्री हेम बरुआ : श्रीमान् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

श्री हरि विष्णू कामत : इस प्रश्न को स्थगित किया जाये ताकि श्री नन्दा इसका जबाब दें।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise on a point of order.

श्री हेम बरुआ : देश में, यहां तक कि दिल्ली में भी पाकिस्तान रेडियो सुनने पर रोक है। परन्तु माननीय उप-मंत्री ने श्री नाथ पाई को सब के सामने यह परामर्श दिया है कि वह पाकिस्तान रेडियो सुनें। श्रीमान् मेरे विचार में इस प्रश्न को स्थगित रखा जाये ताकि श्री नन्दा इसका उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीनगर पहाड़ी क्षेत्र नहीं है और हज़ारो की संख्या में घुसपैठिये वहां घुस आये। जब सरकार ने स्थानीय कमाण्डरों को अवगत कर दिया था तो फिर इन घुसपैठियों को कैसे आने दिया गया ? क्या गलतियों के लिये किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे कमाण्डरों ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने समयानुसार तथा अविलम्ब कार्यवाही की। यह कहना बहुत गलत है कि श्रीनगर में हज़ारों व्यक्ति घुस आये। यदि वे घुस आये तो फिर कहां चले गये ? यह कहना गलत है कि हमारी सुरक्षा सेनायें उन्हें घुसने से रोक न सकीं अथवा गुप्तवार्ता विभाग इसमें असफल रहा। कुछ लोग वास्तव में घुस आये परन्तु हमें इसकी सूचना थी और हमने इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की। **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Madhu Limaye : According to the Pakistan propaganda, these infiltrators have not come from outside but they are the very citizens of Kashmir. But the hon. Minister maintains that the Government had the information and the security forces were also alerted. But the fact that thousands of the infiltrators could reach up to Srinagar shows that there was failure somewhere. I think that we would be helping Pakistan in her propoganda if we shelter the persons who have made mistakes. I would like to say that the persons who have failed in their duty should be punished severely. This is what my point of order is.

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे असफलता मिली हो अथवा नहीं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ल० ना० मिश्र : यह कहना हमारी सुरक्षा के लिये अथवा हमारे गुप्तवार्ता विभाग के लिये बहुत अनुचित होगा कि हमें असफलता मिली है।

Shri Madhu Limaye : I have not said so. Somebody or the other is responsible for this lapse—the hon. Deputy Minister may also be responsible for this. If he cannot answer the question he may resume his seat.

श्री ल० ना० मिश्र : हमने इसकी पूरी पूरी जांच की है और मैं कह सकता हूं कि हमारी सुरक्षा सेनायें इसमें असफल नहीं रही हैं। हमने समय पर ही कार्यवाही की है तथा घुसपैठियों के सभी प्रयत्नों को असफल किया है।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश

*634. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मन्त्री के 8 जून, 1965 के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मद्रास विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिये अंकों की प्रतिशतता बढ़ा दी जाये;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह सामान्य नीति बनाई है कि प्राप्त अंकों के रूप में विश्वविद्यालय में प्रवेश को सीमित किया जाये; और

(ग) क्या श्रीनगर में हुये शिक्षा मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में इस महत्वपूर्ण मामले पर राय जानने के प्रयत्न किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। दाखिले के प्रश्न पर विचार करने का कार्य मुख्यतया विश्वविद्यालयों का है, क्योंकि ये स्वायत्तशासी निकाय हैं और इस प्रयोजन के लिए वे अपने नियम बनाने में भी स्वतंत्र हैं।

(ग) सम्मेलन ने जिन विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया उनमें से यह भी एक था, किन्तु इस विषय पर कोई खास सिफारिश नहीं की गई थी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुये कि शिक्षा के विषयों में किसी प्रकार का सहयोग आवश्यक है क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने संघ सरकार और राज्य सरकारों तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों में सहयोग बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हजरनवीस : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। इस प्रश्न का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मुख्य प्रश्न विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये अंकों की कम से कम प्रतिशत के बारे में था। यह जैसा कि मैं ने कहा, सम्बधित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। वे अपने स्तर स्वयं नियत करते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस प्रश्न पर कि विश्वविद्यालयों में संकुचित प्रवेश के कारण युवकों में निराशा के साथ बेरोजगारी उत्पन्न होती ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति में है कि इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करके इन निर्बन्धनों को दूर कर सके ताकि लोग केवल अंकों के आधार पर ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सके ?

श्री हजरनवीस : यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है जिसका कि सारे देश के शिक्षा मन्त्रियों को सामना है। इस बारे में बहुत से सुझाव हैं। सर्वप्रथम, बेरोजगारी से अधिक, क्षय का प्रश्न है। कुछ विश्वविद्यालयों में इसका अनुमान लगाया गया है कि विश्वविद्यालयों में कम अंकों वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पा जाने से यह क्षय 80 प्रतिशत है। फिर यह प्रश्न है कि क्या कुछ वर्ग के लोगों को उच्च

शिक्षा के लिये पूरी तरह से विवर्जित कर दिया जाये। केवल मात्र गिने-चुने लोगों की शिक्षा और लोकतन्त्रात्मक शिक्षा के बीच आमतौर पर यह एक प्रतिवाद है मेरा विचार नहीं कि इस समस्या को कहीं भी हल किया गया है । परन्तु हम निःसन्देह इस समस्या की गम्भीरता से अवगत हैं और जो उपाय आवश्यक है और हमारी क्षमता और साधनों के अन्तर्गत हैं हम उन को अपना रहे हैं।

श्री बी० चं० शर्मा : उन युवकों के लिये विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये क्या मार्ग खोले जायेंगे जिनको कालेजों और विश्वविद्यालयों में कम अंक होने के कारण प्रवेश नहीं मिला है ?

श्री हजरनवीस : उनके लिये अभी प्रौद्योगिक संस्थायें ह जहां पर व्यापार, उद्योग, तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी संस्थायें खोली जा रही हैं और खोली जायेंगी परन्तु मुझे खेद है कि विद्यार्थी इनसे उस हद तक लाभ नहीं उठा रहे हैं जिस हद तक यह प्राप्त हैं।

Shrimati Jayaben Shah : On one side we want to raise the standard of education and on the other side some universities declare their results after inflating the marks. May I know whether Government has considered some measures to check this practice?

Shri Hajarnavis : It is definitely considered in the meeting of the education ministers whenever it is held. Similarly it is also considered in the meeting of the universities. If such students get the admission to the universities who are actually not fit for that admission they get themselves failed every year. Sometimes their percentage even comes to 50 per cent.

श्री बासप्पा : क्योंकि विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना कठिन हो गया है तो क्या चौथी योजना में अधिक सायंकाल के कालेज खोलने या पत्रव्यवहार द्वारा पाठचर्य का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हजरनवीस : जी हां। यह उन सब बातों में से एक है जिस पर विचार किया जा रहा है।

Shri K. N. Tiwary : The hon. minister has just now stated that students will be afforded an opportunity for admission in the technical institutions. But in these institutions only Science students are taken. May I know what will be done for the arts students?

Shri Hajarnavis : After matriculation one can get admission in these technical Institutions. It does not make any difference whether the student has passed his matric examination with science subjects or art subjects.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिक कालेजों में प्रवेश 5,000, 10,000 और कुछ मामलों में 20,000 रुपये तक दान देने से मिलता है ?

श्री हजरनवीस : इस प्रश्न का इस सभा में कई बार उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Bhagwat Jha Azad : It has not been stated in this question whether this method of raising the percentage is only meant for technical colleges of the universities? Whether it is not a fact that at present percentage of marks has been fixed for admission to all the universities in India? If any university such as Madras increses the percentage of marks, may I know whether Government is not encouraging this thing that other universities may also increase the percentage of marks for admission irrespective of the all India standard and restrict the admission for students of other universities such as Madras. If so, what is being done by the Government in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिये ।

श्री हजरनबीस : यह सच है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये अंकों की न्यूनतम प्रतिशत अलग अलग है परन्तु जैसा मैंने बताया है कि यह केवलमात्र विश्वविद्यालयों के अधिकार के अन्तर्गत ही आता है। केन्द्र सरकार को इस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुनय अधिकार के अलावा और कोई अधिकार नहीं है ।

Shri D. C. Sharma : Everybody knows that standard of education is decreasing very much. May I know whether Government is taking some special steps for raising the standard of education so that students may be benefited?

Shri Hajarnavis : Yes Sir. We are trying to get highly qualified teachers for each university on high salaries. Efforts are being made to obtain good teachers for each institution. They would be attracted by good salaries. Therefore, efforts would certainly be made for it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बुनियादी रसायन तैयार करने के लिये जर्मन फर्मों से समझौता

*635. **श्री वारियर :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बुनियादी रसायन तथा मध्यवर्ती वस्तुयें बनाने के लिये पश्चिमी जर्मनी की चार फर्मों के कन्सारशियम से हुये समझौते को तोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समझौते को तोडने के कारण सरकार को हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी हां। यह मालूम हुआ कि भारत और अन्य स्थानों में रसायन क्षेत्र में परिवर्तनों के कारण पहले सोची गई परियोजना महंगी पड़ेगी। अतः जर्मन फर्मों के साथ किये गये समझौते को परस्पर सहमति से 9 अप्रैल, 1965 को समाप्त कर दिया गया।

(ग) और (घ) : सरकार ने जर्मन फर्मों को नियतन किये गये 30 लाख रुपये के मूल्य वाले शेयरों को 32.25 लाख रुपये की लागत पर पुनः खरीद लिया किन्तु जर्मन फर्मों द्वारा दी गई रुपांकन तथा प्रक्रिया सूचना हिन्दुस्तान आर्गनिक केमीकल्ज लिमिटिड की सम्पत्ति रही।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन

*636. **श्री हेडा :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1963-64 के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जिसमें कहा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए नियत की गई रकम विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख): तीसरी आयोजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अतिरिक्त रकम देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बम्बई के निकट पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह

*637. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में स्थापित किये जाने वाले पेट्रोलियम-रसायन उद्योग-समूह का ब्योरा है;

(ख) उद्योग कब स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या उद्योग स्थापित करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4856/65)।**

(ख) 1966 के मध्य से शुरू करके 1967 के आखिर तक इन उद्योगों के चरणों में उत्पादन करने की आशा है।

(ग) जी हां।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में पद

*638. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकार द्वारा चलायी जा रही जा रही इस प्रकार की अन्य संस्थाओं में प्रशासनिक पदों तथा तकनीकी पदों में क्या अनुपात है;

(ख) क्या सरकार वैज्ञानिक कर्मचारियों की तुलना मे प्रशासनिक कर्मचारियों का अनुपात घटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों का अनुपात विभिन्न प्रयोगशालाओं में अलग अलग हैं।

(ख) और (ग) : प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति के प्रस्तावों की जांच सावधानी से की गई ह और आवश्यक समझे गए कम से कम स्टाक को ही मंजूरी दी गई है।

रूस से आयात डीजल तेल

639. **श्री कपूर सिंह** :
श्री सोलंकी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में रूस से मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की कितनी मात्रा आयात की गई;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा बाजार में बेचने के लिये दे दी गई है;

(ग) इसमें से कितनी मात्रा का वितरण नहीं किया गया है; और

(घ) वितरण न करने के क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (घ) : मई से लेकर जुलाई 1965 की अवधि में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० ने रूस से मिट्टी का तेल और हाई स्पीड डीज़ल तेल, प्रत्येक का लगभग 1.5 लाख मीटरी टन आयात एवं विक्रय किया। इस अवधि में उक्त कारपोरेशन ने कुल लगभग 2.1 लाख मीटरी टन मिट्टी का तेल और 2.2 लाख मीटरी टन डीज़ल तेल की बिक्री की, जिसमें रूस से आयात तथा गोहाटी एवं बरौनी शोधनशालाओं के उत्पादन शामिल है।

पाकिस्तान जाने वाले सेवा निवृत्त अधिकारी

***640. श्री दलजीत सिंह :**

श्री साधू राम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार की सेवा में लगे मुस्लिम अधिकारियों में से अधिकतर अधिकारी सेवा निवृत्त होने पर पाकिस्तान जाते हैं और वहां नौकरी में लग जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है कि यदि किसी अधिकारी को भारत में सेवा करते समय किन्ही भेदों का पता लगा हो तो वे उन्हें पाकिस्तान को न बतायें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार के सेवानिवृत्त मुस्लिम अधिकारियों की पाकिस्तान में नियुक्ति के लिये चले जाने की कोई सामान्य प्रवृत्ति हमारे ध्यान में नहीं लाई गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब नेशनल बैंक से सम्बधित व्यक्तिओं के स्थानों पर छापा

***641. श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने हाल में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के मकानों आदि पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) किन स्थानों पर छापे मारे गये; और

(घ) छापों के क्या परिणाम रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) इस आरोप की शिकायते मिली थीं कि सन् 1958 तथा 1960 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की ओर से राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी बाण्डों तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के सम्बन्ध में उससे अधिक मूल्य अदा किये गये थे, जिस पर कि यह प्रतिभूतियां उस समय उपलब्ध थीं, तथा वह अतिरिक्त राशि दलालों और बैंक के कुछ अधिकारियों में बांट ली गई थीं।

(ग) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, जोधपुर तथा लखनऊ।

(घ) इकट्ठे किये गये काग़ज़ात की जांच की जा रही है।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाना

*642. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : यह प्रस्ताव, जो केन्द्रीय सरकार ने प्रारम्भ किया था, विचाराधीन है।

राष्ट्र गान

*643. **श्रीमती अकम्मा देवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सारे देश में यह आम प्रवृत्ति है कि सिनेमा देखने वाले फिल्म की समाप्ति पर राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होते; और

(ख) यदि हां, तो नयी पीढ़ी में अनुशासन के स्वस्थ विकास के लिये ऐसी अपमानजनक प्रवृत्तियों को समाप्त करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने क्या शैक्षणिक तथा अन्य उपाय निकाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसी सूचनाएं मिली है कि कभी-कभी सिनेमाओं में कुछ दर्शक राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होते।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जनता को इस बारे में शिक्षित करने के लिये उपयुक्त कदम उठायें और साथ ही समाचार पत्रों का तथा सिनेमाओं के मालिकों का (जो दर्शकों से राष्ट्रगान के समय खड़े होने का अनुरोध करने लिये उपयुक्त स्लाइड दिखाते हैं) सहयोग प्राप्त करें। एक वृत्तचित्र का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि दर्शकों को राष्ट्रगान के समय किस प्रकार का आचरण करना चाहिए।

Veer Savarkar

*644. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to a news item published in some newspapers in which the condition of Veer Savarkar has been described as serious;

(b) if so, whether Government have decided to provide him with medical treatment and financial assistance;

(c) whether Government have restored to him his property which had been forfeited by the British Government; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir,

(b) A sum of Rs. 900 has been sanctioned to Shri Savarkar from the Home Minister's Discretionary Grant for meeting his medical expenses.

(c) and (d): Attention is invited to the statement laid on the Table of the House on 6th September, 1965 in fulfilment of the assurance given in reply to part (b) of Unstarred Question No. 2055 on 7th April, 1965 by Shri Hukum Chand Kachhavaiya.

Pay Scales of Universities and College Teachers

***645 Shri. Madhu Limaye :**
Shri Kishen Pattanayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 332 on the 1st September, 1965 and state the broad details of the proposals formulated in respect of giving encouragement to studies in science, medical science, technical and engineering education and for effecting improvements in the educational standard as envisaged in the recommendations of the University Grants Commission in the context of the enhanced pay scales ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : As a major step towards improvement in the quality of higher Education, the Commission is of the view that it is essential to raise substantially the salary scales of teachers, specially teachers in affiliated colleges. Teachers with comparable qualifications whether working in colleges or university departments, should have reasonably similar salary scales.

Further, the Commission has considered the recommendations made by the committee appointed, to examine the question of revision of salary scales of university teachers, including those of engineering and technological institutions/ departments. While accepting the Committee's recommendations towards establishing parity between the scales of pay at the universities and the Indian Institute of Technology, the Commission felt that the salary scales of university teachers may be revised with effect from the beginning of the Fourth Plan and the revised scales may be as follows (these scales are comparable to those prescribed for teachers in I.I.T.'s):—

	Rs.
Professor	1100—1600
Reader	700—1250
Lecturer	400—950

In the case of Central Universities as well as other universities, the Commission has already decided that the scales of pay of different categories of teachers in all faculties, including teachers in technical departments (except for teachers in Polytechnics) be the same.

लाटीटोला-दूमाबाड़ी क्षेत्र से निष्कासित परिवारों का पुनर्वास

***646. श्री नि० रं० लास्कर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'लाटीटोला-दूमाबाडी क्षेत्र' में पाकिस्तानियों द्वारा लगातार गोली चलाए जाने के कारण कारखाना-पुटनी तथा बड़ा-पुटनी गांवों के लगभग 80 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े;

(ख) क्या उनके अस्थायी पुनर्वास जैसे उन्हें अन्न तथा आश्रय देने की कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की गोलीबारी के इन पीड़ितों को कोई राशन नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन परिवारों को किन्ही अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जब तनातनी कम हो गई, तो अधिकतर परिवार गांवों में वापिस चले गये। फिर भी राज्य सरकार कुछ ऐसे परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में विचार कर रही है, जिनकी काष्त की भूमि बोरपुटनी तथा कारखाना पुटनी गांवों में पुटनीनाला के पूर्वी किनारे के बिल्कुल समीप है।

गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेज

*947. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सिद्दय्या :

क्या **शिक्षा** मंत्री गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेजों के सम्बन्ध में 24 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 280 के उत्तर के सम्बद्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या मैसूर सरकार तथा सम्बन्ध करने वाले विश्वविद्यालय को भेजी गई विशेष निरीक्षण समिती की रिपोर्ट वापस आ गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाहसे उस पर पूर्ण-रूपेण विचार कर लिया गया है; और

(ग) क्या निर्णय किये गये है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) प्रतिवेदन पर मैसूर और कर्नाटक विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Left Communists

***648. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any further information about the anti-national activities of the Left Communists after their detention has been received;

(b) whether Government have received any suggestions that such an anti-national political Party should be banned; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Government have been receiving reports of prejudicial and anti-national activities of the members of the Left-C.P.I. in several States, such as subversive propaganda and advocacy of capturing power by violent revolution. They have been responsible for the circulation of some documents in West Bengal and other States with a view to fomenting dissatisfaction unrest and violence. There are also reports with the Government that attempts are being made to strengthen

the Party organisation by inducting new cadres and activising some of the Party organs. These activities are under close watch.

(b) Yes, Sir. Thi· is one of the suggestions received from time to time.

(c) Government have not so far considered such a step necessary.

दिल्ली में अपराध

***649 श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में अपराधों के सम्बन्ध में मि० पारकार की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) उन्हें लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4857/65** ।]

(ग) स्थानीय स्थितियों तथा आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए इस रिपोर्ट में किये गये सुझावों और सिफारिशों पर विचार करने के लिये रिपोर्ट की प्रतिलिपियां राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को बांटी गई हैं ।

बिहार में पैट्रो-रसायन उद्योगसमूह

***650. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री मधु लिमये :

श्री राम सेवक यादव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवार्षीक योजना में बरौनी (बिहार) में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिये अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार को प्रारम्भिक सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिये कहा गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने तेल शोधक कारखाने के उत्पादों का प्रयोग करने के लिये बरौनी में एक उर्वरक तथा एक कास्टिक सोडे का कारखाना खोलने का अनुरोध किया है; और

(घ) उद्योग समूह पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) पैट्रो-केमीकल उद्योगों की अनुमानित लागत 20.1 करोड़ रूपये की है । उर्वरक योजना के आकार आखरी उत्पादों पर निर्भर होते हुए, जिनका आगे निश्चय किया जायेगा, उक्त योजना की लागत 25 करोड़ से लेकर 35 करोड़ रूपये हो सकती है । गैर सरकारी क्षेत्र में कास्टिक सोडा को तयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

3—35 Lok Sabha/65

दिल्ली में विधि संबंधी प्रयोगशाला

*651. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में विधि सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की प्रार्थना की थी ताकि अपराधों की तेज़ी से तथा प्रभावी रूप से जांच की जाये ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसी प्रयोगशाला स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अब दिल्ली में ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा दिल्ली पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन में दिल्ली एक अपराध विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है।

तटवर्ती तेलशोधक कारखानों में पैट्रोलियम का उत्पादन

*652. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र के तीन तटवर्ती तेल शोधक कारखानों में पैट्रोलियम उत्पादन के वर्तमान ढांचे को बदलने का है ताकि इन के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यय को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर इन कारखानों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (ग) : जी हां । आवश्यक कम उत्पादों के अधिक उत्पादन के लिए उत्पादन के ढांचे को बदलने के लिये शोधनशालाएं सहमत हो गई हैं ।

गुरु गोविन्द सिंह का 300 वां जन्म दिवस

*653. **श्री बलजीत सिंह :**
श्री साधू राम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुरु गोविन्द सिंह का 300 वां जन्म दिवस जनवरी, 1966 में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हाजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे शताब्दी-समारोह प्राय: गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं, समुचित मामलों में यदि सरकार से प्रार्थना की जाती है तो वह ऐसी संस्थाओं की सहायता करती है ।

नगर सुरक्षा

*654. **श्री हरि विष्णु कामत :**

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हमारे देश को, विशेषकर बड़े शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों की, सुरक्षा के लिये कोई एकीकृत योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों का रेडियों तथा समचार पत्रों ब्दारा प्रचार किया गया है। इससे अधिक विस्तार म जाना जनहित की दृष्टीस उचीत नही होगा।

जन शक्ति सम्बन्धी आवश्यकतायें

*655 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति निदेशालय ने आगामी दश वर्षों में कुशल कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये जनशक्ति के प्रयोग के संबन्ध में अध्ययन आरम्भ किया है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के अनुभव की समीक्षा से कहां तक यह पता चला है कि जैसे और जितने कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता थी, उनकी उपलब्धि कहां तक उसके अनुरूप थी; और

(ग) क्या राज्यों से लोक सेवा आयोग के भर्ती के अनुभव और रोजगार सम्बन्धी सूचना अभिकरणों के प्रतिवेदन की छानबीन करने के लिये कहा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुभव की सम्पूर्ण समीक्षा योजना के पूर्ण होने पर ही की जा सकेगी।

(ग) रोज़गार सम्बंधी सूचना का सामायिक पुनरीक्षण राज्य-सरकारों को नियमित रूप से उपलब्ध होती है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग भी प्रतिवेदन प्रकाशित करते हैं। जनशक्ति की कमी दूर करन के लिये नीतियां निर्धारित करते समय सामान्यतः राज्य सरकारें इन प्रतिवेदनों तथा अन्यों का अध्ययन करती है। लगातार रूप में ऐसे अध्ययनों की वांछनीयता उनके ध्यान में लायी जायगी।

बर्मा आयल कम्पनी

*656. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबो हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० जी० नायक :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बागड़ी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा आयल कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वह रुपये में भुगतान वाले देशों से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिये तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) बर्मा आयल कम्पनी के निर्णय से देश में पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण में कितनी सहायता मिलेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी हां।

(ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन और बर्मा आयल कम्पनी के बीच में परस्पर तय होने वाली शर्तों के आधार पर इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा उक्त कम्पनी को कुछ मात्राएं दी जायेंगी।

(ग) बर्मा आयल कम्पनी के वितरण केंद्रों की आवश्यकताओं के लिये दिगबोई शोधनशाला का उत्पादन सामान्यता पर्याप्त है। शेष रूपये में भुगतान वाले तेल से पूरा किया जायेगा और इस का प्रभाव केवल मामूली होगा।

Central Universities in States

*657. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Ram Sewak :
Shri P. G. Sen :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scheme to provide a Central University in each State;

(b) if so, whether the State Governments have been consulted in this regard; and

(c) the reaction of the State Governments thereto ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) to (c). There is no scheme as such in the Ministry of Education to provide a Central University in each State.

However, the Conference of State Education Ministers held in October, 1962 and subsequently the Committee of Members on Higher Education in their report published in 1964 recommended setting up of a Central University in each State to promote emotional integration as well academic standards in the country. The University Grants Commission to whom the recommendations were referred to has supported them in principle but suggested that priority should be given to the improvement of the existing institutions and that when sufficient funds are available some of the existing universities in different States might be taken over and developed as Central Universities.

Since the question is also under the consideration of the Education Commission, decision on it has been deferred till the commission has given its findings. Pending decision on this issue, the State Governments have not been consulted.

गोआ का भविष्य

*658. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री, 1 सितम्बर, 1965 के तारांकित, प्रश्न संख्या 333 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के भविष्य के प्रश्न पर निर्णय कर लिया गया है तथा उसे कैसे कार्यान्वित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस मामले के सभी पहलुओं पर बहुत ध्यान से विचार करना आवश्यक है ।

स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये भारत का इतिहास

2138. **श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत में स्कूलों के शिक्षा सम्बन्धी पाठ्क्रम में सम्मिलित करने के लिये स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये भारत का प्रामाणिक इतिहास तैयार किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्यों ने अपने संस्करण तैयार कर लिये है; और

(ग) विभिन्न संस्कारणों मे सामंजस्य लाने तथा ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर तैयार किये गये संस्करणों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तथा (ख) : स्कूलों की कक्षाओं के लिय भारतीय इतिहास की आदर्श पाठ्य-पुस्तके तैयार करने के लिये प्रसिद्ध इतिहासकारों की एक सूची बनाई गई है ।

(ग) ये पाठ्य-पुस्तक, राज्य सरकारों को, स्कूलो में उपयोग के लिये दी जायगी ।

नंदमबाकम में शल्य चिकित्सा औज़ार कारखाना

2139. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंदमबाकम स्थित शल्य चिकित्सा औजार कारखाने में कब उत्पादन आरम्भ हो जायगा;

(ख) वहां पर कितनी किस्म के औजार बनाए जायेंगे; और

(ग) इस के लिये कुल कितने सहायक श्रमिकों की आवश्यकता होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : शल्य चिकित्सा औजार कारखाने में उत्पादन शुरु हो गया है और वहां पर 166 किस्मों के औजारों को तयार किया जायेगा । जब कारखाना पूर्ण रूप से उत्पादन करने लगेगा तब लगभग 1400 व्यक्तियों को काम मिलेगा ।

केरल में पुलिस की ज्यादतियां

2140. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में सरकार को केरल में पुलिस द्वारा की गई ज्यादातियों के विरुद्ध कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या पुलिस द्वारा अत्याधिक बल प्रयोग किये जाने के कारण कुछ व्यक्तियों को मृत्यु हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) सरकार ने इस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) केरल में पुलिस की ज्यादतियों के ख़िलाफ राज्य सरकार को पिछले तीन मास में 59 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) कुंजु मुहम्मद नामक एक व्यक्ति पुलिस द्वारा अधिक बलप्रयोग के कारण मर गया।

(घ) कुंजु मुहम्मद को मृत्यु के लिये उत्तरदयी पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया हैं और भारतीय दंड संहिता की 304, 323 और 324 वीं धाराओं के अधीन उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जा रही है।

केरल में चालियार नदी के पानी का दूषित हो जाना

2141. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में मावूर रेयन्स फैक्टरी, कालिकट के निकटवर्ती 14 गांवों की पंचायतों के प्रधानों की और से, ग्वालियर रेयन्स फैक्टरी द्वारा चालियर नदी मे बेकार रासायनिक पदार्थ बहा दिये जाने के कारण नदी के पानी के दूषित हो जाने के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पीने के लिये इस पानी का प्रयोग करने वाले हजारों परवारों को इस से बड़ी कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क): जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नदी के पानी के सैम्पल लेकर उनका विश्लेषण किया गया। क्योंकि उन मे हानिकारक रसायन पाये गये, अतः फैक्टरी के प्रबंधकरण को यह कहा गया कि बेकार पदार्थों को रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद नदी के बहाव की ओर $2\frac{1}{2}$ मील आगे फेंका जाय। इस उदेश्य से कम्पनी के लिये भूमि का एक प्लाट प्राप्त किया गया है ; तथा शीघ्र ही उन्हें दे दिया जायेगा। ऐसी आशा हैं कि उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने पर चालियार नदी के पानी के दूषित होने की समस्या हल हो जायेगी।

थोतड़ पालिटैक्निक

2142. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि थोतड़ पालिटैक्निक, कन्नानूर, केरल के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को अत्यावश्यक उपकरण न मिलने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशी मद्रा सम्बन्धी कठिनाई के कारण इस प्रयोजन के लिये नियत की गई राशि खर्च नहीं की जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो ईस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कारवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालयमें उप मंत्री (श्री० भक्त दर्शन) : (क) पता लगा है कि सिविल, यांत्रिक, बिजली और कपडा विभाग में से केवल कपड़ा विभाग में ही उपकरण कम है।

(ख) जी हां, अंशता विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण।

(ग) विदेशी मुद्रा की प्राप्य सीमित राशि में से जितनी भी राशि हो सकती है इस पालिटैक्निक को दी जा रही है।

केरल में नगरपालिका कर्मचारियों सम्बन्धी नियम

2143. **श्री अ० क० गोपलान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के नगरपालिका कर्मचारियों सम्बन्धी सामान्य नियम बनाये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा उनकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार किस को दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of Land to Migrants from East Pakistan

2144. **Shrimati Minimata** : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme for the allotment of land to the migrants from East Pakistan; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) and (b) : It has been decided that wherever agricultural land in compact blocks of 250 acres or more is available, Group Farms may be set up for the resettlement of the migrants from East Pakistan. Where, however, agricultural land is available in blocks of less than 250 acres, the allotment of land on an individual basis may be made. The size of individual holding of agricultural land may, however, vary from State to State from three to five acres depending upon the availability, cost and type of land.

For homestead purposes, the size of plot may vary from one third to half an acre in rural areas and will be about 150 sq. yards in urban areas.

प्रशासनिक समस्यायें

2145. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह-मंत्रालय की 1964-65 की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 20-21 (अंग्रजी रिपोर्ट के पृष्ठ 18) के पैरा 27 में जैसा संकेत है उसके अनुसार कितने और किस प्रकार के समस्या वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के 24 से 26 अनुच्छेद तक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय 2,3 और 5 में वे समस्या वाले क्षेत्र बताए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन के बाद और भी समस्या वाले क्षेत्र निर्धारित किये गए हैं और निम्नलिखित अध्ययन भी शुरू किये गए हैं या करने की योजना है :—

1. लौह तथा इस्पात नियंत्रण संगठन का मिश्रित अध्ययन।
2. वान (वस्त्र) आयुक्त के संगठन का मिश्रित अध्ययन।

3. सीमा-शुल्क विभाग का मिश्रित अध्ययन ।

4. कोयला नियंत्रक के संगठन का मिश्रित अध्ययन ।

5. सभी राज्यों में जिला प्रशासन का अध्ययन, समाहता के दायित्व पर विशेष रूपसे ध्यान देते हुए ।

6. केन्द्र में भारतीय प्रशासन सेवा के दायित्व का अध्ययन ।

7. मंत्रालयों आदि की कर्मचारी शक्ति का प्रकार :—

(i) वाणिज्य मंत्रालय का अध्ययन ।

(ii) राजस्व तथा समायोजन विभाग, वित्त मंत्रालय का अध्ययन ।

(iii) वित्त (प्रतिरक्षा) मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा महालेखा नियंत्रक के बीच संगठनात्मक सम्बन्ध का अध्ययन ।

8. दिल्ली कोषागार में भुगतान तथा वसूली की प्रक्रिया का अध्ययन (दिल्ली प्रशासन के सहयोग से) ।

9. पेंशन की मंजूरी का नियंत्रण करने वाली प्रक्रियाओं तथा नीतिओं का अध्ययन ।

10. भूरा कोयला निगम कार्यालय का संगठन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन ।

11. वरिष्ठ अधिकारियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के दायित्व का अध्ययन ।

12. गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि जैसे सामान्य सेवा संगठनों द्वारा विहित विवरणों में कमी/सुव्यवस्था ।

13. वित्तीय शिष्ट मण्डल का अध्ययन ।

अब तक निम्नलिखित संगठनों के अध्ययनों पर सिफारिशों के साथ प्रतिवेदन दिये गए हैं :—

(क) आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक का संगठन (केवल भाग I)

(ख) तकनीकी विकास का महानिदेशालय (केवल भाग I)

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग

(घ) सम्भरण व निपटान का महानिदेशालय (केवल भाग I)

(ङ) निर्माण तथा आवास मंत्रालय (भाग I) निर्माण स्कन्ध-स्कन्ध संगठन तथा कार्य प्रक्रिया का पुनर्गठन ।

(क) और (घ) क्रम संख्या पर दिये गए प्रतिवेदनों पर कार्यवाही कर ली गई है और उन्हें लागू किया जा रहा है । अन्य प्रतिवेदनों पर कार्यवाही चालू है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की आशा है ।

नशाबन्दी

2146. **श्री सिद्दय्या :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 18 अगस्त 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नशाबन्दी संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर मैसूर सरकार से प्राप्त हुई टिप्पणियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन पर कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) वर्तमान हालात में नशाबन्दी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार की टिप्पणियां बताना वांछनीय नहीं समझा जाता है।

(ख) इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों को सलाह से जोर शोर से विचार किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिये जायेंगे किन्तु कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

2147. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन से कितने सरकारी कर्मचारि ों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यह परिवर्तन कब से लागू होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

खजुराहो मन्दिर

2148. **श्री लखमू भवानी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खजूराहो मन्दिर की हालत अच्छी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) 1964-65 में इस मन्दिर की देखभाल पर कितनी राशि खर्च की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) मन्दिर बहुत ही अच्छी हालत में है और इन का परिरक्षण ठीक तरह से हो रहा है।

(ख) इस बात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रु० 18,800।

कतिपय विश्वविद्यालयों में काम करने के दिन

2149. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री बागड़ी :

श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राज्य में कई ऐसे विश्वविद्यालय है जो वर्ष भर में केवल 80 दिन खुलते है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो वर्ष में केवल 80 दिन खुलता हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़

2150. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री हेडा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मई, 1965 को मनीपुर के तेंगनोनपाल सब-डिवीज़न में अनलखुल्ले गांव के निकट मनीपुर राइफल के एक गश्ती दल ने भूमिगत विद्रोही नागाओं द्वारा चलाई गई गोलियों के जबाब में गोली चलाई; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) 23 मई को मनीपुर राइफल के एक दल तथा अनल विद्रोहियों के बीच गोली चलाई गई, जबकि सुरक्षा-दल ने तेंगनोनपाल सब-डिविज़न में अनल-खुल्ले ग्राम के समीप थोरियम में उनके छुपने के स्थान पर छापा मारा था । विद्रोही समीप के जंगल में भाग गये । दोनों दलों मे से कोई आहत नहीं हुआ । छुपने के स्थान को तलाशी करने पर सुरक्षा-दल को एक एस० एम० बी० एल० गत, कुछ वर्दियां और बर्तन मिले । एक खम्बा मारिंग को बचाया गया जिसे विद्रोहो 16 अप्रल को भगा ले गये थे ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नतियां

2151. श्री सुबोध हंसदा :

श्री स० चं० सामन्त :

डा० पू० ना० खां :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने यह मांग की है कि उनको पदोन्नतियोंसे संबंधित उनकी शिकायतों कि जांच करने के लिये एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है जिनको 10 वर्ष से अधिक समय से पदोन्नति नहीं हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सम्भवत: केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I) एसोसियेशन द्वारा 23 जून, 1965 को पारित प्रस्ताव की ओर निदेश किया गया है । यदि ऐसा है, तो उत्तर हां है ।

(ख) और (ग) : इन प्रश्नों से ऐसे सैद्धांतिक प्रश्न उठ खड़े होते हैं जो उतने बड़े हैं कि उन पर एक प्रश्न के सीमित क्षत्र में कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

अग्रता-प्राप्त शिक्षा परियोजनायें

2152. श्री यशपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की कुछ अग्रता-प्राप्त शिक्षा परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा बराबरी के आधार पर अंशदान दिये जानेको समाप्त करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नवीन अखिल भारतीय सेवायें

2153. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री 16 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1465 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के भरती तथा सेवा की शर्तों संबधी नियमों तथा विनियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Raman Committee's report on Bihar University

2154. **Shri Bibhuti Misra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chancellor of Bihar University has forwarded the Raman Committee's report to the Central Government; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) A copy of the report was sent to the Union Minister for Education by the Chancellor of the Bihar University for his perusal.

(b) According to the provisions of the Bihar State Universities (University of Bihar, Patna, Bhagalpur and Ranchi) Act, 1960, as amended, it is for the Chancellor to take necessary action on the report in consultation with appropriate university authorities.

Punctuality in Central Secretariat and Central Government Offices

2155. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the arrangements made by the Ministry to ensure that the staff and Officers of the Central Secretariat and other Central Government offices attend office punctually and have full day's work;

(b) whether Government are aware that certain Officers do not attend office in time and spend two to three hours for lunch at home instead of half or one hour as a result of which Government work suffers ; and

(c) whether any surprise checks are made to enforce punctuality in Central Secretariat and other Offices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) A copy of the instructions issued on the subject is placed on the Table of the House. [**Placed in Library.** *See* **No. LT. 4858/65.**]

(b) The above instructions are intended to ensure punctuality in attendance and strict observance of working hours by officers and staff.

(c) Para 7 of the instructions provides for surprise checks.

Newspapers Spreading Communal Tension

2156. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri A. N. Vidyalankar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government on the demand put forth in the Conference of the Home Minister held in the first week of June, 1965 that strong action be taken against those newspapers which spread communalism and create atmosphere of fear and tension; and

(b) whether a statement containing the details regarding the implementation of other decisions made at the Home Minister's Conference will be placed on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The question of amending the existing laws (including the provisions of D.I.R.) to take stringent measures against the newspapers fomenting communal passions and encouraging anti-national and anti-social activities, is under consideration of the Government.

(b) It will not be in the public interest to lay such a statement on the Table of the House.

उत्तर प्रदेश में स्मारकों का परिरक्षण

2157. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963-64 तथा 1964-65 में उत्तर प्रदेश सरकार को ऐतिहासिक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) 1965-66 के दौरान इसी कार्य के लिए कूल कितनी धनराशि देने का विचार किया गया है;

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार को केवल 1964-65 वर्ष के लिए 9045 रुपये की रक्कम नियत की गइ थी जिसे राज्य सरकार स्मारकों की मरम्मत पूरा कराने के बाद ले सकती है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से 1965-66 के दौरान अनुदान के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

Auditoria in U.P. Schools and Colleges

2158. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by Government for the construction of auditoria in the various schools and colleges in Uttar Pradesh during 1964-65; and

(b) the amount which is proposed to be given to that State for this scheme during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Rs. 71,997·00.

(b) A sum of Rs. 32,248·00 has been sanctioned so far. A balance of Rs. 2,23,898·00 remains to be paid in instalments for 33 projects sanctioned in Uttar Pradesh. This will be paid, if and when the conditions laid down are satisfied.

उत्तर प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों की केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति

2159. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कितने पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा वे किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितने पदाधिकारी अनुसूचित जातियों से संबंध रखते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 446 अधिकारी केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त हैं ।

इनमें से :–

6 सचिव हैं,

4 अतिरिक्त सचिव हैं,

24 संयुक्त सचिव हैं,

12 उप सचिव हैं, और

5 अवर सचिव हैं ।

शेष 395 क्षेत्रकार्य पर नियुक्त हैं ।

(ख) 7.

पश्चिम बंगाल के देहातों में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

2160. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 अप्रैल, 1965 को लगभग 40 सशस्त्र पाकिस्तानियों का एक गिरोह कृष्णगंज पुलिस स्टेशन (पश्चिम बंगाल) में गेदे की सीमावर्ती देहातों में अवैध रूप से घुस कर 22 ढोर उठा ले गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस घटना के वास्तविक तथ्य यह हैं कि 22 अप्रैल, 1965 को छः पाकिस्तानी कृष्णगंज पुलिस स्टेशन (पश्चिम बंगाल) में गेदे गांव के एक खेत में घुस आये, तथा एक भारतीय राष्ट्र जन की एक जोड़ी हल और जूआ ले गये।

(ख) डिप्टी कमिश्नर, कुश्तिया (पूर्वी पाकिस्तान) को तथा पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को सख्त विरोधपत्र भेजे गये हैं। उन्हें लिखा गया है कि पशु उनके भारतीय मालिक को लौटाने का प्रबन्ध किया जाय। अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

गुंडागर्दी की समस्या

2161. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुंडागर्दी की समस्या को प्रभावपूर्ण ढंग से हल करने के लिये अपनी नीति तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यह समस्या कितनी भीषण है तथा इसका स्वरूप क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने कुख्यात गुंडे है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : गुंडागर्दी की समस्या तथा विभिन्न राज्यों में किये गये विभिन्न उपायों की प्रभावात्मकता का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा सभापटल पर रख दी जायगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अनुसन्धान केन्द्र

2162. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय इमारत निर्माण अनुसंधान संस्था, रुड़की का दो भागों में विभाजन कर के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र स्थापित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में किस प्रकार का विशिष्ट अनुसंधान कार्य किया जायेगा; और

(ग) क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पेचीदा समस्याओं के सम्बन्ध में इसकी परामर्श सेवाएं सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को उपलब्ध की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) यह केन्द्रीय भवनों, पुलों तथा अन्य इमारतों से संबंधित संरचनात्मक समस्याओं में विशिष्ट डिज़ाइन तथा विकास कार्य के लिए एक अनुसंधान विद्यालय के रूप में विकसित होगा।

(ग) जी, हां।

Kumari Mridula Sarabhai

2163. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya** : **Shri Surendra Pal Singh** :
Shri Bade : **Shri Bagri** :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi residence of Kumari Mridula Sarabhai has become the base of anti-national activities since the arrest of Sheikh Abdullah;

(b) whether it is a fact that in the said house, secret transmitters are also installed through which the news are conveyed to Pakistan;

(c) whether it is also a fact that the news of the arrest of Sheikh Abdullah was first broadcast from the Pakistan Radio; and

(d) if so, the action taken by Government to prevent these anti-national activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) It is a fact that since the internment of Sheikh Abdullah on May 8, Kumari Mridula Sarabahai had intensified her propaganda showing Sheikh Abdullah and the activities of the Plebiscite Front in a favourable light.

(b) Government have no such information.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government have taken suitable measures to prevent dissemination of prejudicial matter by Kumari Sarabhai.

नौगां गांव (काश्मीर) में दहनशील तरल पदार्थ

2164. श्री यशपाल सिंह :
श्री० दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री० नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने दहनशील तरल पदार्थ के सम्बन्ध में, जो श्रीनगर से लगभग छः मील दूर नौगां गांव में 280 फुट गहरे नलकूप से फूट कर निकल रहा है, रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थल पर इस तरल पदार्थ की जांच करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कोई दल वहां भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस दल की उपपत्तियां क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) गैस के नमूनों के रसायन विश्लेषणों से कम गहराई पर मैथेन युक्त दलदल गैस की विद्यमानता का पता लगा है। उपपत्तियों (find) के व्यापारिक महत्व का आंकन करने से पहले और जांच की आवश्यकता है।

राजधानी में जेबें कटने की घटनायें

2165. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री० रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में तथा अन्तर्नगरीय स्तर पर जेब कतरे सुसंगठित गिरोहों में काम करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1963, 1964 तथा 1965 में (अब तक) राजधानी में जेबें कटने की कुल कितनी घटनाओं की सूचना मिली है; और

(ग) इस शरारत को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये है और कहां तक कारगर सिद्ध हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसा कोई गिरोह दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) 1963 में 1082 मामले दर्ज हुए, 1964 में 1191 और 1965 में (अगस्त के अंत तक) 739.

(ग) राजधानी में जेबें कटने की घटनाओं को कम करने के लिये किये गए प्रमुख उपायों में से कुछ उपाय इस प्रकार है :—

(i) प्रमुख बस स्टोपों तथा अन्य जनाकीर्ण स्थानों पर सादा वर्दी पुलिस वाले नियुक्त किये गए है ताकि जाने पहचाने जेब कतरों को पहचान सकें ।

(ii) अभी हाल में कुख्यात जेब कतरों के फ़ोटो तैयार किये गए हैं ताकि थानों के कर्मचारी निगरानी का काम प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें ।

(iii) मौके पर पकड़े जाने वाले सभी जेब कतरों से अपराध शाखा के पुछताछ केन्द्र में पूछताछ की जाती है ताकि गिरोहों की गति विधियां या जेब कटने की अन्य घटनाओं के बारे में पता चलाया जा सके ।

(iv) जाने पहचाने ज़ेबकतरों की गतिविधियों की उद्यतन गतिविधियों का व्यौरा रखने की चेष्टाएं की जा रही हैं इसमें उनकी पिछली सजाओं का विवरण भी शामिल होता है ताकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 75 के अधीन सख्त सज़ा पर बल दिया जा सके ।

इन उपायों के फलस्वरूप 1964 (अगस्त के अंत तक की अवधि) में 749 के मुकाबिले 1965 में इसी अवधि में जेब कटने की घटनाओं की संख्या 739 हो गई ।

लाटरियें

2166. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री अ० व० राघवन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारें लाटरियों तथा रैफलों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया है और किन कारणों से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) : पंजाब तथा मद्रास की सरकारों ने लाटरियों की वर्तमान स्वीकृति समाप्त होने पर विचार करने का वचन दिया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारें ने सिद्धान्त रूप से तो केन्द्रीय सरकार की इस नीति को स्वीकार किया है कि रैफलों को आमतौर पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये, किन्तु इस बात पर बल दिया है कि दान तथा माननीय उद्देश्यों के लिये कार्य करने वाले संगठनों को इससे छूट दी जानी चाहिये, खास तौर पर ऐसे संगठनों के सम्बन्ध में जिनके बारे में राज्य सरकार को इतमीनान हो कि उनका सम्बन्ध उपयुक्त हाथों में है ।

पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से सम्बन्धित नियम

2167. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से सम्बन्धित आदर्श नियम राज्यों को भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ल० ना० मिश्रा) : (क) जी हां।

(ख) गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी होने वालों के खिलाफ़ पुलिस द्वारा बल प्रयोग के न्यादर्श नियमों की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 4859/65।]

उर्वरक कारखानें

2168. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया तथा हंगरी ने भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : कई प्रकार के उर्वरकों को तैयार करने के संयन्त्रों की सप्लाई के लिए आस्ट्रिया के मेसर्ज़ वोयस्ट (M/s. Voest of Austria) से आस्ट्रियन ऋण के अन्तर्गत एक पेशकश वसूल हुई है। जटिल (Complex) उर्वरक निर्माण के क्षेत्र में फर्म के अनुभव और उपयुक्तता की जांच की जा रही है। भारत में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए हंगरी द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली के न्यायालयों में निर्णयों की प्रतियों के दिये जाने में विलम्ब

2169. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के न्यायालयों में संबंधित व्यक्तियों को निर्णयों की प्रतियां दिये जाने में बहुत देर की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Administrative Posts in C.S.I.R.

2170. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the C.S.I.R. have made a rule with regard to administrative posts that nobody would be allowed to officiate on an administrative post for more than one year;

(b) if so, the number of officers in the C.S.I.R. Headquarters in whose case the above rule has not been made applicable; and

(c) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandaran) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

4—35 L. S./65

योग्यता छात्रवृत्तियां

2171. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन बच्चों को इस वर्ष रिहायशी स्कूलों में अध्ययन के लिये योग्यता छात्रवृत्तियां दिये जाने के लिये चुना गया है, क्या उनके माता-पिता ने सरकार से प्रार्थना की है कि बच्चों को पूरी रियायतें दी जायें;

(ख) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांग क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) दो बच्चों के माता-पिता से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) एक बच्चे के माता-पिता ने कहा है कि आय की कसौटी का अन्त कर देना चाहिये या निम्नलिखित प्रकार से वर्तमान नियमों में सुधार किया जाना चाहिये :

(1) जिन बच्चों के माता-पिता का वेतन एक हजार रुपये से कम है उन को स्कूल के शुल्क से पूरी छूट होनी चाहिये ।

(2) जिन बच्चों के माता-पिता की आय एक हजार और दो हजार के बीच है उन को आधे स्कूल शुल्क की छूट दी जानी चाहिये ।

(3) यदि आय दो हजार से अधिक है तो कोई छूट नही दी जानी चाहिये ।

दूसरे बच्चो के माता-पिता चाहते हैं कि स्कूल शुल्क की छूट के लिये आय में एक हजार की सीमा को बढ़ा कर 1500 तक कर दिया जाये।

(ग) अभी चालू आय सीमाओं को ही रखने का निश्चिय किया गया है।

Fall of a Shell near Ganganagar Railway Station

2172. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a shell weighing 5 maunds fell with a big bang near the railway line at the outer signal of Ganganagar Railway Station on the Lucknow and Rae Bareli section on the 21st June, 1965 at about 02·30 hours;

(b) if so, whether Government have got the shell examined; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Two spherical objects weighing 224·5 lbs. and 221 lbs. respectively were found by some villagers on the Rai-Bareilly-Lucknow Road near Ganga Ganj Railway Station, on 22nd June, 1965 at 2·00 A.M.

(*b*) Yes, Sir. They are being examined.

(*c*) Does not arise.

देश में अपराध की स्थिति

2173. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य रूप से देश में तथा विशेष रूप से केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में अपराध की स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या स्थिति का सामना करने के लिये पुलिस बल पर्याप्त रूप से सज्जित है और यदि कोई कमियां अनुभव की गई है, तो व क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : च ोंकि विधि और व्यवस्था की स्थापना तथा पुलिस प्रशासन राज्य सरकारों के विषय हैं, राज्य सरकारें समय समय पर अपराधों की स्थिति का पुनरीक्षण करती हैं, तथा अपने पुलिस दलों और उपस्कर की कमी पूर्ति के लिये और अपराधों को नियन्त्रण में लाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करती हैं।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें समय समय पर अपराधों की स्थिति का पुनरीक्षण करती हैं। समय समय पर पुलिस दल की शक्ति तथा उसके उपस्कर का पुनरीक्षण भी किया जाता है। पुलिस की स्थिति का अध्ययन करने तथा उसके सुधार के लिय उपायों की सिफ़ारिश करने के लिये मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन दियु, पांडीचेरी और दादरा व नागर हवली में भारत सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। दिल्ली में पु.लस दल को और अधिक सुदक्ष व सुसज्ज बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन एक अपराध विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का भी विचार है।

मध्य प्रदेश के स्कलों में विज्ञान की पढ़ाई

2174. श्री विद्याचरण शुक्ल : | **श्री वाडीवा :**
श्री अ० सिं० सहगल : | **श्री चांडक :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : | **श्रीमती मिनीमाता :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई से संबंधित सामान की सप्लाई के बारे में जांच की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिनमें विज्ञान की पढ़ाई से संबंधित प्रयोगशालाओं में बहुत कम सामान है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का कितनी सहायता प्रदान करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) पता लगा है कि राज्य सरकार ने उपकरणों की पर्याप्ति के बारे में अपेक्षित आंकड़े एकत्र किये हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये स्तर के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की प्रयोगशालाओं में उपकरणों का अभाव था।

(ग) 1964-65 की अवधि में केन्द्र ने 5.56 लाख रुपये की सहायता दी थी। दूसरी योजना के अन्त में जो स्कूल थे उन को सुदृढ़ करने के लिये चालू वर्ष (1965-66) में और 34.25 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

यह राज्य सरकार और स्कूल के प्रबन्धको की ओर से दी जाने वाली निधि के अतिरिक्त है।

दिल्ली में भूमि के दाम

2175. श्री बागड़ी : | **श्री दाजी :**
श्री मुहम्मद इलियास : | **श्रीमती विमला देवी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1965 को, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भूमि के क्या दाम थे;

(ख) ये दाम भारत के अन्य बड़े शहरों के नगरीय क्षेत्रों में भूमि के दामों की तुलना में कम है या अधिक; और

(ग) दिल्ली में भूमि के दामों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली के पंजीकरण महानिरीक्षक के कार्यालय में पहली अगस्त, 1965 को पंजीकृत बिक्रियों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भूमि के मूल्य को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4860(i)/65।**]

(ख) नगर तथा देहात योजना संगठन, नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के आधार पर शोलापुर, नागपुर तथा कलकत्ता के नागरिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4850(ii)/65।**] भारत के अन्य बड़े नगरों के बारे में सूचना एकदम उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने पहले ही दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा बिक्री की योजना लागू की है। इस योजना का ब्यौरा नियम 197 के अधीन श्री पी० जी० देब द्वारा दिये गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 23-3-1961 को सदन के सभा-पटल पर रखे गए एक विवरण में दिया गया था।

विशेष सचिवों के पद

2176. **श्री हेडा :** **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री म० ना० स्वामी : **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष सचिवों अथवा इसी श्रेणी के पदों को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : विशेष सचिवों के पदों को समाप्त करने का निर्णय नहीं किया गया अपितु केवल यह निर्णय किया गया है कि विशेष सचिवों की नियुक्ति केवल तभी की जाय जब सचिव श्रेणी के अधिकारी को ज़रूरत हो, और सचिव का पद न दिये जाने के लिये विशेष कारण हो।

भारतीय वैज्ञानिक

2177. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में और विदेशों में काम करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) 1959 में स्थापित किये गये वैज्ञानिक पुंज में शामिल हुए वैज्ञानिकों में से इस पुंजके आरम्भ होने के बाद से अब तक कितने वैज्ञानिक विदेशों को वापिस चले गये हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक संख्या में अपने देश में ही काम दिलाने के लिए चौथी योजना में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) लगभग 50,000 विज्ञान में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त भारतीय देश में नौकरी करते हैं। अनुमान है कि वैसी ही योग्यता के लगभग 1000 भारतीय विदेशों में नौकरी करते हैं।

(ख) वैज्ञानिक पूल में शामिल होने के बाद 52 व्यक्ति विदेशों को लौट गये हैं। उनमें से कुछ आगे के उन्नत अध्ययन अथवा अनुसंधान के लिए कुछ नौकरी करने के लिए और कुछ व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक कारणों से लौटे हैं।

(ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में आचार्यत्व (डाक्टरेट) और स्नातकोत्तर उपाधियों में विस्तार के स्तर पर विचार करते हुए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में, वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यकारी दल ने योजना आयोग के विचार के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं की सिफारिश की है :—

(i) वैज्ञानिक पूल .... 4 करोड़ 50 लाख रुपए ।

(ii) विश्वविद्यालयों आदि में और राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं में छात्रवृत्तियां .... 6 करोड़ रुपए

(iii) अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान .... 8 करोड़ रुपए।

कार्बन ब्लैक गैस और अमोनिया

2179. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्बन ब्लैक गैस और अमोनिया बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या नहरकटिया तेल-क्षेत्र में मिलने वाली समस्त गैस प्रयोग में लाई जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) आयल इण्डिया लि० ने नहरकटिया और मोरन गैस से यूरिया को तैयार करने के एक सम्भाव्य अध्ययन का प्रस्ताव रखा है।

(ख) सम्भाव्य अध्ययन के बाद ही गैस के प्रयोग की मात्रा जानी जायेगी। तो भी गैस की सम्पूर्ण मात्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह प्रतिवर्ष बदलती रहती है।

दण्डकारण्य में दुग्धशाला और लकड़ी के काम का उद्योग

2180. श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क ने दण्डकारण्य में एक बड़ी दुग्धशाला तथा लकड़ी के काम का उद्योगसमूह स्थापित करने के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सहायता किस रूप में दी जायेगी; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) : दण्डकारण्य के लिये डेनमार्क की सहायता का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस बात की कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि सहायता मिलेगी और यदि मिलेगी तो वह किन योजनाओं के लिये होगी।

सीमान्त सड़कों का निर्माण

2181. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने सीमान्त सड़कों के निर्माण के लिय चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये नियतन के अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से मांगें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : जी, हां। पश्चिमी बंगाल की सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

"पायनियर" लखनऊ में प्रकाशित गोआ का मानचित्र

2182. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के एक अंग्रेजी दैनिक "पायनियर" ने 15 जुलाई, 1965 के अपने दूसरे डाक संस्करण में दक्षिण–पश्चिम भारत का एक मानचित्र प्रकाशित किया था जिसमें गोआ को एक पुर्तगाली बस्ती के रूप में दिखाया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : लखनऊ के "पायनियर" नें अपने 14 जुलाई 1965 के संस्करण में दक्षिण-पश्चिमी भारत का एक नक्शा प्रकाशित किया था जिसमें गोआ को गल्ती से पुर्तगाल अधिकृत प्रदेश दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गल्ती की ओर "पायनियर" के समाचार पत्र ने अपने 19 अगस्त, 1965 के संस्करण के मुख पृष्ठ पर इस भूल के लिये खेद प्रकाशित किया।

Excavations near Varanasi

2183. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the remains of the civilization that existed upto 600 A.D. have been found by Varanasi Sanskrit University while digging up the site known as Masoan Ka Tila near Saidpur in District Ghazipur (U.P.), as a result of which new light is likely to be thrown on the civilization of North India;

(*b*) whether the said site is being dug up for the last three months for the purposes of archaeological survey; and

(*c*) if so, the results thereof ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (*a*) to (*c*). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निकोबारी गोले का मूल्य

2184. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय कलकत्ता में निकोबारी गोला 70 रु० से 80 रुपये प्रति मन की दर पर बिका रहा है;

(ख) क्या निकोबार व्यापार लाइसेंसों में निर्धारित किये गये न्यूनतम क्रयमूल्यों में संशोधन किया गया है ताकि वे कलकत्ता बाजार के वर्तमान मूल्यों के अनुसार हो जायें; और

(ग) निकोबार द्वीपसमूह के व्यापार के लिये दिये गय व्यापार लाइसेंसों में उल्लिखित चालू न्यूनतम क्रय-मूल्य क्या है तथा वे कब निर्धारित किये गय थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : अगस्त, 1965 के दौरान कलकत्ता में निकोबारी गोले को औसत विक्रय मूल्य 145 रु० का 50 किलोग्राम या उसके लगभग था। निकोबारी गोले का औसत क्रय मूल्य 37.50 रु० प्रति 50 किलोग्राम है और यह जुलाई 1963 में निर्धारित किया गया था। फिलहाल इन दरों में संशोधन का कोई विचार नहीं है।

नाडिया जिले (पश्चिम बंगाल) में जासूसों की गिरफ्तारी

2185. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1965 में पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के कुछ सीमान्त ग्रामों में पुलिस ने पाकिस्तानी जासूसों के एक सक्रिय गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सूचना के आधार पर की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पुलिस तथा जनता के बीच सम्पर्क

2186. श्री तन सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस जनता के साथ अपने सम्पर्क में सुधार करने तथा अपनी कार्यवाहियों के बारे में जनता को जानकारी देते रहने के लिये एक जन सम्पर्क विभाग स्थापित करेगी ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे विभाग स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली पुलिस में एक ऐसे विभाग की स्थापना का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : यह मामला पूर्णतः राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति में आता है। फिर भी इस बारे में की गई जांच से पता चलता है कि कुछ सरकारों ने जन-सम्पर्क कार्यालय स्थापित कर लिये है जब कि अन्य कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा सीमेंट के लिये बनाया गया प्रायोगिक संयंत्र

2187. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित की गई प्रयोगशाला में 20 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया प्रायोगिक संयंत्र, जो एक दिन में 30 टन सीमेंट पदा कर सकता है, सफल सिद्ध हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट ने सीमेंट के उत्पादन के लिये एक पायलेट संयंत्र (प्लांट) की रूपरेखा तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 20 लाख रुपए है। संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) (i) प्रक्रिया में अच्छी तरह घर्षित चूनापत्थर चिकनी मिट्टी, कोयले का उपयुक्त मिश्रण ग्रंथित करने तथा इसे अध्वाधर भट्टे में सिंटर करने का कार्य समाविष्ट है। भट्टे के तले से दहन के लिये आवश्यक हवा का प्रबन्ध किया जाता है।

(ii) ऊपर के तीन फीट सिंटर क्षेत्र होते हैं।

(iii) प्रत्येक पिंड (नौडयूल) में ईंधन जलता है और चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी के बीच की प्रतिक्रिया के लिये अपेक्षित आवश्यक गरमी प्रदान करता है।

(iv) सीमेंट के अवशिष्ट को एक वायुबन्ध पद्धति द्वारा एक धूर्णक जालिका के माध्यम से निकाला जाता है।

कोट्टीयूर देवास्वम

2188. श्री अ० व० राघवन :

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कन्नानूर जिले में कोट्टीयूर देवास्वम के भक्तों से चंगानासेरी नायर सेवा समिति के पक्ष में देवास्वम भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उस पट्टे के द्वारा कोट्टीयूर मंदिर के कब्जे वाली भूमि का सीमा नि रिण पैमाने द्वारा किया गया है;

(ग) क्या 3 जुलाई 1965 को केरल सरकार ने मद्रास हिन्दू धार्मिक तथा पूर्त धर्मस्व अधिनियम, 1957 की धारा 99(1) के अन्तर्गत कन्नानूर जिले में कोट्टीयूर देवास्वम के वंशागत न्यास ारी को एक नोटिस जारी किया है;

(घ) क्या हिन्दु धार्मिक तथा पूर्त धर्मस्व (प्रशासन) ने, पट्टे को स्वीकृति देने के उद्देश्य से, दस्तावेज के निष्पादन से पहले अथवा उसके निष्पादन के पश्चात् पट्टे संबंधी करारनामे की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Pathan Working in Industrial Concerns in Bombay

2189. Shri Madhu Limaye :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(*a*) whether his attention has been drawn to the fact that in Bombay, thousands of Pathans have been removed from service on the ground that they are Pakistani citizens;

(*b*) whether Government are aware of the fact that they are followers of Badshah Khan and are supporters of Pakhtoonistan and are also prepared to accept Indian citizenship; and

(*c*) if so, whether Government would make any efforts to get them reinstated in the factories of Bombay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) Only 559 Pathans of Pakistani nationality employed in vital industrial undertakings have been removed from service.

(*b*) According to the information received from the State Government non of them was found to be a follower of Badshah Khan or supporter of Pakhtoonistan.

(*c*) Does not arise.

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये पदों का अभ्यंश

2190. श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री सिद्दय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों को, नौकरी के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये, पदों के आरक्षण की अवधि को और आगे बढ़ाने के आदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि इन सुविधाओं के कारण इन जातियों के लोगों को अपना स्तर उंचा करने में कहां तक सहायता मिली है; और

(ग) क्या इस सुविधा को जारी रखने की कोई अवधि नियत की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ग) : सरकारी उपक्रमों के अधीन पद सरकार के अधीन नहीं है और न ही संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 335 उपक्रमों में नियोजन पर लागू होते हैं। कानूनी तौर पर भी सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण की कोई योजना सरकार द्वारा थोपी नहीं जा सकती। इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने सरकारी उपक्रमों के प्रशासकीय मंत्रालयों से अनुरोध किया है है कि वे अपने अधीन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की तरह के आरक्षण करें। जहां यह योजना किसी सरकारी उपक्रम में लागू की जाती है वहां इसके जारी रहने पर कोई समय की सीमा सम्बन्धी बन्दिश नहीं होंगी।

(ख) जी, नहीं।

Chinese Nationals under Detention in India

2191. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that the Chinese nationals who are still in detention in India have refused to go to China; and

(*b*) if so, the number of these Chinese nationals and the place where they have been detained and the period of their detention ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) Yes.

(*b*) The number of Chinese nationals interned in the Central Internment Camp, Deoli, as on the 15th August, 1965, is 157. In addition, there are 36 Chinese nationals detained in jails in Assam, West Bengal, Maharashtra and Punjab. It is not at present possible to say for how long it will be necessary to keep these Chinese nationals in detention.

Raids on Residences of Motor Vehicle Inspectors Under Delhi Administration

2192. Shri P. L. Barupal :
Shri Bagri :
Shri Mohan Swarup :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the residences of some Motor Vehicle Inspectors in Delhi belonging to the Directorate of Transport and the Delhi Police were raided by the personnel of the Central Bureau of Investigation on the 6th August, 1965;

(*b*) if so, the number of officials whose residences were raided as also the total amount seized; and

(*c*) whether any other legal action has been taken against these officials ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) Yes.

(*b*) Residences of 8 officials were searched. The total amount seized is approximately Rs. 2,32,601 in the shape of Cash, gold ornaments etc. and Rs. 1,67,127 in the shape of prize bonds, shares etc.

(*c*) Cases under the Prevention of Corruption Act, 1947, have been registered in respect of three officials. In respect of the remaining five officials, the relevant records are under scrutiny and the further action to be taken in those cases will be considered after the verifications are completed.

दिल्ली में एक नाबालिग लड़की का अपहरण

2193. श्री दलजीत सिंह :
श्री साधू राम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नज़फलगढ़ नाले के निकट 10 मई, 1965 को कुछ व्यक्ति एक 13 वर्षीय लड़की को उठा ले गये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले के बारे में दो व्यक्तियों पर संदेह है। एक गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा व्यक्ति घोषित अपराधी करार दे दिया गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अधीन उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा उस लड़की का पता लगाने की जबर्दस्त कोशिशें की जा रही हैं।

Indian Institute of Advanced Studies

2194. Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) wheteher it is a fact that an Indian Institute of Advanced Studies is being established in Simla;

(*b*) if so, the purpose for which the Institute is being set up; and

(*c*) the financial assistance being given by Government in the establishment of this Institute ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The Institute is being established with a view to providing facilities for advanced study and research to teachers and research workers of universities and similar organisations of higher learning in the fields of Humanities, Indian Culture, Social Sciences, Natural Sciences and Comparative Religion.

(*c*) The Institute will receive grants-in-aid from the Central Government on *cover-the-deficit* basis. Budget provision of Rs. 6·00 lakhs has been made for the institute for 1965-66.

School Course in Delhi

2195. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether Government are aware that the Delhi Municipal Corporation has recommended a twelve year School course; and

(*b*) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (*a*) The Delhi Municipal Corporation has reportedly expressed this view to the Education Commission in reply to a questionnaire sent out by the Commission.

(*b*) The Government is not considering the views expressed by various individuals and institutions in reply to the Education Commission's questionnaire. They will consider the Education Commission's Report when it is received.

Pay Scales of Teachers

2196. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ramanand Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that there are three authorities dealing with education in Delhi *viz:* (i) Delhi Education Directorate, (ii) Delhi Municipal Corporation, and (iii) New Delhi Municipal Committee;

(*b*) whether it is also a fact that the pay scale of trained graduate teachers in the Directorate is Rs. 170-380, while in the Delhi Municipal Corporation it is Rs. 160-300;

(*c*) if so, the reasons for the different scales for teachers doing the same kind of work and whether any representations have been received to have uniform cales of pay for teachers in the Union Territory; and

(*d*) the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (*a*) There are four authorities namely ;

1. Delhi Administration.
2. Municipal Corporation of Delhi.
3. New Delhi Municipal Committee.
4. Delhi Cantonment Board.

(*b*) The pay scale of Rs. 170-380 is admissible for the posts of trained graduate teachers working in composite Higher Secondary Schools irrespective of the administration/authority under which such schools are running, whereas for the trained graduate teachers employed in Middle Schools the scale is Rs. 160-300.

(*c*) and (*d*). Different pay scales have been prescribed for trained graduate teachers working in purely middle schools and those working in composite Higher Secondary Schools because the standard of teaching, the load of work and responsibility in the latter are higher than those in the former.

Representations have been received regarding uniform scales of pay for trained graduate teachers in both types of schools. These representations have been examined but it has not been considered justifiable to allow the same pay scale to teachers of both the groups of schools.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के लिये परिव्यय

2197. **श्रीमती मैमुना सुल्तान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की चौथी योजना के प्रस्तावों से संबंधित योजना आयोग के कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान और सम्बद्ध मामलों के लिए 220 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस दल के वास्तविक प्रस्ताव क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : 23-25 जुलाई, 1965 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यकारी दल की एक बैठक हुई थी जिसमें चौथी पंचवर्षीय आयोजना की वित्तीय आवश्यकताओं तथा विस्तृत अनुसंधान कार्यक्रमों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रस्तावों पर, जो अनुमानतः 220 करोड़ रुपये के थे, विचार किया गया। इस बैठक में कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाएगा तथा योजना आयोग के सामने विचारार्थ उसे प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रोटीन तैयार करने के लिये प्रायोगिक संयंत्र

2198. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के बेकार भाग से प्रोटीन तैयार करने के लिये एक प्रायोगिक संयंत्र लगाने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र ने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ग) क्या पदार्थ तैयार किये गये है;

(घ) क्या उन पदार्थों का परिक्षण कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : पेट्रोलियम पदार्थों से प्रोटीन तयार करने के लिये एक ब्रैंच-स्केल यूनिट के अक्टूबर, 1965 में निर्माण-कार्य आरम्भ करने की आशा है।

(ग) प्रोटीन का रातिब एमिनों अम्ल अधिक मात्रा में होता है।

(घ) और (ङ) : विदेशों में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि पेट्रोलियम पदार्थों से तयार किए गए प्रोटीन के रातिब पशुओं के लिये लाभदायक होते हैं और जब इन्हें पशुओं के चारे में मिलाते हैं तो इनका पशुओं पर या उनका दूध पीने वालों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। उपभोक्ता इसे स्वीकार करते हैं या नहीं उसके बारे में परीक्षण किए जायेंगे।

चेकोस्लोवाकिया के साथ सांस्कृतिक करार

2199. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिकों तथा कलाकारों के आदान-प्रदान के बारे में भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां। यह करार 1959 में हुआ था।

(ख) करार की प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4861/65।]**

रिहायश सम्बन्धी पाबन्दियां

2200. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में रिहायश की पाबन्दियों सम्बन्धी अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि सभी प्रकार की शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये राज्य/क्षेत्र/जिला से बाहर के विद्यार्थियों के लिए समूचे देश से रिहायशी पाबन्दियां हटा दी जायं, परन्तु आवश्यकतानुसार संक्रमण काल में निम्नलिखित प्रबन्ध किय जाने की छूट दी जा सकती है :—

इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सों में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाय (उन संरक्षणों को छोड़कर जिनकी संविधान में व्यवस्था की गई है)। प्रारम्भिक अवस्थाओं में अर्थात् करीब पांच साल के लिए कुल उपलब्ध स्थानों के 25% स्थान राज्य से बाहर के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध किये जा सकते हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में इस समय 50% स्थान उन बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिये रखे जाते हैं जो उस राज्य के बाहर के निवासी है जहां कालिज स्थित है।

इन सिद्धान्तों को चिकित्सा के डिग्री कोर्स में प्रवेश पाने के लिए भी लागू करना चाहिये। फिर भी, प्रारम्भ में करीब पांच साल तक बाहर के उम्मीदवारों के लिए जो स्थान खाली रख जाय केवल 15% ही हैं।

Confidential Reports

2201. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a number of Government employees are not promoted because of the fact that their confidential reports contain certain adverse remarks;

(*b*) whether it is also a fact that even those Officers are authorised to give adverse remarks in the confidential reports of other employees who themselves had been adversely reported upon;

(*c*) whether Government are contemplating to make any change in the present system; and

(*d*) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Misra) : (*a*) Promotions are made on an over-all assessment of the suitability of the officers, as revealed by their Confidential Reports. Whenever there is an adverse remarks on the work etc. of an officer, this fact has to be taken note of by the promoting authority in determining his suitability for promotion. It cannot, however, be said that all such remarks would render an officer unsuitable for promotion; much would depend on the nature of the adverse remark.

(*b*) Yes, sir.

(*c*) Government have not framed any proposal to change the present system.

(*d*) Does not arise.

एनड्रिन परियोजना

2202. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किं :

(क) क्या सरकार "शैल इन्टरनेशनल" के एनड्रिन परियोजना को मंजर कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : भारत में एनड्रिन तयार करने के लिये मेसर्स शैल इण्टरनेशनल केमीकल कारपोरेशन लि०, लण्डन और वेलसीकोल इण्टरनेशनल कारपोरेशन, सी० ए० नास्सू, बहामास के प्रार्थनापत्रों पर भारत सरकार द्वारा अभी विचार किया जा रहा है।

Teachers' Grievances

2203. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to demand Nos. 2 and 3 referred to in the reply given to Starred Question No. 1126 on the 22nd December, 1959, and state :

(*a*) whether most of the teachers have not been re-instated so far in Government Higher/High Schools despite their repeated requests; and

(*b*) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramchandran) : (*a*) As stated already in reply to Starred Question No. 1126 on 22-12-59, all the trained graduate teachers who were transferred to the Corporation and were otherwise eligible to teach in High/Higher Secondary schools at the time of their transfer were given the option to come over to Government schools. All those who opted to serve in Government schools have already been taken back against the vacant posts of trained graduate teachers. The option of teachers who have opted to remain with the Corporation is final and irrevocable.

(*b*) Does not arise.

गोआ के नागरिकों का पुनर्वास

2204. **श्री शिंकरे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय किया है कि अफ्रीका में पुर्तगाली उपनिवेशों में से नौकरी छोड़ कर वापिस आने वाले गोआ के नागरिकों को उपयुक्त नौकरियां नहीं दी जानी चाहिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : सरकार ने एसा कोई निर्णय नहीं किया है ।

राजनयिक स्वागत समारोहों में भाग लेने के बारे में जूनियर अधिकारियों के लिये संहिता

2205. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई निदेश जारी किया है कि जूनियर अधिकारियों को राजनयिक स्वागत समारोहों में भाग लेने से पहले पूर्व-अनुमति प्राप्त करनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबन्ध किस श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार ने एक विशेष स्तर तक के अधिकारियों के लिये विदेशी आयुक्तों के नियंत्रण अबाध रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की है ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता

2206. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के हेतु पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत को विशेष सहायता दिये जाने के बारे में पश्चिम जर्मनी के साथ हाल ही में सरकार ने कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है तथा इससे भारतीय वैज्ञानिकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Arrest of Pakistanis in Delhi

2207. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that three Pakistanis have been arrested in Delhi on the 23rd August, 1965;

(*b*) if so, the time since when these Pakistanis have been living in Delhi;

(*c*) whether Government have taken any action against those persons with whom they were putting up; and

(*d*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) Only one Pakistani was arrested in Delhi on the 23rd August, 1965.

(*b*) to (*d*). These matters are under investigation.

दिल्ली में अनाज व्यापारियों पर आरोप लगाना

2208. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मार्च, 1965 में असैनिक संभरण विभाग के निरिक्षकों ने कुछ अनाज व्यापारियों की दुकानों पर छापे मारे तथा उनके खातों में कुछ अनियमितताएं पकड़ी और इस सम्बन्ध में कुछ दुकानदारों पर आरोप लगाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन दुकानदारों पर आरोप लगाये थे उसके विरुद्ध मामले वापस ले लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में अनाज व्यापारियों की गिरफ्तारी

2209. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर-अक्तूबर, 1964 में दिल्ली के कुछ अनाज व्यापारियों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी फर्मों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनकी फर्मों के नाम क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप थे; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 28 फर्मों पर मुकदमा चलाया गया तथा 52 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। 28 फर्मों के नाम सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4862/65।**]

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अधीन 28 फर्मों पर मुकदमा चलाया गया। इन फर्मों में से एक पर भारत सुरक्षा नियमों की धारा 125 (2) के अधीन भी मुकदमा चलाया गया।

(घ) सम्बंधित 30 मामलों में की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :—

दण्डित—	2
दोषमुक्त —	1
जांचाधीन—	9
रद्द किये गये—	1
लापता—	1
वापिस लिये गये—	16
योग	30

Goondas in Delhi

2210. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police had recently prepared a list of goondas;

(b) if so, the total number of persons belonging to unsocial elements arrested in this connection;

(c) the Section under which they were arrested; and

(d) whether it is a fact that some political workers have also been arrested among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) and (c). With a view to avoid any untoward incidents on the Independence Day, the Police rounded up 164 listed bad characters U/Ss 107/151, Cr. P.C.

(d) No, Sir.

अफ्रीकी लोगों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

2212. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों में रहने वाले एशियाई लोगों के वहां से निकाले जाने सम्बन्धी वर्तमान दशा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भारत की शिक्षण संस्थाओं में अफ्रीकी लोगों की अपेक्षा एशियाई लोगों को शिक्षा सम्बन्धी अधिक सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार किया है अथवा विचार करने का इरादा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : अफ्रीका और एशिया के देशों से विद्यार्थी अध्ययन के लिये भारत में या तो भारत सरकार की ओर से दी गई छात्रवृत्तियों की योजनाओं के अन्तर्गत या अपने खर्चे पर आते हैं। अफ्रीका और एशिया से आने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये भारत की संस्थाओं में छात्रवृत्तियों की संख्या तथा रक्षित स्थान बढ़ा दिये गये है । इन से अफ्रीका के देशों में रहने वाले भारतीयों को अधिक सुविधायें प्राप्त हुई हैं । अफ्रीका के देशों के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या कम करने का हमारा कोई विचार नही है ।

Theft of Cars and Scooters

2213. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many motor cars and scooters are stolen from the premises of the Central Secretariat and from the M.P.'s flats

(b) if so, the number of scooters and cars stolen during 1964; and

(c) the number of cars and scooters recovered ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N Mishra) : (a) and (b) One scooter and two Motor Cycles were stolen from the premises of the Central Secretariat and from the M.P.'s flats during 1964.

(c) One scooter was recovered.

5—35 Lok Sabha/65

उत्तर प्रदेश को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान

2214. **श्री विश्वनाथ पाण्डे :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये कित ी राशि के अनुदान तथा ऋण दिये गये, और

(ख) 1965-66 में इस राज्य को उस प्रयोजना के लिये कितनी धनराशि नियत किये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : 1964-65 के दौरान 29,06,576 रुपयों का अनुदान पेशगी दिया गया था और 65-66 के लिये 75,82,500 रुपयों की राशि नियत की गई थी। कोई ऋण नहीं दिया गया है अथवा न दिए जाने का विचार है।

पांडिचेरी में सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम

2215. **श्री कु० शिवप्रघाशन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के विलय से पहले के सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पिछले चोदह वर्षों से पुनरीक्षण नही हुआ है हालांकि उन्हांने इस की बार-बार मांग की है ; और

(ख) क्या बढ़े हुए निर्वाह व्यय की दृष्टि से अधिक नगर भत्ता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) विलय से पूर्व स्थायी कर्मचारियों के वेतन-क्रम सामान्य तौर पर उनके समान पदों के लिये भारतीय वेतनक्रमों से ऊंचे थे। इन वतनक्रमों को विलय की संधी द्वारा सुरक्षित रखा गया था। इसलिये उनके वेतन क्रमों के उन्नत किये जाने का प्रश्न हीं नही उठता। विलय से पहले के अस्थायी कर्मचारियों को उनकी इच्छानुसार विलय पूर्व के फांसीसी वेतनक्रम अथवा मद्रास के वतनक्रमों में से कोई चुन लेने को कहा गया था। मद्रास के वेतन क्रमों तथा भत्तों में समय समय पर संशोधन भी हो सकता है।

(ख) विलयपूर्व के वेतनक्रम पर नियुक्त स्थायी भूतपूर्व फ्रांसीसी कर्मचारियों को 1960 में एतदर्थ क्षतिपूरक भत्ता दिया गया था। अभी हाल ही में 1965 में क्षतिपूरक भत्ते की दरें बढ़ाई गई थी।

मैसूर में तेल शोधन कारखाना

2216. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में एक तेल शोधन कारखाना स्थापित करने के लिये मैसूर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (ग): जनवरी 1963 में इस सम्बन्ध में मैसूर के मुख्य मंत्री ने प्रार्थना की थी किन्तु उस क्षेत्र में मांग के आधार पर चौथी योजना में मैसूर में एक शोधनशाला की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हुआ।

(घ) इस सम्बन्ध में 16-8-65 को तेल नीति पर दिये गये मेरे विवरण पत्र की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

तिहाड़ सेन्ट्रल जेल, दिल्ली

2217. **श्री बागड़ी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक्टरी सहायता उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली की तिहाड़ सेन्ट्रल जेल में जून 1965 में एक महिला की मृत्यू हो गई थी;

(ख) क्या इस मामले की जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) : श्रीमती सावित्री देवी नामक एक मानसिक रोगिणी महिला जो तिहाड़ सेन्ट्रल जेल में थी, अचानक 15 जून 1965 को मर गई। दिल्ली प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है।

ट्रावंकोर देवास्वम बोर्ड कर्मचारी

2218. **श्री वारियर :**

श्री प्रभात कार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावंकोर देवास्वम बोर्ड कर्मचारियों ने मांग की है कि उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ट्रावंकोर देवास्वम बोर्ड ने जो एक स्वायत्तता प्राप्त निकाय है, इस प्रश्न की जांच करने और अपने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के उपायों के बारे में सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, आसाम

2219. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम का प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज स्थापित करने के लिये आसाम के कछार जिले में सिलचर को अन्तिम रूप से चुन लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक भूमि का अर्जन तथा उसे समतल करना इमारतों का निर्माण आदि जैसा प्रारंभिक कार्य कितना किया गया है; और

(ग) कालेज कब से चालू हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सिलचर में कालेज की स्थापना के लिये ठीक स्थान के बारे में अभी निश्चय करना है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले या दूसरे वर्ष में यह कालेज चालू हो जायेगा।

Study Course for Asian Educationists

2220. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that educationists from 22 Asian countries came to India in the last week of August to participate in a four-month study course in Delhi; and

(*b*) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (*a*) Twenty officials of the Education Department of ten Asian Governments have joined the four-month Course for educational planners and administrators which started at the Asian Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi, on the 23rd August, 1965.

(*b*) A summary of the syllabus giving the main features of the Course is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See No. LT*-4863/65.]

साधना चिट फण्ड

2221. **श्री बालगोविन्द वर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या साधना चिट फण्ड, चांदनी चौक, दिल्ली के विरुद्ध जनता को धोखा देने के **बारे में** दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से कोई शिकायतें की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतें की गई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1965 के दौरान कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा जमा की गई राशियों के दुर्विनियोग तथा नियमित रूप से नीलामी न कराने के बारे में 22 और भुगतान न किये जाने के बारे में 9 शिकायतें दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुई । इनमें से 4 शिकायतें दाखिल दफ्तर कर दी गई क्योंकि उनमें कोई हस्तक्षेप योग्य अपराध नहीं बन सका तथा 14 शिकायतों पर कम्पनी के साथ समझौता कर लिया गया। 10 शिकायतों की अभी जांच की जा रही है। शेष 3 शिकायतों में शिकायत करने वालों ने अपनी मर्जी से अपनी किश्तों का भुगतान रोक दिया था और उनकी चिटें कम्पनी द्वारा जप्त कर ली गई थी।

विदेशों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के विद्यार्थी

2222. **श्री लखमू भवानी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कितने विद्यार्थी सरकारी खर्चे पर तथा कितने अपने खर्चे पर विदेशों में पढ़ रहे है; और

(ख) उनमें यदि कुछ आदिवासी है तो कितने ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह प्राप्त होगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में एक पुराने कब्रिस्तान की खोज

2223. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के पुरातत्व विभाग से उसके द्वारा पालघाट जिले में खोजे गये एक बाईस सौ वर्ष पुराने कब्रिस्तान के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने की गैस

2224. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरों में इंधन के रुप में प्रयोग किए जाने के लिये गौहाटी तेल शोधक कारखाने की गैस को बोतलों में बन्द करने तथा उनके वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने में अवशिष्ट गैसों से तरल पेट्रोलियम गैस पैदा करने के लिये आवश्यक उपकरण प्राप्त कर लिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं। तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) सरकार गौहाटी शोधनशाला में तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन-योजना की जांच कर रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सबइन्स्पेक्टर बनाना

2225. **श्री वाडीवा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में दिल्ली पुलिस के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने हैड कांस्टेबलों को विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नत करके असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टर बनाया गया ; और

(ख) क्या रक्षित कोटे के सभी पद भरे गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : अभीष्ट सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायगी।

मिट्टी के तेल के भाव में वृद्धि

2226. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क में हाल ही में वृद्धि किये जाने के पश्चात दिल्ली में मिट्टी के तेल का भाव बढा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) उत्पादन शुल्क में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये कितनी वृद्धि करना आवश्यक है और बढ़े हुए उत्पादन शुल्क का कितना भाग उपभोक्ताओं को सहन करना होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (ग) : जी, हां। कर में वृद्धि होने के कारण बढ़िया मिट्टी के तेल के विक्रय मूल्य में 51.30 रुपये प्रति किलो लिटर की वृद्धि हुई है। कर की सम्पूर्ण धनराशि उपभोक्ताओं से वसूल की जाती है।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव

2227. **श्री बागड़ी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह स्थगन चुनाव कानून के विरुद्ध नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 4(1) के परन्तुकों से सरकार को पार्षदों तथा नगर-वृद्धों (आल्डरमैनों) के कार्यकाल में वृद्धि करने का (एक वर्ष से अधिक नहीं) अधिकार है ।

भारत में पाकिस्तान-समर्थक मुसलमान

2228. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की अन्तरंग सभा ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि उन भारतीय मुसलमानों को, जिनके परिवार पाकिस्तान में रहते हैं, तथा जिनका अधिकांश कारोबार अथवा सम्पत्ति पाकिस्तान में है, संदिग्ध व्यक्ति घोषित किये जाने के लिये कानून बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार उन लोगों के बारे में सतर्कता वर्तने के प्रश्न पर जागरूक है जिनके हित पाकिस्तान में हैं । फिर भी ऐसे कोई कानून बनाना सम्भव नहीं होगा जैसे हिन्दू महासभा द्वारा सुझाये गये हैं क्योंकि वे हमारे संविधान में की गई व्यवस्थाओं के विरुद्ध होंगे । राज्य सरकार द्वारा समाज विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों की सूचियां रखी जाती हैं ताकि साम्प्रदायिक उपद्रवों अथवा अन्य आंतरिक गड़बड़ों के समय या इस समय की तरह बाहरी आक्रमण का सामना करते समय उनके खिलाफ़ उपयुक्त कार्यवाही की जा सके ।

(ग) भारत सरकार सुरक्षा उपायों को मज़बूत बनाने के विभिन्न सुझावों पर विचार करती रही है और वर्तमान स्थिति में इन पर पहले ही अमल किया जा रहा है ।

युद्ध सेवा कर्मचारियों को पेंशन

2229. **श्री जेधे :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई युद्ध सेवा कर्मचारी असैनिक विभाग में अस्थायी पद पर नियुक्त होने के पश्चात स्थायी कर दिया जाता है तो उसको सम्पूर्ण युद्ध सेवा अवधि असैनिक पद की पेन्शन के निमित्त गिनी जाती है, और उससे वह उपदान वापिस नहीं मांगा जाता जो उसे सेना की सेवा से मुक्त होने पर मिला हो;

(ख) क्या यह भी सच है कि मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ नियम, 1958 के नियम 8(3)(क)(दो) के अनुसार सिविल पद में पेन्शन के लिये अधिक से अधिक 5 वर्ष की युद्ध सेवा ही गिनी जाती है, पूरी युद्ध सेवा नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभा पटल पर आदेशों की एक प्रति रखने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ नियम, 1958 (29-10-63 के संशोधित रूप में) के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में पेंशन के लिये कुल युद्ध सेवा के पूरे किये गए वर्ष गिने जाते हैं।

(ग) इस विषय पर सम्बन्धित नियमित संशोधन नियमों की एक प्रति 11 मार्च, 1964 को सदन के सभा-पटल पर रख दी गई थी।

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जकार्ता में "अेयर इंडिया" के कार्यालय पर हमला

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"13 सितम्बर, 1965 को जकार्ता में एयर इण्डिया के कार्यालय पर इंडोनेशिया के लोगों की एक भीड़ द्वारा हमले का समाचार।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कब जब इस सभा में यह मामला उठा था और अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय से एक वक्तव्य देने को कहा था तो उन्होंने बताया था कि वह विदेशी कार्यालय से कुछ जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने इसको ठिक समझा और आज तक प्रतीक्षा करने को तैयार रहे। लेकिन इतने समय में आज के समाचारपत्रों में यह समाचार पढ कर मुझे आश्चर्य हुआ कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ने राज्य सभा में एक ऐसे ही ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर दिया। यह बड़ी आश्चर्य जनक बात है कि उन्हें पहले जानकारी दे दी गई और हमे इन्कार कर दिया गया।

केवल इतना ही नहीं। "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर युद्ध-विराम के बारे में भी एक ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी। इस सभा में इस को यह कह कर अनुमति नहीं दी गयी कि यह बडा नाजुक मामला है और राज्य सभा में एक अन्य सदस्य ने जब यह प्रश्न उठाया, तो श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने इसका उत्तर दिया और कहा इस बारे में उनको अधिक जानकारी नहीं है, महासचिव यहां पर है और वह स्वयं इस नाजुक मामले पर विचार कर रहे हैं।

अत: इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं कि क्या इस सभा की इस प्रकार उपेक्षा की जानी चाहिए और राज्य सभा को विशेषाधिकारी रूप में माना जाये। आखिर हम निर्वाचित सदस्य हैं। हमें गांधी जी के समझदार बंदर नहीं माना जा सकता कि 'कोई प्रश्न न पूछो, कोई बात न सुनो, कुछ चीज न देखो'।

श्री कपूर सिंह : इसमें कोई असामान्य या आश्चर्यजनक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है और हम सहन करते रहे हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि इस बारे में कल राज्य-सभा में एक ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर दिया गया था। वास्तव में उसका सम्बन्ध इससे पहले की घटना से था जिसके बारे में मैं यहां पर एक ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर दे चुका हूं। वह ध्यान दिलाने वाली सूचना हमारे दूतावास पर प्रदर्शन के बारे में थी। इस एयर इण्डिया की घटना के बारे में कोई ध्यान दिलाने वाली सूचना नहीं थी। वास्तव में इस बारे में राज्य सभा में आज या कल उत्तर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यहां प्रश्न यहां पर कल उठाया गया था और मंत्री महोदय कुछ समय चाहते थे और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें आज तक का समय दे दिया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : दूसरी बात का क्या हुआ । इसका उत्तर वहां पहले दिया गया था ।

श्री स्वर्ण सिंह : उपलब्ध जानकारी के अनुसार 13 सितम्बर, 1965 को लगभग 1.30 बजे म० प० जकार्ता में 'एयर इण्डिया' के मुख्य कार्यालय पर 300 व्यक्तियों की एक भीड ने हमला किया। भीड ने अभिलेखों, फर्नीचर आदि को बाहर निकाल कर आग लगा दी । कार्यालय की खिडकियों को इश्तिहारों से, जिनपर प्रचार सम्बन्धी नारे छपे हुए थे, ढक दिया । हमे बहुत खेद है कि इंडोनेशियाई अधिकारी भीड को यह भद्दा प्रदर्शन करने से न रोक सके और कोई रक्षा व्यवस्था न कर सके ।

इससे हुई क्षति का अभी अनुमान नहीं लगया गया है ।

इससे पहले 11 सितम्बर को इंडोनेशियाई असैनिक उड्डयन विभाग के मंत्री ने भारतीय राजदूत की उपस्थिति में "एयर इण्डिया" के स्टेशन मैनेजर को बुलाकर सूचित किया था कि वर्तमान परिस्थितियों में जकार्ता को एयर इण्डिया की विमान सेवाओं को दो सप्ताहों की अवधि के लिये बन्द कर दिया जाये । वास्तव में "एयर इण्डिया" ने 10 सितम्बर से यह सेवा बन्द कर दी थी ।

हमने अपने राजदूत को सत्यानाश की इस कार्यवाही के विरुद्ध इंडोनेशियाई वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को एक कडा विरोध-पत्र भेजने के लिये निदेश दिये हैं ।

समाचार मिला है कि बम्बई में "एयर इण्डिया" के कर्मचारियों ने यह निर्णय किया है कि वे जकार्ता में "एयर इण्डिया" के कार्यलय को नष्ट करने और इंडोनेशियाई अधिकारियों के रवैये के कारण बम्बई में "गरुड (इंडोनेशियन) एयरवैज" के विमानों की मरम्मत आदि का काम नहीं करेंगे । "गरुड एयरवेज" की बम्बई होकर उड़ाने बन्द कर दी गयी हैं ।

श्री इन्द्रजित गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : कलकत्ता में भी ऐसा हुआ है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार यह समझती है कि इंडोनेशिया में बारबार भारतविरोधी प्रदर्शन और भारतीय सम्पती को जान बूझ कर नष्ट करना केवल इंडोनेशियाई सरकार की सहमति अथवा समर्थन पर ही संभव है ; यदि हाँ, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी कि यदि आवश्यक हुआ तो इंडोनेशिया से कूटनीतिक सम्बन्ध तथा अन्य सम्बन्ध तोड लिये जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के सत्यानाश की कार्यवाही को इंडोनेशियाई आधिरियों द्वारा न रोक सकना बड़ी गंभीर बात है । हम जानते हैं कि दिल्ली में विद्यार्थियों ने अपनी इच्छा से इंडोनेशियाई राजदूतावास पर प्रदर्शन किया था । लेकिन हमारी पुलिस ने कडी कारवाई करके उनकी सम्पत्ति की रक्षा की । अतः भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की भारतीय सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा में इंडोनेशियाई सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में बुरी तरह असफल रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उनकी विमान सेवायें बन्द कर दी गयी हैं । यहां पर अब गरुड इन्डोनेशियन विमान सेवा के विमान नहीं आ सकेंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं सरकार का ध्यान इस और दिला कर, कि इंडोनेशिया सरकार ने हाल में बरास्ता चीन, पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र और लडाकू विमान भेजने का फैसला किया है, यह पूछ सकता हूं कि क्या हमारी सरकार ने सरकारी तौर पर इंडोनेशिया सरकार को यह बता दिया है कि यह कायवाही शत्रुतापूर्ण समझी जायेगी और क्या हमारी सरकार ने श्रीलंका सरकार को इंडोनेशिया के लडाकू विमानों को अपने यहां से गुजरने से इन्कार कर देने पर बधाई दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। केवल प्रथम भाग का ही उत्तर दिया जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, मैंने इंडोनेशिया में अपने राजदूतावास पर प्रदर्शन के बारे में इस सभा को सूचित करते हुए एक वक्तव्य दिया था कि जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया है और आक्रमण करना जारी है तो किसी भी सरकार द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देना शत्रुता पूर्ण है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने उनको बता दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने सभी देशों को बता दिया है और निश्चित ही इंडोनेशिया को इस बारे में हमारे दृढ़ विचारों का पता है।

श्री हेम बरुआ : मैं ने साफ साफ पूछा था कि क्या इंडोनेशिया सरकार को सरकारी तौर पर यह बता दिया गया है कि भारत इस कार्यवाही को शत्रुतापूर्ण समझता है। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारी सरकार श्रीलंका सरकार को उनकी कार्यवाही के लिये बधाई दे।

श्री स्वर्ण सिंह : संसद में दिये गये वक्तव्य का मतलब है कि मैं सरकारी की सहमति पर वक्तव्य दे रहा हूं और यह केवल इंडोनेशिया के लिये ही नहीं बल्कि समूचे संसार के लिये एक स्पष्ट चेतावनी है लकिन इसके अतिरिक्त मैं ने इंडोनेशिया सरकार को सरकारी तौर पर पत्र भी लिखा है

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) **:** जैसा कि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के अब तक के वक्तव्यों ने पता चलता है, हमारे दूतावास पर तथा "एयर इण्डिया" के कार्यालय पर इस प्रदर्शन और विध्वंस के पीछे सरकारी हाथ था, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इंडोनेशिया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोडनेपर विचार करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी : मैं पूछ रहा हुं कि क्या उनका ऐसा विचार है। वे किस प्रकार वहां पर हमारे व्यक्तियों का संरक्षण करेंगे, क्या ये कटु सम्बन्ध इसी प्रकार चलते रहेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार दूतावास के कर्मचारियों अथवा अन्य पदाधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परस्पर आधार पर वहां की सरकार की होती है जहां वे लोग कार्य करते हैं और इस मामले में इंडोनेशिया सरकार स्पष्टत: अपनी इस जिम्मेवारी को निभाने में असफल रही है। इस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनसे कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद करलें।

श्री अ० प्र० शर्मा : अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि इंडोनेशिया सरकार हमारे लोगों का संरक्षण करने में असफल ही नहीं रही है बल्कि उन्होंने ऐसा करने से इन्कार भी कर दिया है। इस बात को देखते हुए इंडोनेशिया के साथ कूटनितिक सम्बन्ध विच्छेद करने में और वहां से अपने व्यक्तियों को वापस बुलाने में क्या कठिनाई है। जब लोगों को वहां संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो क्या हमारी सरकार उनको संरक्षण देगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मै ने यह नहीं कहा कि उन्होंने संरक्षण देने से इन्कार कर दिया है। वे संरक्षण देने में असफल रहे हैं। यह उनकी जिम्मेवारी है।

आचार्य कृपलानी : जब मंत्री महोदय का यह कहना है कि ये सम्बन्ध पारस्परिक आधार पर हैं तो क्या हमको भी उनके दूतावास को आग लगाने का अधिकार है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** The Hon. Minister has said that the Government organised this vandalism. I want to know whether the Government want to take some retaliatory action against their embassy here ? How far we shall be tolerating insult ?

श्री स्वर्ण सिंह : मै ने यह नहीं कहा कि उनकी सरकार ने इसका आयोजन किया । कठोर भावनाएं होते हुए भी बदला लेने का यह तरीका नहीं है कि हम इंडोनेशियाई सम्पत्ति को क्षति पहुंचाएं। हमें कुछ भिन्न प्रकार का इज्जतदार लेकिन दृढ रवैया अपनाना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How far shall we be tolerating our insult ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि हमें एक समझदार राष्ट्र की तरह बर्ताव करना चाहिये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि ये प्रदर्शन एक विशेष बस्ती, सुषमा बाजार में किये गये हैं जो कि इंडोनेशियाई साम्यवादी दल का गढ है और यदि हों, तो क्या सरकार किसी कारण यह सोच सकती है कि इसमें चीनियों का कुछ हाथ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ये घटनाएं, एक भारतीय दूतावास में और दूसरी एयर इण्डिया के कार्यालय में, दो भिन्न स्थानों पर हुई । मैं बता चुका हूं कि पहले के प्रदर्शन में इंडोनेशिया के साम्यवादी दल का हाथ था इस मामलेमें मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इसमें चीनियों का कोई हाथ है या नहीं ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) **:** Much time was spent on publicising our foreign policy in neutral and Afro-Asian countries but it had no ıesult as is evident from the Chinese attack and Indo-Pak hostilities or as has happened in Djakarta. So, whether some time would be spent in this connection in Russia and America ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह नीति विषयक बडा व्यापक प्रश्न है जिस पर ध्यान दिलानेवाली सूचना पर चर्चा के समय विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री कपूर सिंह : जकार्ता में बार बार हो रहे हमारे विरुद्ध प्रदर्शनों को देखते हुए, क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि भारत के बारे में राष्ट्रपति सुकर्ण की क्या इच्छा है, विशेषतः यह कि क्या वह हमसे कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करनां चाहते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने इस बारे में राष्ट्रपति सुकर्ण की इच्छा जानने का प्रयत्न नहीं किया है ।

श्री कपूर सिंह : अब ऐसा किया जा सकता है; यह मेरा सुझाव है ।

श्री सोलंकी : वैदेशिक-कार्य मंत्री ने अभी बताया है कि सरकार ने एक कडा विरोध-पत्र भेजा है । एक अन्य दिन भी इन्होंने कहा था कि हमने इसको बडा गंभीर मामला समझा है और कडा विरोध प्रकट किया है । लेकिन तीन दिन पहले समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने खुले रूप से यह कहा कि "हम इन विरोध-पत्रों के आदि हो गये है ।" यदि इंडोनेशिया सरकार का यह विचार है तो सरकार और क्या उपाय कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इंडोनेशियाई एयरलाइन्स के बारे में मैं बतला ही चुका हूं । इसके अतिरिक्त हम स्थिति पर गौर करेंगे और इस समय कोई भडकाने वाला कदम नहीं उठाएंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि वहां पर भारतीयों की, हमारे दूतावास की और "एयर इण्डिया" की सम्पत्ति नष्ट करने के अतिरिक्त इंडोनेशिया सरकार हमारे विरुद्ध इस्तेमाल के लिये पाकिस्तान को रूस में निर्मित विमान देने का प्रयत्न कर रही है ताकि रूस के साथ झगडा हो सके और यदि हां, तो क्या उनको कोई विरोधपत्र भेजा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान को कोई विमान अथवा युद्ध सामग्री दिये जाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है; हम सारी स्थिति पर बडी सावधानी से गौर कर रहे हैं । लेकिन इस मामले में जो कुछ भी हम कर सकते हैं, करेंगे ।

श्री दाजी : क्या सरकार ने पूछा है या इंडोनेशिया सरकार ने बताया है कि इन सभी मामलों में पुलिस घटनास्थल पर विध्वंस-कार्य के बाद आराम से क्यों पहुंची ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे बार बार पूछे जाने पर भी वह कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) **:** On the 12th September when students staged a peacefull demonstration before the Indonesian Embassy, our Government treated them harshly and they were not even allowed to give their protest note. I want to know whether Government allowed the Police to make lathi-charge on the students and the number of students injured in this incidence ?

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । यह एक भिन्न विषय है । आप एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : प्रश्न यह था कि हमारी पुलिस ने इंडोनेशियाई दूतावास पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठी-चार्ज कैसे किया । इस मामले में सरकार का क्या रवैया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister of External Affairs stated about the Indonesian culture and Indian culture. Does it come in the Indian culture that lathi-charge should be made on students.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न की अनुमति नही दी है ।

श्री बड़े : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि भारत में इंडोनेशियई दूतावास पर जबाबी प्रदर्शन न किया जाये और जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया उन पर प्रतिबन्ध लगाये गये.........

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता । **(अन्तर्बाधा)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Why lathi charge was made ?

Shri Onkar Lal Berwa : It must be replied.

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप इस पर जिद करेंगे तो मैं आपसे सदन से बाहर चले जाने को कहूंगा । आपको अध्यक्ष-पीठ के आदेश मानने चाहिये । **(अन्तर्बाधा)**

श्री जी० अ० कृपलानी (अमरोहा) **:** जब हमारे जवान मोर्चे पर अपनी जान लड़ा रहे हैं तो संसद् में ऐसे दृश्य.......

Dr. Ram Manohar Lohia : Eight students received injuries including fracture.

श्री दी० चं० शर्मा : इंडोनेशिया में कई घटनाएं हुई हैं, हमारे दूतावास पर आक्रमण हुआ है, हमारी विमान-सेवा के कार्यालय पर आक्रमण हुआ है और हमारे दुकानदारों पर आक्रमण हुआ है । इंडोनेशिया चीनी शस्त्रास्त्र अपने देश से होकर पाकिस्तान भेज रहा है । इन सब बातों को देखते हुए क्या हमारी सरकार यह नहीं समझ सकती कि क्या होने वाला है ? क्या हमारी सरकार यह नहीं समझती कि इंडोनेशिया पाकिस्तान और चीन का साथी होते हुए भारत के साथ अघोषित युद्ध की स्थिति बनाई हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी राय है ।

श्री स्वर्ण सिंह : वहां पर कई अवसरों पर जनता की भीड़ की कार्यवाही बडी आपत्तिजनक रही है और इंडोनेशिया सरकार उन पर नियंत्रण करने में असमर्थ रही है। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि हमें ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिये जो कि नहीं है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 11 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1332 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4853/65**]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्री मु० क० चागला की ओर से मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1963–64 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखों तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4854/65।**]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1965

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्री हाथी की ओर से मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 15 मई 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 730 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 5 जून, 1965 की जी०एस०आर० 784 द्वारा शुद्धि की गई। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4855/65।**]

केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965

KERALA APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1962 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1962 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवा के लए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले वधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965

KERALA APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965

APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1965.

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1965

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1965

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री स० का० पाटिल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1965

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL. 1965

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री स० का० पाटिल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्यों कि लड़ाई के बारे में जबरदस्त अफवाहें फैल रही हैं, क्या आप प्रधान मंत्री से अथवा प्रतिरक्षा मंत्री से या दोनों से यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या आज सभा में कोई वक्तव्य दिया जाएगा ताकि हम उस समय यहां उपस्थित रह सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा ।

भाण्डागारण निगम (अनुपूरक) विधेयक

WAREHOUSING CORPORATIONS (SUPPLEMENTARY) BILL

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): म प्रस्ताव करता हूं कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 के उपबन्धों की पूर्ति करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"**अधिनियमन सूत्र**

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 10, में शब्द 'पन्द्रहवें' **के स्थान पर** शब्द 'सोलहवें' **रखा जाये**।

खण्ड (1)

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13, में अंक '1964' **के स्थान पर** अंक '1965' **रखा जाये**।

अनुसूचि

(3) कि पृष्ठ 2 में पंक्ति 20 और 21 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये**, अर्थात् :—

'5. मैसूर

6. पंजाब

7. राजस्थान

8. उत्तर प्रदेश।' "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भाण्डागाराण निगम अधिनियम, 1962 के उपबन्धों की पूर्ति करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"**अधिनियमन सूत्र**

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 10, में शब्द 'पन्द्रहवें' **के स्थान पर** शब्द 'सोलहवें' **रखा जाये**।

खण्ड (1)

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13, में अंक '1964' **क स्थान पर** अंक '1965' **रखा जाये**।

अनुसचि

(3) कि पृष्ठ 2 में पंक्ति 20 और 21 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये**, अर्थात् :—

'5. मैसूर

6. पंजाब

7. राजस्थान

8. उत्तर प्रदेश।' "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खंडवार चर्चा करेंगे।

प्रश्न यह है :

"**अधिनियमन सूत्र**

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 10, में शब्द 'पन्द्रहवें' **के स्थान पर** शब्द 'सोलहवें' **रखा जाये**।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड (1)

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13, में अंक '1964' **के स्थान पर** अंक '1965' **रखा जाये।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"**अनसूची**

(3) कि पृष्ठ 2 में पंक्ति 20 और 21 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जायें**, अर्थात् ---

'5. मैसूर

6. पंजाब

7. राजस्थान

8. उत्तर प्रदेश।'"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री० दा० रा० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : राज्य सभा को अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। उनको तो अनौपचारिक रूप से संशोधन कर देने चाहिये थे जो इस सभा द्वारा स्वीकार कर लिये जाते। लेकिन यहां पर सहमति का प्रश्न नहीं है, यहां पर प्रश्न राज्य-सभा द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का है। यदि राज्य सभा द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं तो इस विधेयक को सारा का सारा चर्चा के लिये पेश किया जाना चाहिये था ताकि हम इन चार एककों को और रखने के परिणामों पर विचार कर सकते।

य संशोधन आरम्भ में ही क्यों नहीं किये गये। राज्य सभा को इनका सुझाव क्यों देना पड़ा। अनुसूची में चार और राज्यों को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार ने क्यों स्वीकार किया।

इस प्रस्ताव का मतलब सारे कानून में संशोधन करना है। लगता है कि सरकार की ओर से कहीं पर कुछ गलती हुई है। जब इस विधेयक को इस सभा में मूल रूप से पुरःस्थापित किया गया था तो तब इन चार राज्यों को शामिल करने पर क्यों विचार नहीं किया गया? मैं इस बारे में सरकार का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री दा० रा० चव्हाण : राजस्थान और मैसूर को अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। दोनों ने क्रमशः 21 अक्तूबर, 1964, और 6 फरवरी 1965 को अपेक्षित संकल्प पारित कर दिये हैं। अतः यह संशोधन केवल औपचारिक है, इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक

LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जीवन निगम अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

क्योंकि विधेयक के केवल चार खंड हैं, अतः मैं कारणों और लक्ष्यों के बारे में सदन का समय नहीं लूंगा। वे तो स्वयं ही स्पष्ट हैं। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 का अभिप्राय यह व्यवस्था करने का है कि जीवन बीमा निगम के जीवनाविक बचत के 5 प्रतिशत भाग का केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वतः अपने उद्देश्य के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। जिस ढंग से यह प्रयोग हो वह सरकार निर्धारित करे। इस उपबन्ध का अभिप्राय यह है कि यदि सरकार चाहे तो वह इस फालतू रकम की राशि का केन्द्रीय सरकार के राजस्व में डाल सकती है। इस प्रकार सरकार निगम के बीमाकृत लोगों के प्रति और भी अधिक न्यायपूर्ण व्यवहार करती है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, जबकि केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि फालतू रकम के शेष भाग को किस प्रकार उपयोग में लाया जाये, किन्तु वह इस रकम को राजस्व के रूप में विनियोजित नहीं कर सकती। चूंकि भूतकाल में सरकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा फालतू रकमों का निर्धारण किये जाने के पश्चात् उन्हें राजस्व में शामिल करके उनको पुनः साथ विनियोजित किया है। अतः कानून में उपयुक्त रूप से संशोधन करके उसे स्पष्ट करना तथा अधिनियम की धारा 28 का मूल अभिप्राय को कार्य रूप देना आवश्यक हो गया है।

यह भी व्यवस्था की गई है कि अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत निगम पर समर्पित दायित्व बीमाकृत लोगों को नियत किये जाने के पश्चात् शेष फालतू रकम पर प्रथम प्रभार होगा। जहां तक निगम द्वारा सामान्य बीमा व्यवसाय चलाये जाने का सम्बन्ध है, सामान्य बीमा व्यवसाय में होने वाले विनियोज्य लाभ को केन्द्रीय सरकार निगम के थोक अंशधारियों को देने के लिये अधिनियम में एक विशिष्ट उपबन्ध की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

इन शब्दों से मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : सरकार को यह नहीं है कि सरकार पहले की तरह ही जीवन बीमा निगम की फालतू राशि को वैसे ही समझे जैसे कि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से पहले बीमा कम्पनियां समझा करती थी। बीमा कम्पनियों का अब दृष्टिकोण बदला हुआ है। यह भी कहा गया है कि 1956 के अधिनियम को पारित करते समय सरकार का यही उद्देश्य था कि जो भी फालतू राशि उपलब्ध हो, उसका 5 प्रतिशत सामान्य राजस्व में डाला जाये। परन्तु इसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। और इसकी विशेष रूप से व्यवस्था की जा रही है। जांच करने पर भी उस अधिनियम की धारा 28 में ऐसा लक्ष्य कही भी नहीं दिखाई देता है। इस दिशा में यह उल्लेखनीय है कि जब मूल अधिनियम को प्रवर समिति के सपुर्द करने का प्रस्ताव रखा गया था तो वित्त मंत्री ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया था। प्रवर समिति के अप्रैल 1956 के प्रतिवेदन में दो सदस्यों ने अपना विमति टिप्पण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि फालतू राशि प्रतिवर्ष अधिक चली जायेगी। सरकार ने इस सम्बन्ध में यह संकेत नहीं दिया है कि यह राशि किस प्रकार प्रयोग हो रही है।

जब इस विधयक पर खण्डवार चर्चा हो रही थी तो मंत्री महोदय ने कहा था कि इस राशि का 5 प्रतिशत भाग निगम को जायेगा। निगम सरकार से बिलकुल भिन्न संगठन है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि इसका उद्देश्य केन्द्रीय राजस्व में विनियोजित करना है। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्थिति

[श्री नारायण दांडेकर]

लगभग वही हो रही है जैसी कि उच्चतम न्यायालय ने बताई थी। सरकार 5 प्रतिशत का प्रयोग गलत ढंग से कर रही थी। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस 5 प्रतिशत में से राष्ट्रीयकरण से पूर्व की कम्पनियों के दायित्वों का भी भुगतान किया जाय। अतः मेरा मत यह है कि यह विधेयक सरकार की ओर से सदन को भ्रांति में डालने का एक प्रयास है उसका तो यही मत चला आया है कि इस राशि का प्रयोग राजस्व के रूप में विनियोजन किया जाय।

जीवन बीमा निगम अधिनियम 17 फरवरी, 1956 को पुरस्थापित हुआ था। वहां खंड 24 के बारे में कोई टिप्पणी नहीं मिलता। मेरा मत यह है कि जहां तक इस धारा 28 (क) का सम्बन्ध है, जिसे खंड 4 के द्वारा पुरःस्थापित करने का प्रयास किया गया है कि निगम और सरकार को विशेष रूप से विशेष परिस्थिति में एक ही बात समझा जा सकता है। मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है, और सिद्धान्त का प्रश्न है। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी इस बारे में की गयी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। प्रवर समिति की कार्यवाही में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

इस परिस्थिति में, और उन हालात में जब समस्त जीवन बीमा व्यापार का एक निगम बना, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, तो यह निगम एक प्रकार से पारस्परिक बीमा समिति के रूप में हमारे समक्ष आता है। एक सिद्धान्त की बात है कि सरकार अपनी लगी हुई पूंजी के पुनः भुगतान के लिए केवल प्राप्त होने वाले लाभ की ही हकदार होती और कुछ नहीं। सरकार इस मामले में फिसल गयी है। सरकार का इस मामले में आने का कोई काम नहीं है। इस तरह मुख्य सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री दाजी (इंदौर) : प्रत्यक्षतः यह सरल लगने वाला 4 खंडों वाला विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि जीवन बीमा निगम को उसे कितना भाग देना है। संशोधन विधेयक से भी मामला स्पष्ट नहीं होता। सरकार इस मामले में स्पष्ट नहीं है। सरकार को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि निगम को कितनी अधिक राशि अपने कार्यों के लिए रखनी है। इस विधेयक से वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा जो कि सरकार प्राप्त करना चाहती है।

जब जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो बहुत आशायें लगी थी और बहुत से आश्वासन दिये गये। परन्तु यह सत्य है कि निगम के कार्य ने कुछ प्रगति नहीं की है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निगम का कार्य क्यों प्रगति नहीं कर रहा जैसा कि उससे आशा की जा रही थी। यह सत्य है कि काम काफी बढ़ रहा है। क्या यह वृद्धि उसी लक्ष्य के अनुसार हो रही है जैसा कि आशा की थी। इसका उत्तर यह है कि नहीं हो रही। हमारे कम से कम लक्ष्यों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। इस बात को हम स्वीकार करते है कि कठिनाइयां थी, परन्तु उन कठिनाइयों के अतिरिक्त निगम के कार्यों को भी दोष रहित नहीं कहा जा सकता।

निगम के कार्य संचालन में बहुत त्रुटियां है। 1955 के मुकाबले में व्ययगत राशि का अनुपात 1963-64 में अधिक था। इससे स्पष्ट है कि पुराने ढंग से भी बुरे तरीके से काम हो रहा है। निगम का ऊपर का ढांचा बहुत ही खर्चीला हो गया है। ऊपर के अधिकारी कम हो रहे हैं और नीचे के एजन्टों इत्यादि से काम लेने वाले पद कम हो रहे हैं। इस तरह के प्रशासन तथा प्रथम वर्ग के अधिकारियों के साथ, यह सेवा प्रतिदिन बहुत खराब हो रही है। निगम के दफ्तर में शिकायतों की संख्या में काफी वृद्धि हो गयी है।

अब प्रश्न होता है कि यह खर्चा कैसे कम होगा? यह प्रथम श्रेणी के अधिकारी कैसे कम होंगे। नये नये बीमा क्षेत्र कैसे खोज निकाले जायेंगे। ग्रामीण जीवन बीमा योजना का क्या बना। इसका विचार यही था कि अधिशुल्क कम हो। गरीब और सामान्य व्यक्ति इससे लाभ उठाये, परन्तु इसे छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार अधिशुल्क के दरों को कम करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया। मौतें भी अधिक होने लगी है। राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम इस तरह की परिस्थितियों में क्या प्रगति करेगा।

में यह निवेदन करना चाहता हूं कि निगम को रक्षित बैंक से प्रतिभूतियां सीधा खरीदने के योग्य बनना चाहिए। उससे सीधा कार्य होना चाहिए। उन्हें दलालों के माध्यम से नहीं खरीदा जाना चाहिए। यह भी खेद जनक बात है कि एजन्टों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हैं। इस तरह बीमें की प्रगति का कार्य अवश्य पिछड़ जायेगा।

एक ओर तो यह दशा है और दूसरी ओर यह है कि निगम ने कुछ स्वचालित मशीनों का आयात किया है। प्रत्येक मशीन से कई क्लर्कों का कार्य लिया जाता है। क्लर्क बेकार हो गये है। इन मशीनों से पहले ही हमारी विदेशी मुद्रा पर प्रभाव हुआ है। सरकार को इस अंग को भी दृष्टि में रखना चाहिए। मूल अधिनियम की धारा 49 (छ:) के अन्तगत निगम के लिए यह अनिवार्य होगा कि बीमाकृत लोगों की परिषदें गठित की जाए ताकि निगम के संचालन में बीमाकृत लोगों का हाथ हो। इस बात का अत्यन्त खेद है कि निगम ने अभी तक उस उपबन्ध के अनुसार कार्य नहीं किया है।

मेरा मत यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मजबूर हो कर बेदिली से सरकार द्वारा यह संशोधन विधेयक लाया गया है। अच्छा होता यदि सरकार ने निगम के कार्य संचालन के बारे में सभी दिशाओं को दृष्टि में रखा होता। इससे बोमा कराने वालों का भी हित था और देश का सामूहिक हित था।

श्री सुब्बरायन (मदुराई): जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है यह विधेयक बहुत ही सरल है। हमें सरकार की इच्छा का पता था जब कि जीवन बीमा निगम विधेयक इस सभा ने पारित किया था। इसका उद्देश्य यही था कि गैर सरकारी कम्पनियां जो इस कार्य से अपने स्वार्थ सिद्ध करनी थी वह वे न कर सकें। और साथ यह भी था कि बोमा कराने वालों को भी अधिक से अधिक लाभ हो। यह भी अधिनियम में कहा गया है कि 95 प्रतिशत लाभ को बीमा कराने वालों को दिया जायेगा। 5 प्रतिशत अन्य कामों में खर्च किया जाना था। सरकार 5 प्रतिशत को राजस्व के रूप में नहीं लेना चाहती।

मेरा मत यह है कि यह संशोधन स्वागत योग्य है कि यदि जीवन बीमा निगम कोई सामान्य कार्य करता है तो सारे का सारा लाभ सरकारी राजस्व में जाना चाहिये। काम के कुछ भाग का पंजीकरण करते समय सरकार को इस बात का उचित ध्यान रखना चाहिये कि कर्मचारी और श्रमिक बेकार न हो जाय।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): I oppose this amending Bill. It has been provided that 5 per cent will be spent in the Central revenue, but it has not been made clear, how it will be spent. Some statement should also have been given along with this. I am of the opinion that nationalisation of Life Insurance was a great mistake. The plight of the employees before was much better as compared with today. Work has expanded so much after nationalization that it is not possible for the Government to control.

I am of the opinion that there should be 5 or 10 Zones of Corporation. They should work in competition, and thus increase the work of Life Insurance. Work is only goingon on the upper level. The rural people even today do not know what this Life Insurance means. Agents are not so resourceful that they may go to the villages and explain to the people the objects of Life-Insurance. All the literature of the Corporation is published in English. Only some section can understand that. Rural people cannot even read that literature. Even the Films shown by the Corporation are worthless.

I have often seen big buildings of Life Insurance Corporation in big cities, but its employees cannot even get a suitable house on rent. They don't get their allowance also regularly. The need of the hour is that the workers should be

[Shri Onkar Lal Berwa]

given encouragement. The mal-practisings are going on in great numbers. I don't think it is proper for the Government to get 5 per cent by the back door. This 5 per cent should not be given to the Government, this money should go to the Policy-holders. As the policy holders are not given any encouragement, that is why they get their policies lapsed—Lower type employees are decreasing and the upper strata is increasing.

On the one hand the Poverty and unemployment is increasing, on the other we are thinking of importing machines. Already we are short of foreign exchange. These machines will only render some people unemployed. In the end I may stress that the employees of the Corporation should get scales and grades of the Central Government employees.

श्री मा० ल० जाधव (मालगांव) : सदन के समक्ष जो विधेयक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरे विचार में तो जीवन बीमा निगम का कार्य बहुत ही शानदार है। सरकार ने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जीवन बीमा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। कई स्थानों पर गांव के गांव बीमा करवा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीमा निगम का कार्य बहुत ही अच्छा है।

यह शिकायत की गयी है कि निगम के कर्मचारियों को ठीक तरह से वेतन नहीं मिलता। यह भी आरोप है कि सरकार 5 प्रतिशत हड़प रही है। मेरा कहना है कि जीवन बीमा निगम के वेतनक्रम सरकारी वेतन क्रमों से भी अधिक हैं। जीवन बीमा निगम से सामान्य बीमे का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। निगम को यह कार्य बढ़ाना चाहिये।

5 प्रतिशत हथियाने वाली बात के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस राशि को लोक कल्याण के लिए खर्च किया जायेगा। क्योंकि हमारा राज्य एक लोककल्याणकारी राज्य है। यह एक सरल विधेयक है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सोनावणे (पंढरपुर) : मैं मानता हूं कि जीवन बीमा निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। परन्तु इसने अभी तक किश्तों में करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है और जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं उनसे बीमा कराने वालों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। किश्त की दर घटाने और बीमाकर्ताओं को चिकित्सीय सुविधाएं देने की दिशा में जीवन बीमा निगम ने कोई कदम नहीं उठाया है। बीमा कराने वाले को आज प्रति वर्ष 14 या 12.50 रु० बोनस के रूप में मिलते हैं। अन्य क्षेत्रों में विनियोजन के मुकाबिले यह बहुत थोड़ी राशि है। चिकित्सीय सुविधाएं देने में बीमा निगम का अपना ही हित है। अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को बहुत मोटे वेतन दिये जाते हैं, परन्तु बीमा कराने वालों के लिये कुछ भी नहीं दिया गया है।

मैं यह भी चाहता हूं कि सामान्य बीमा के क्षेत्र में निगम अन्य गैर-सरकारी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज जीवन बीमा निगम में बिजली के संगणकों का प्रवेश होते जा रहा है। निगम में काम करने वाले कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है।

[**श्री सोनावणे पीठासीन हुए।**
SHRI SONAVNE *in the Chair.*]

इनके इस्तेमाल केवल यही नहीं कि बेरोजगारी बढ़ जायेगी अधिनिगम के कार्यों का केन्द्रीकरण हो जायेगा। जब अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था का प्रतिनिधि मण्डल माननीय वित्त मंत्री से मिला था कि आज अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और इसलिये हमें जीवन बीमा निगम के कार्य को गांवों में फैलाना है। इन बिजली के संगणकों के चालू होने के पश्चात पालिसीधारकों को ऋण आदि प्राप्त करने के लिये डिविजनल या जोनल कार्यालयों में जाना पड़ता है क्योंकि ब्रांच कार्यालयों में उनको ऋण नहीं मिल सकता है।

बिजली के संगणकों के प्रयोग के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि इससे कार्यकुशलता बढ़ जाती है। मुझे 'होलेरीथ' मशीन के इतिहास का पता है। इसके बड़े पैमाने पर लेखपरीक्षा विभागों में मजदूरों अथवा कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी। इन मशीनों द्वारा जो आंकड़े निकाले जाते हैं वे गलतिओं से भरे होते हैं। उन्होंने यह निर्णय किया है कि गल्तियों को दूर करने के लिये कोई और मशीन चालू की जाये। फिर भी जीवन बीमा निगम में कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये इन मशीनों लाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

यहां पर इन मशीनों के फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं। और कुछ समय के बाद ये मशीने बेकार हो जायेंगी। जिस काम को यहां पर 4,000 कर्मचारियों द्वारा किया जाता है अमरीका में उसी काम को इन मशीनों द्वारा 16 या 17 व्यक्ति कर लेते हैं। तो क्या हम अपने देश को बिना उपयुक्त वातावरण के और बेरोजगारी के विरुध्द कोई संरक्षण दिये बिना ही बदलना चाहते हैं? जीवन बीमा निगम का यह कहना है कि क्योंकि अब काम बढ़ गया है इसलिये इन मशीनों की आवश्यकता है। इसकी जांच होनी चाहिये कि क्या वास्तव में काम बढ़ गया है।

अत: मेरा यह निवेदन है कि इन मशीनों को चालू करने संबंधी कार्यवाही को अभी रोक दिया जाना चाहिये और कर्मचारियों के संस्था के साथ पूरी तरह बातचीत करके इस प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय करना चाहिये।

जीवन बीमा निगमने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, आदि में 14–15 मंजिली इमारतें बनवाई हैं। इसकी जांच होनी चाहिये कि उन पर कितना कितना पैसा व्यय हुआ है और उनसे कितनी कितनी आमदनी हुई है! माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस बात को भी देखें कि कर्मचारियों के लिये भी कोई काम किया जाये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : इस संशोधन विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि धारा 26 के अन्तर्गत की गई जांच के परिणामस्वरूप कोई फालतू राशि बच जाती है तो उसका 95 प्रतिशत पालिसीधारकों के लिये रक्षित रखा जायेगा। शेष 5 प्रतिशत के लिये इस धारा में यह कहा गया है उसे ऐसे प्रयोजनों तथा ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा कि केन्द्रीय सरकार चाहे। हम इसको दुर्विनियोग कहते हैं। जनता पर कर लगाने का सरकार का यह अजीब तरीका है। सरकार कोई इस प्रकार कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि सरकार जनता पर यह भार डालना ही चाहती है तो उसे इसको नियमित तरीके से वार्षिक बजट के समय लाना चाहिये। यह एक वित्त विधेयक है और इसी कारण अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति ली गई है। सरकार इस समय वित्त विधेयक नहीं ला सकती है। जनता की कड़ी कमाई के 5 प्रतिशत भाग को सरकार हड़पना चाहती है। यह लोकतन्त्रात्मक तरीका है। हम इसको समाजवाद नहीं कह सकते। ऐसा तो एक तानाशाह राज्य में होता है।

उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में जो अपना निर्णय दिया है वह यह है कि सरकार को इस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पैसे का केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा सकता है जिनका उल्लेख अधिनियम के आमुख (Preamble) में किया गया है। आमुख में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि सरकार इस पैसे को ले सकती है। सरकार के लिये ऐसा करना बहुत ही अनुचित होगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : जिस समय यह काम गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा किया जाता था तो जो एजेंट थे वे और जो एजेंट नहीं थे वे व्यक्ति गुप-चुप तरीके से कमीशन को बांट लेते थे। आज भी ऐसी बातें जीवन बीमा कर्मचारियों, विशेषत: क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों में देखी जाती हैं। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पालिसी धारकों को दी जानेवाली सेवाओं में यद्यपि कई प्रकार से सुधार हुआ है फिर भी अभी कई शिकायतें हैं। ऐसी पालिसियों के मामले में जिनमें पालिसी धारक की मृत्यु हो जाती है रकम के भुगतान में अनुचित देरी की जाती है और लोगों को तंग किया जाता है।

तीसरे मैं अपने माननीय मित्र श्री त्रिवेदी की बात को दोहराना चाहता हूँ। क्या सरकार को कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वह फालतू राशि के पांच प्रतिशत को अपने खज़ाने में ले ले? इस प्रश्न की जांच होनी चाहिये।

सरकार ने बीमा निगम के कर्मचारियों की संस्था को मान्यता दे रखी है। इसलिये यंत्रीकरण के मामले में सरकार को इस संघ से परामर्श किये बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिये। सरकार ये जो स्वचालित प्रकार की मशीनें लगाने जा रही है इसके संबंध में पहले कर्मचारी संघ से परामर्श करना बहुत आवश्यक है।

भारत में औसत आयु में कुछ वृद्धि हो गई है। इसलिये सरकार को किश्तों की राशि में भी कुछ कमी करनी चाहिये।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मुझे यह आशा नहीं थी कि सरकार जीवन बीमे के राष्ट्रीकरण के काम में सफलता प्राप्त कर लेगी। परन्तु मुझे अब खुशी होती है कि सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया है।

अब मैं श्री त्रिवेदी द्वारा उठाये गये कानूनी प्रश्न को लेता हूं। उन्होंने वास्तव में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धरित किया है जिससे पता चलता है कि कानूनी रूप से सरकार द्वारा फालतू राशि का लिया जाना बड़ा आपत्तिजनक है। उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है। सरकार को इसके निर्णय का पालन करना चाहिये। लोकतन्त्र का आधार इसी बात पर है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार को मान्यता दे। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार करे।

हमारी सरकार का एक उद्देश्य यह भी है कि देश से बेरोज़गारी को यथाशीघ्र समाप्त किया जाये। इसलिये कोई भी बड़ी परियोजना चालू करने से पहले हमें सोचना चाहिये कि क्या यह हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा या नहीं। स्वचालित मशीनों को लगाने से पहले और यन्त्रीकरण करने से पहले सरकार को बड़े गौर से विचार करना चाहिये कि क्या जो व्यक्ति इसके परिणामस्वरूप बेरोज़गार हो जायेंगे उनको रोज़गार दिलाने का प्रबन्ध कर लिया गया है। हमें जल्दबाज़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : इस संशोधन विधेयक के कानूनी पहलू पर श्री त्रिवेदी ने आपत्ति उठाई। मैं उनकी बात को दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से इस विधेयक के वधिक आधार पर आपत्ति उठाई है। क्योंकि यदि कोई संशोधन लाना था वह अधिनियम की धारा 9 के लिये लाना चाहिये था। इस विशिष्ट धारा 28 के लिये संशोधन लाना उचित नहीं है।

बीमे का सारा हिसाब लगा कर जो फालतू राशि बच रहती है उसका 5 प्रतिशत सरकारी खज़ाने में नहीं जाना चाहिये। इस संबंध में श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं। यदि कोई राशि फालतू बच रहती है तो उसे बोनस के रुप में कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये। लाभांश की अदायगी विधेयक की धारा 32 के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम को बहुत गलत तरीके से उस विधेयक के उपबन्धों के क्षत्र से बाहर कर दिया गया है। यदि सरकार चाहे तो उस विधेयक की धारा 34 के अन्तर्गत निगम और इसके कर्मचारियों के बीच आपसी समझौते के अन्तर्गत इस 5 प्रतिशत को बोनस के रुप में दे सकती है। इस 5 प्रतिशत को कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं देने के लिये भी काम में लाया जा सकता है जैसे कि कर्मचारियों को बीमा विज्ञान में प्रशिक्षण देना आदि।

श्री काशी राम गुप्त (अलवार) : कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिये मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के सुझाव का समर्थन करता हूं। जब कि जीवन बीमा निगमने सामान्य बीमे का काम अन्य कम्पनियों के साथ साथ आरम्भ कर दिया है तो इस 5 प्रतिशत का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। जो भी मुनाफा हो उसमें से कर्मचारियों और एजंटों को उनका हिस्सा मिलना चाहिये।

जब बीमा कर्मचारियों को रिहाइश संबंधी और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं उनके लिये सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है, उनको कोई पेंशन नहीं दी जाती है, सरकार द्वारा इस 5 प्रतिशत का लिया जाना बड़ा अनुचित है।

आजकल पालिसी धारकों और एजंटों में एक कुप्रथा चली हुई है। आम तौर पर एजंट आरम्भ में कम प्रिमियम ले कर बीमा कर दे देते हैं और वे पालिसी धारक एक या दो वर्ष के बाद किश्ते देना बन्द करते हैं और उसी तरीके से फिर दो बारा बीमा करवाते हैं। परन्तु इससे हानि जीवन बीमा निगम को उठानी पड़ती है। सरकार को इस चीज़ को रोकना चाहिये। इसका मुख्य कारण यह है कि एजंटों और कर्मचारियों को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। परन्तु फिर भी सरकार इस 5 प्रतिशत को लेना चाहती है। पालिसी धारकों की किश्तों की दरों में कमी करनी चाहिये और सामान्य बीमा के काम से जो लाभ हो उस में से कर्मचारियों और एजंटों का बोनस दिया जाना चाहिये।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं आपके सामने पालिसी धारकों का मत रखता हूँ। जो व्यक्ति अपनी पालिसी का पैसा लेने के लिये जीवित रह जाता है वास्तव में वह सब से अधिक घाटे में रहता है।

मान लीजिये मैंने कुछ वर्ष पूर्व 1000 रु० के लिये बीमा करवाया था। उस समय रुपये की खरीदने की शक्ति कुछ और थी और आज कुछ और है। आजके 1000 रु० उस समय के केवल 250 या 300 रु० के बराबर हैं। इसमें विपरीत 1000 रु० के पीछे 14 या 20 रु० जो बोनस मिलता है वह कुछ भी नहीं है।

यदि यही धन बैंक में जमा कराया जाये तो ब्याज अधिक मिलेगा। हमे जहां कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी है वही पर पालिसीधारियों के लिये सोचना चाहिये। हमें देखना होगा कि उनको घाटा न हो।

पश्चिमी देशों में अब बहुत अधिक काम स्वचालित मशीनों से लिया जा रहा है। इससे कार्यकुशलता बढ़ती है। आज पालिसीधारी कहते है कि उन के धन का उचित प्रयोग किया जाये और उससे अधिकाधिक उपयोग उठाया जाये। सरकार को इस बारे में उनकी राय जाननी चाहिये। माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ बताना चाहिये। सरकार को इस समय पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये। जीवन बीमा निगम में कई खराब प्रवृतियां है उनको समाप्त करने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

विश्व में कर्मचारियों की इस श्रेणी को बहुत अच्छा वेतन और भत्ते आदि मिलते हैं। हम अपने देश में जीवन बीमा के निगम के कमचारियों को पर्याप्त वेतन देने की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में रुचि दिखायी है। सरकार 5 प्रतिशत फालतू धन लेने पर पूरी तरह से कार्यवाही कर रही है। मैं इस विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का आरंभ से सदस्य रहा हूं। उस समय सरकारी प्रवक्ताने गलती से 'सरकार' के स्थान पर 'कार्पोरेशन' कह दिया होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

इस बारे में श्री देशमुख ने इस "सरकार के भाग के रूप में" में भी कहा था। स्थिति को स्पष्ट करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। हम उच्चतम न्यायालय का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। श्री दाजी ने सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उन पर पूरे ध्यान से विचार कर रही है और समिति तथा सदन को सूचना दे दी जायेगी।

स्वचालित मशीनों को प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम ने कुछ प्रगति की है। यह निगम की कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिये आवश्यक है। हम पूर्णरूप से विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन स्वचालित मशीनों के प्रयोग में लाने से वर्तमान कर्मचारियों को किसी प्रकार को हानि नहीं होगी। मेरे विचार में यह बहुत अच्छी व्यवस्था है।

यह कहा गया था कि जीवन बीमा निगम ने बहुत अधिक संख्या में बड़े बड़े भवन बनवाये हैं। यह कोई खराब बात नहीं हैं। इनसे लाभ ही होता है। बड़े बड़े नगरों में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की गई है। और ये कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिये होंगे।

यह ठीक है कि हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। परन्तु यह मानना होगा कि जीवन बीमा निगम ने काफ़ी प्रगति की है। आज बढ़े हुए मूल्यों के समय में लक्ष्यों को प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। फिर भी हम अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion was adopted.*

खंड 2 विधेयक में जोड दिया गया। *Clause 2 was added to the Bill.*

खण्ड 3 (धारा 28 के नई धारा का स्थापन करना)

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का उद्देश्य प्रस्तावित धारा 28 में से "केन्द्रीय सरकार को भुगतान किया जायेगा या, यदि सरकार ऐसा आदेश दे" शब्दों को हटाना है। माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाये तो विधेयक निरर्थक हो जायेगा। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं। खंड 2 का अभिप्राय सामान्य बीमे को जीवन

बीमे से विभिन्न कर के दिखाना है। मेरे संशोधन से इस विधेयक के विषैले दांत निकल जायेंगे। मूल विधेयक के पास होते समय इस विधेयक के बारे में कोई ध्यान ही नहीं आ सकता था। सरकार ने पहले किसी भी समय पांच प्रतिशत पर कब्जा करने की बात नहीं कही थी। इस बारे में प्रवर समिति से संलग्न विमति टिप्पण में श्री तुलसीदास किलाचन्द ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने सरकार को सरकार द्वारा पूंजी में लगाये धन पर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत लेने का अधिकारी बताया था। यह बात ठीक भी मालूम होती है।

इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान देना होगा। सरकार को जैसा डा० मेलकोटे ने कहा है पालिसीधारियों के हितों की ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। बीमे को सामान्य लोगों में लोकप्रिय बनाने के सभी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये। नई प्रकार की पालिसियों लागू होनी चाहिये। बीमे के काम को बहुत बढ़ाया जा सकता है। हमें निगम के पास धन रहने देना चाहिये।

मैं सदैव राष्ट्रीयकरण का विरोधी रहा हूं। परन्तु जब यह कर दिया गया है तो इसके कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिये। सरकार को ऐसे 2 उपक्रमों में कर्मचारियों को बहुत सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये। और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये उदाहरण सिद्ध होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि खण्ड 3 में से वे शब्द हटा दिये जाये जिनका मेरे संशोधन में उल्लेख है।

श्री ब० रा० भगत : मैं इस संशोधन से सहमत नहीं हूं। इससे तो विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध करने के बारे में हम यदि यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों पर छोड़ दें तो वे तुरन्त ही राष्ट्रीयकरण चाहेंगे। सरकारी-क्षेत्र में सुविधायें बहुत अधिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/ *Amendment No. 1 was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 3 was added to the Bill.*

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 4 was added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

कोयला खान भविष्य निधी तथा अधिलाभांश योजनायें (संशोधन) विधेयक—1965

COAL MINES PROVIDENT FUND AND BONUS SCHEMES (AMENDMENT) BILL, 1965

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि कोयला खान भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनायें अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन किये जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

1948 के अधिनियम के अन्तर्गत कोयला खानों के मज़दूरों के लिये दो प्रकार की योजनायें बनी थी। एक के अनुसार उन्हें बोनस मिलना था और दूसरी के अन्तर्गत अनिवार्य भविष्य निधि का बनाया जाना था। बोनस योजना में काफी विस्तार हुआ है और मजदूरों की आय में वृद्धि भी हुई है।

भविष्य निधि से श्रमिक वर्ग को काफ़ी सहायता मिली है। इस से सरकार को भी धन मिला है। आरंभ में यह योजनायें केवल पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों पर लागू हुई थी परन्तु बाद में इन्हें सभी कोयला क्षेत्रों पर लागू कर दिया गया था। भविष्य निधि में अभिदाताओं की 1948 में केवल 2.96 लाख थी जबकि 1965 में यह 4.25 लाख हो गई है। भविष्य निधि पर ब्याज के दर में भी वृद्धि कर दी गई है। निधि में स्वेच्छा से भी धन जमा कराया जा सकता है। इसके फलस्वरूप वार्षिक जमा होने वाली राशि में भी बहुत वृद्धि हुई है।

1948 से 1965 के बीच की अवधि में मालिकों की ओर से धन जमा न कराने के सिलसिले में 543 मामलों में अभियोग चलना पड़ा है और 1.2 करोड़ रुपया अभी शेष जमा होना है।

शब्द "कोयला खान" की परिभाषा पुनः की जानी है। शब्द "कर्मचारी" के सम्बध में भी यही किया जाना है। अब कोयला खानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की बहुत से श्रेणियों को इस वग में लाने का प्रस्ताव है। पहले कई वर्गों के लिये भविष्य निधि में धन जमा करना स्वैच्छिक था परन्तु अब उसे अनिवार्य कर दिया जायेगा। अब प्रशिक्षणार्थियों को भी "कर्मचारियों" की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा और उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

निधि के न्यासी बोर्ड के गठने आदि में भी कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। अब कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार इस निधि को अन्य ऐसी निधियों में स्थानान्तरित करने सम्बन्धी उपबन्ध करने का विचार है।

इस विधेयक द्वारा कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त तथा उसके कुछ सहयोगी अधिकारियों को अधिक अधिकार दिये जायेंगे तकि कार्य ठीक प्रकार हो सके।

यह देखा है कि मालिकों के विरुद्ध बहुत बार कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। अतः जर्माना तथा कारावास की अवधि सम्बन्धी अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी गई है।

निरीक्षकों को भी अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं।

यह भी व्यवस्था की जा रही है कि अंशदान के अतिरिक्त प्रशासन व्यय और नुकसान को भूमि राजस्व के बकाया रूप में वसूल किया जाय। कई अदालतों ने यह निर्णय दिया है कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी का निदेशक नियोजक के अर्थों के अन्तर्गत नहीं आता है।

इसके फलस्वरुप बकाया भविष्य निधि के वसूल करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इन कठिनाइयों का उपचार करने की दृष्टि से अधिनियम में अपेक्षित व्यवस्था की जा रही है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1963 में की गई व्यवस्था के अनुसार न्यासधारी बोर्ड की शक्तियां उसके सभापति तथा बोर्ड के अन्य अफसर की प्रत्यायोजित करने का उपबन्ध किया जा रहा है। नियोजकों के भविष्य निधि में अंश तथा बोनस की अदायगी और कार्मचारी के भविष्य निधि के अंश की वसूली के लिए उपबन्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्ध के अनुसार किया जा रहा है।

यह भी अनुभव किया गया है कि ठेकेदारों द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ दिये जाने में भी कई एक कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम के आधार पर उपबन्धों की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।

यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पटना उच्च न्यायालय का अप्रैल 1962 के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि बकाया भविष्य निधि के भुगतान में देरी हो जाने से कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जा सकता। इसका उपचार करने के उद्देष्य से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के वर्तमान उपबन्ध के आधार पर इस सम्बन्ध में उपबन्ध करने की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार अनुसूचियों में अपेक्षित आनुषंगिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इन शब्दों से मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मुहम्मद इलियास (हावडा) : यद्यपि यह विधेयक बहुत ही देरी से प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने यह अनुभव किया है कि देशभर समन्वित सामाजिक सुरक्षा योजना के चालू किये जाने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से ही सामाजिक सुरक्षा नामक एक अलग विभाग की स्थापना की गयी है। परन्तु खेद यह है कि हमने इस बात को महसूस नहीं किया कि कोयला खानों के श्रमिकों के लिये एक अलग भविष्य निधि योजना की व्यवस्था क्यों की जा रही है। श्रमिकों के दृष्टिकोण से बोनस योजनायें हानिकर हैं और सभी केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन अब इस योजना को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि उसे मूल मजूरी के साथ जोड़ दिया जाय।

बोनस योजना से श्रमिक अपनी न्यायसंगत बकाया धन राशि से वंचित हो जाता है। अतः इस योजना को समाप्त कर ही दिया जाना चाहिए। अतः वे इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसे मूल मजूरी के साथ जोड दिया जाय। इस योजना को समाप्त करना बड़ा ही आवश्यक है। मेरा यह भी मत है कि जो विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनसे श्रमिकों को पूर्ण रूप से सन्तोष नहीं होगा। अभी भी इसमें बहुत सी कमिया है। यह भी एक तथ्य है कि इस दिशा में नियोजकों में कोयला खान भविष्य निधि योजना का जानबूझ कर उल्लंघन किया है। जहां तक बोनस योजना का सम्बन्ध है, 1963 में सरकारी निरीक्षणालय योजना के प्रशासन में 3747 अनियमितता के मामलों का पता लगाया गया है।

[श्री मुहम्मद इलियास]

इस निधि योजना के प्रशासन की दशा बहुत ही शोचनीय है। बहुत से ऐसे भी मजदूर हैं जिन्हें अभितक उसके वार्षिक विवरण भी प्राप्त नहीं हुअे। और तो और, अभितक नियोजकों द्वारा अंशदान पत्र भो नहीं दिये गये हैं। मतलब यह है कि यह सारा संगठन हीं प्रभावहीन हो गया है। श्रमिकों को इससे कोई लाभ होने की आशा नहीं। केवल नियोजक ही इससे लाभ उठा रहे हैं। मेरा यही मत है कि योजना को समाप्त कर देना चाहिए। इसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना में विलीन कर लिया जाना चाहिए।

वर्तमान विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को मजदूर संघों में निर्वाचित नहीं किया जायेगा। यह बड़ी ही विचित्र बात है। यह तो आप को पता ही होगा कि कोयला उद्योग में 5 लाख मजदूरों को मान्यता प्राप्त मजदूर संघों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस लिए मेरा निवेदन यह है कि यदि किसी व्यक्ति को एक प्रतिनिधि के रूप में लेना हो, तो वह इन तीन संगठनों में से होना चाहिए। हमें इस प्रकार की योजना प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत सभी औद्योगिक कार्यकर्ता आ जायें।

श्री हिम्मत सिंहका (गौंडा) : विधेयक के उपबन्ध काफी अच्छे हैं। ये कर्मचारियों के लाभ के लिए आवश्यक भी है। विभिन्न खंडों में जो सुधार के सुझाव हैं वे भी बहुत सराहनीय हैं, कोयला खान की परिभाषा को काफ़ी व्यापक बनाया जा रहा है। मेरा मत यह है कि कोयला खान द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या पर भी कुछ सीमा होनी चाहिए। इसे भी प्रस्तुत विधेयक के अन्तर्गत ले आना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि किसी ठेकेदार के द्वारा सेवा मुक्त श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा परन्तु इसके लिए कोई समय सीमा रखी जानी चाहिए। मेरा यह निश्चित मत है कि नियोजक से बकाया धन राशि को भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता है। इस दृष्टि से मेरा विचार यह है कि विधेयक के खंड 10 (ख) को हटा दिया जाना चाहिए। कोई इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को ऐसे ऋण दिये जा सके जिन्हें योजना के सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त करने के वे अधिकारी हैं। इस तरह का कोई उपबन्ध किया जाना चाहिए। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : इस विधेयक के उपबन्ध प्राय: अच्छे ही हैं और कर्मचारियों के लाभ को दृष्टि से अच्छे ही हैं। इन विभिन्न खंडों द्वारा उनमें जो सुधारों के सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। कोयला खान की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया गया है। किसी भी उद्योग में बोनस योजना का होना बहुत ही आवश्यक चीज है। इस योजना का प्रभाव कोयला के संधारण में ही नहीं उसकी उत्पादन स्थिति में सुधार करने में भी होगा।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रस्तुत योजना का मामला कोयला खनन उद्योग के मजूरी बोर्ड के विचाराधीन है। क्योंकि अधिनियम में संशोधन करने के लिए अभी ठीक प्रकार का समय नहीं आया है। इस बारे में जब बोर्ड इस मामले में यथा सम्भव अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तो उस अवसर पर परस्पर विरोधी संशोधनों को प्रस्तुत किये जाने की बहुत सम्भावना है। अत: मामला सरकार के फैसला करने का है। मेरा निवेदन यह है कि यह सब समय से पूर्व ही है।

दूसरे लक्ष्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे अन्य विधेयकों से कुछ थोड़ा अलग बनाना है। इसे सामाजिक सुरक्षा के अनुरूप बनाना है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस के अन्तर्गत ठेके के कर्मचारियों को भी शामिल कर लेना चाहिये। ठेके के मजदूरों के साथ सामान्यत: बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। और उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होते हैं। उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिये। ठेकेदार यदि किसी कारणों से इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभा नहीं सकता

तो मुख्य नियोजक को निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना चाहिये। इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं, परन्तु मेरा मत यह है कि यह अच्छा होता यदि यह विधेयक इस समय तक न आता जब तक कि सरकार मजूरी बोर्ड द्वारा वर्तमान बोनस के बारे में अपना अन्तिम निर्णय न कर लेती।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरे विचार में इस विधेयक की बहुत देर से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसे सभी दिशाओं से समर्थन प्राप्त होना चाहिये। इस विधेयक को बनाने तथा दण्ड सम्बन्धी विभिन्न उपबन्धों को रखने के अतिरिक्त सरकार को काफी उपाय करने चाहिये ताकि मूल अधिनियम में उपबन्धों का पालन नियोजकों तथा ठेकेदारों द्वारा किया जा सके।

Shri Bade (Khargone) : I support this Bill. There were certain defects in the existing law and in order to remove them, the Bill was necessary. Though the Bill has come late but still it is a step towards the right direction.

This is good thing that under the definition of employees those persons have also been taken who are employed by the Contractors or through some Contractors.

I may also state that before any employer, declares any strike a illegal, Government should consider this matter and find out whether the strike is legal or illegal. This is a great injustice to the employee that if their strike is illegal there amount in their provident funds is denied to them. I am of the opinion that the provision should be removed.

I have not been able to follow the need of bringing forward a separate legislation for the employees of Coal mines. The legislation which is applicable to other workers may be applicable to coal mine workers. I also support the provisions regarding exemplary punishment and the representation. One person will be taken from those persons who are not the members of any union at all.

श्री काशीनाथ पाण्डे (हाटा) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे दो अधिनियमों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया गया है। अब समय आ गया है जब कि सभी कर्मचारियों के लिये एक ही भविष्य निधि योजना होनी चाहिये। चाहे वे कोयला खानों में काम करते हों अथवा किसी अन्य संस्थान में। मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि कोयला-खान कर्मचारियों को जिन को कुछ सुविधायें दी जा रही हैं वह उन्हें उपलब्ध होती रहनी चाहिये। यह भी बड़े हर्ष की बात है कि यह योजना ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे मजदूरों पर भी लागू होगी।

यह भी मेरा मत है कि कुछ ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए जिससे नियोजकों को कर्मचारियों की खून-पसीने की राशि की निधि को बैंक में समय पर जमा कराने के लिए बाध्य किया जा सके। यह भी आश्वासन दिया जाना चाहिये कि भविष्य निधि में राशि ऐसी जमानतों में तथा इस तरह से जमा कराई जानी चाहिये कि इससे मजदूरों को अधिक से अधिक ब्याज मिल सके।

मेरा विचार यह भी है कि भविष्य निधि योजना में और अधिक संशोधन करने के बारे में मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये। यह योजना 1952 में आरम्भ की गयी थी। तब से समय में काफी तबदीली आ गयी है। कुछ उद्योगों में अंशदान की दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दी गयी है। ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो काफी मुनाफा कमा रहे हैं। उन कारखानों के कर्मचारियों के अंशदान में वृद्धि की जानी चाहिये। अधिक से अधिक से उद्योगों को इसके अन्तर्गत लाना चाहिये। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : आशा तो यह थी कि व्यापार भविष्य निधि के बारे में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। मेरा विचार है कि कोयला खान कर्मचारियों के लिए अलग से भविष्य निधि योजना के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोयला खानों, अन्य उद्योगों तथा सरकारी संस्थानों के सभी कर्मचारियों पर एक एकीकृत योजना लागू करने का यह उचित समय

है। भविष्य निधि योजना के लिए उत्तरदायी संगठन के कार्यकारण पर विचार किया जाना चाहिए। उनमें आई त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोषी मालिक उनको बकाया दामों को समय पर अदा कर दें।

यदि सरकार की यह इच्छा है कि सामायिक सुरक्षा के रूप में भविष्य निधि सुनिश्चित रहे और यह भी कि मजदूर लोग इससे लाभ उठाये तो ऐसा उपबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये कि उन्हें इससे लाभ हो। यह भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि मजदूरों को समय पर ऋण मिल सके। मेरा निवेदन तो यह है कि सरकार ऐसा व्यापक विधान प्रस्तुत करे जिससे कि सारे देश में भविष्य निधि को इकट्ठा कर दिया जाय। हर समय विभागीय आधार पर विधान बनाना अच्छा नहीं लगता।

Shri Balmiki (Khurja) : I welcome this legislation. In the interest of Social security and social justice coal mines workers should get some relief. We should march towards this direction very speedily. The provisions of the Bill are quite useful and those who were not getting the benefit before will be benefited. This is also very good that Provident Fund Scheme will be applicable to domestic servants and the sweepers. I also welcome the widening of the scope, by the Comprehensive definition of "Coal Mine"

Government should assure that the labour is getting the benefit of Provident Fund and Bonus. Money lenders should not be allowed to take any advantage of that. These money lenders got very good benefit out of the miseries of the labour. They give money very liberally but receive back very ruthlessly.

In order to save the labour from these money lenders, it is desirable that some provision be made for the employees to get some small loans at the time of need. The basis of this loan can be their provident fund.

It is also good that some benefit has been given to the labour working under the Contractors. The assurance was given in this House that some Comprehensive Bill will be brought in order to put an end to the System of Contractors.

As regards clause 2, I would like to point out that the Scavenging Conditions Enquiry Committee known as Malkani Committee, which had been appointed by Government, had recommended that the word "Scavenger" shou d be used for those people who are engaged in sanitation work, but it is regretted that that recommendation is not being observed by the Government itself. Instead of using the word "Scavenger" the word "Sweeper" has been used in this Bill. I, therefore, submit that the word "Scavenger" should be used in place of the word "Sweeper" in this Bill.

More attention should be paid to those neglected areas where the sanitary conditions are lacking and where there are latrines of dry-type system and where droppings are scattered here and there which emit bad smell. These conditions can only be improved if housing and other facilities are provided to scavengers so that there is some improvement in their standard of living and also if the dry-type system is replaced by the wet-type system.

With these words I welcome this amending Bill and hope that the Hon. Minister would definitely pay attention towards this matter and try to raise the standard of living of these people.

श्री वारियर (त्रिचूर) : श्री मान्, विधेयक में शामिल किये गये सुझावों का हम स्वागत करते हैं। कोयला-खान मजदूरों की दशा बहुत दयनीय है। उन्हें अपनी जान जोखिम में डाल कर कार्य करना पड़ता है। परन्तु उनकी सेवा की शर्तें अब भी वहीं है जो पहले थीं। यह एक अच्छी बात हैं कि सरकार ने हमारी

एक पुरानी मांग को स्वीकार करके 1958 में दिये गये अपने वचन को पूरा कर दिया है कि नियोजकों का अंशदान भी उतना ही होना चाहिये जितना कि मजदूरों का होता है। इसके लिये तो हम सरकार के आभारी हैं। परन्तु नियोजकों को मज़दूरों से भी अधिक अंशदान करना चाहिये क्योंकि निर्धन मज़दूरों को धनी नियोजकों के बराबर नहीं रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन बज गये हैं। अब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। वह अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

तेल सम्बन्धी नीति पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव---जारी

MOTION RE: STATEMENT ON OIL POLICY—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब तेल सम्बन्धी नीति पर वक्तव्य के बारे में श्री स० मो० बनर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में तेल सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के मुख्य निर्माता के रूप में भूतपूर्व मंत्री, श्री के० दे० मालवीय का नाम इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। यह सच है कि वह पहले व्यक्ति हैं जिनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि सरकारी क्षेत्र में तेल का उत्पादन, शोधन तथा वितरण किया जाये और उन्होंने तेल की खोज और इसके उत्पादन के लिये 'आयल इण्डिया लिमिटेड' तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की, इसका शोधन करने के लिये गौहाटी, बरौनी तथा गुजरात में तेल शोधनशालाओं की और इसका वितरण करने के लिये भारतीय तेल समवाय की स्थापना की। परन्तु मानव गलती करता ही है। अत: उन्होंने एक गलती यह की थी कि नहरकतिया में पैदा होने वाले तेल को साफ करने के लिये नहरकटिया में एक बड़ी शोधनशाला स्थापित करने की बजाय दो शोधन-शालायें---एक गोहाटी में तथा दूसरी बरौनी में---स्थापित कीं। यदि इन दो स्थानों पर शोधनशालायें स्थापित करने की बजाये नहरकटिया में ही एक बड़ी शोधनशाला स्थापित कर दी जाती तो इससे इन दो शोधनशालाओं पर तथा दो तरह की पाइपलाइनें बिछाने पर जो हमारा दुगना खर्च हो रहा है वह बच जाता और देश को बहुत लाभ होता। यह एक अच्छी बात है कि गुजरात में इस गल्ती को पुन: नहीं दोह-राया गया और तेल शोधनशाला को तेल वाले क्षेत्र के निकट ही स्थापित की गई है।

तेल की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिये अधिक शोधनशालायें स्थापित की जानी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो ऐसा उन विदेशी फर्मों के सहयोग से किया जाना चाहिये जो बिना साफ किया हुआ तेल हमारी शर्तों के अनुसार दे सकती हैं। यह एक अच्छी बात है कि सरकारी क्षेत्र में तीन शोधनशालाओं की क्षमता बढ़ायी जा रही है। परन्तु खेद इस बात का है कि जबकि बरौनी और गुजरात में शोधनशालाओं की क्षमता 20 लाख टन से 30 लाख टन तक बढ़ाई जा रही है, गोहाटी में शोधनशाला की क्षमता 7.50 लाख टन से 10 लाख टन ही की जा रही है, हालांकि आसाम में पाये गये तेल की तुलना में यहां की शोधनशाला की क्षमता बहुत कम है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आसाम के साथ उपेक्षा का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता कि गोहाटी शोधनशाला की क्षमता भी बढ़ाकर अन्य दो शोधनशालाओं की क्षमता के बराबर कर दी जानी चाहिये।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र शोधनशालाओं का सम्बन्ध है, उन्हें और विस्तार करने की अनुमति न देने की नीति ठीक है। वर्तमान समय में तेल एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। देश की प्रतिरक्षा तथा विकास के लिये यह बहुत उपयोगी वस्तु है। अत: तेल का उत्पादन, शोधन तथा वितरण सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिये।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, भूतपूर्व मंत्री द्वारा निर्धारित की गई नीति बहुत अच्छी है और इसकी सभी वक्ताओं ने सराहना की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान मंत्री भी देश को तेल में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और वह इस दिशा में अपने प्रयत्न करते रहेंगे।

सारे संसार में ऐसी सात तेल कम्पनियां हैं जिन्होंने संसार के सभी तेल भंडारों पर नियंत्रण कर रखा हैं। इन कम्पनियों को इससे काफी मुनाफा हो रहा है। भारत में भी इन कम्पनियों को काफी मुनाफा

[श्री० मं० रं० कृष्ण]

हो रहा है परन्तु जब उन्हें कहा गया कि उनमें काम करने वाले लोगों को उचित प्रकार तथा अन्य सुविधायें दी जायें तो उन्होंने बताया कि कि उन्हें तो केवल एक प्रतिशत मुनाफा होता है। जब उन्हें हिसाब किताब दिखाने के लिये कहा गया तो उन्होंने इनको न दिखाकर वह सभी बातें पूरी कर दीं जिनके बारे में उन्हें कहा गया था। स्पष्ट है कि उन्हें काफी मुनाफा होता है और वह इसे प्रकट नहीं करना चाहते हैं। हमें देखना चाहिये कि क्या तेल कम्पनियां ऐसे समय में, जबकि सरकार को शत्रु का मुकाबला करना है, हमारे साथ सहयोग करेंगी अथवा नहीं। उनके व्यवहार को देख कर सरकार को निर्णय करना चाहिये कि क्या उन्हें यहां रहने दिया जाय अथवा उन्हें बिस्तर गोल करने के लिये कह दिया जाय। हालांकि सरकार की नीति यह है कि मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। परन्तु तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार बड़ी सावधान है और वह नहीं चाहती कि इनके राष्ट्रीयकरण में कोई जल्दबाजी की जाये। हम तो केवल यह चाहते हैं कि वह हमारे साथ सहयोग करती रहें ताकि हम शत्रु का मुकाबला कर सकें। परन्तु मैं यह सुझाव अवश्य देना चाहता हूं कि सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों तथा उद्योगों के खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिये ताकि उनके वास्तविक खर्चे का पता लगाया जा सके। ऐसा इसलिये करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कम्पनियां अपने हिसाब में अत्याधिक खर्चा दिखाती हैं। इसके अतिरिक्त वितरण पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिये।

तेल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार को तेल और ईंधन का राशन कर देना चाहिये ताकि इनका उपयोग निजी हित की बजाये समाज के हित में किया जा सके और इससे पूरा लाभ उठाया जा सके। सरकार को इस के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगा देने चाहिये ताकि इस आपातकाल में इस की कमी से देश को हानि न हो।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय को इस बात पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि वह कई कठिनाइयों के बावजूद भी तेल सम्बन्धी नीति का अनुसरण करता रहा है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि यदि परिस्थितियों ने हमारा साथ दिया तो हम तेल में कुछ ही वर्षों में आत्म निर्भर हो जायेंगे।

एक उपभोक्ता के रूप में भारत पैट्रो-रसायनिक उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक होने जा रहा है परन्तु हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इतने बड़े आकार के उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिये काफी पूंजी तथा तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। अतः सरकार को विश्व में कुछ ऐसे पक्षों का पता लगाना चाहिये जो हमारी नीतियों के अनुसार कार्य करने और हमारे देश में पैट्रो-रसायनिक उद्योगों का विकास करने में हमारी सरकार की सहायता कर सकें चाहे हमें ऐसा त्रिपक्षीय आधार पर ही क्यों न करना पड़े। जापान, फ्रांस, रूस तथा इटली जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो इस क्षेत्र में सरकारी स्तर पर हमारे साथ सहयोग करना पसन्द करेंगे और यहां पर पैट्रो-रसायनिक उद्योगों का विकास करने में हमारी सहायता करना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में हाल ही में तेहरान में हुए एक बड़े सम्मेलन में, जिसमें पैट्रो-रसायनिक उद्योगों के विशेषज्ञों तथा तेल विशेषज्ञों ने भाग लिया था, यह सिफारिश की गई थी कि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये कि क्या कुछ उपभोक्ता देश, तकनीकी जानकारी रखने वाले देश तथा कच्चा माल पैदा करने वाले देश, दोनों उपभोग तथा उत्पादन की दृष्टि से ऐसे उद्योगों को चलाने के लिये आपस में सहयोग नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि हमें द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय व्यवस्था के आधार पर पैट्रो-रसायनिक उद्योग समूहों के क्षेत्रीय पुनर्गठन पर विचार किया जाना चाहिये जिससे हमारी नीति की मर्यादा भी बनी रहे और हमें आवश्यक संसाधन तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सके।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, चूंकि एक से अधिक सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि तेल सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा एक ऐसे समय हुई है जब इसका विशेष महत्व है, अतः मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने ऐसे उपाय किये हैं जिससे हमें तेल की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके अतिरिक्त असैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रयत्न किया जायेगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या तेल कम्पनियों ने इसमें सहयोग देने का आश्वासन दे दिया है ?

श्री हुमायुन कबिर : किसी भी तेल कम्पनी द्वारा सहयोग न देने की आशंका करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि आज छोटी छोटी सरकारें भी इन बड़ी बड़ी कम्पनियों से अधिक शक्तिशाली हैं।

सभा को हर्ष होगा कि भारत सरकार ने विश्व में एक मुख्य कम्पनी के साथ भारत में स्निग्धकारी तेल का उत्पादन करने के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने हेतु आज एक नया समझौता किया है। इससे अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी।

जहां तक तेल की खोज का सम्बन्ध है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पहले इसमें कुछ खामियां थीं परन्तु जबसे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है तब से खोज तथा उत्पादन दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है। कई नये तेल क्षेत्रों का पता चला है। लक्वा तथा रुद्रसागर में जो भण्डार मिले हैं वह नहरकाटिया के भण्डारों से भी दुगनी मात्रा होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त गुजरात में नवगांव तथा कलोल में भी काफी मात्रा में तेल मिलने की सम्भावना है। यदि इन क्षेत्रों में भी तेल मिल गया तो इससे न केवल इस देश में अपरिष्कृत तेल की समस्या ही हल हो जायेगी अपितु समूचे देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्या भी हल हो जायेगी। गोदावरी डेल्टा, अन्दमान तथा त्रिपुरा में खोज करने के लिये भी कार्यक्रम तैयार कर लिये गये हैं। उपकरणों के उपयोग तथा इनके भंडारों पर अधिक अच्छा नियंत्रण स्थापित किया गया है। सरकारी उपक्रम समिति द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण में कुछ त्रुटियां तथा 10 करोड़ रुपये के सामान का हिसाब न होने का आरोप लगाया गया था। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुछ सामान मिल जाने के कारण अब केवल दो करोड़ रुपये के सामान का ही अभी पता लगाना बाकी है और मुझे आशा है कि यह भी जल्दी मिल जायेगा। आयोग ने 1964–65 के लेखे तैयार कर के इस वर्ष समय पर प्रस्तुत कर दिये हैं।

जहां तक छिद्रण कार्य का सम्बन्ध है, आयोग ने 1961–62 में 75,000 मीटर, 1963-64 में 1,61,000 मीटर तथा 1964-65 में 1,72,000 मीटर छिद्रण कार्य किया। 1965–66 में 2,25,000 मीटर छिद्रण कार्य करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रकार 1963 के अन्त से अब तक इस कार्य में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मेरे विचार में 1965–66 पहला वर्ष होगा जिसमें लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। और आशा है कि इस से भी कुछ अधिक कार्य की जा सकेगा।

जहां तक तेल सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, कुछ वर्ष पूर्व जो नीति निर्धारित की गई थी, उसी को अब भी अपनाया जा रहा है क्योंकि यह राष्ट्र के हित में है। यदि इस में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो ऐसा सरकार तथा संसद की सलाह से ही किया जायेगा। इस नीति को निर्धारित करने में स्वर्गीय मौलाना आजाद तथा डा० भटनागर द्वारा दिये गये योग को भी नहीं भूलना चाहिये।

1948 तथा 1956 के औद्योगिक नीति संकल्पों का पूरी तरह से पालन किया गया है और वास्तव में, हम ने केवल यह किया है कि पिछले वर्ष अगस्त में हमने इस नीति की बड़ी सावधानी से व्याख्या की है। इसी नीति के आधार पर ही विदेशी कम्पनियों के साथ समझौते किये गये हैं। अतः नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इतना तो अवश्य किया गया है कि इस की क्रियान्विति में कुछ सुधार किया गया है जिससे पिछले वर्ष की तुलना में यह नीति अधिक सुदृढ़ हो गई है। अब यह नीति निर्धारित की गई है कि विदेशी सहयोजन केवल उन्हीं मामलों में होगी जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिक शेयर होंगे। सहयोजन मुख्य रूप से तट से परे क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जायेगा जहां व्यय तथा जोखिम बहुत अधिक है।

अधिक जोखिम वाले मामलों में भिन्न रुख अपनाया जायेगा। जहां अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, हमें सहयोग सम्बन्धी शर्तें अधिक आसान करनी होंगी परन्तु राष्ट्रीय हित की सदैव रक्षा की जायेगी। विदेशी सहयोगियों से कहा जायेगा कि वे न्यूनतम खोज परिव्यय अपने जिम्मे लें, अबाध विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करें तथा यदि समस्त जोखिम नहीं तो उसका अधिकांश भाग अपने जिम्मे लें।

[श्री हुमायून कबिर]

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, गत दो वर्षों में काफी प्रगति हुई है। 1962-63 में अपरिष्कृत तेल का कुल उत्पादन 12.5 लाख टन से कम हुआ है। 1964-65 में 1962-63 की तुलना में दुगुने से भी अधिक उत्पादन हुआ है। मई, 1965 से उत्पादन में और भी वृद्धि हो रही है और हम यह आशा करते हैं कि 1966 के आरम्भ तक उत्पादन में और भी वृद्धि हो जायेगी।

मैंने अपने वक्तव्य में सभा को पहले ही बताया है कि जहां तक डीज़ल का सम्बन्ध है, तीसरी योजना के अन्त तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में हम चौथी योजना के अन्त तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

जहां तक तेल शोधक कारखानों का सम्बन्ध है, उसमें भी काफी प्रगति हुई है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझ से पहले जो मंत्री महोदय थे, उन्होंने भी सराहनीय काम किया है। गोहाटी तेल शोधक कारखाने में आजकल लगभग दस लाख मीट्रिक टन के उत्पादन हो रहा है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने की आरम्भ की कठिनाइयों को शीघ्र दूर किया गया। आशा की जाती है कि बरौनी में भी शीघ्र गोहाटी जितना उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। कोयली कारखाने में सितम्बर के दौरान काम शुरू हो जायेगा। कोचीन कारखाने में जनवरी, 1966 तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। एक तेल कारखाने की लागत की दूसरे कारखाने की लागत से तुलना करना कठिन है। इस बात के बावजूद भी कि मूल्य सभी ओर बढ़ गये हैं, हमने तेल शोधक कारखानों की लागत बहुत कम की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इन कारखानों के निर्माण में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये हम इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा भी अब धीरे धीरे कम खर्च हो रही है क्योंकि इन कारखानों के लिये अपेक्षित पुर्जों का निर्माण अब यहीं किया जा रहा है। विदेशों से मंगाये जाने वाले उपकरणों का आयात भी काफी घटता जा रहा है क्योंकि देश में निर्मित माल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तेल शोधक कारखानों के डिज़ायन तैयार करने में भारतीय इंजनियरों का अधिकाअधिक योगदान लिया जा रहा है। बरौनी कारखाने के विस्तार में कुछ सीमा तक भारतीय इंजीनियरों ने सहायता की है। कोयली तथा गुजरात में भारतीय इंजीनियरों ने अधिक काम किया है। हमें आशा है कि हम देश में ही तकनीकी क्षमता उपलब्ध करने में सफल हो जायेंगे।

अनुभव से यह बात सिद्ध हुई है कि तेल-शोधक कारखाने उन्हीं स्थानों में स्थापित किये जाने चाहिये जहां तेल का उपयोग होता हो। परन्तु इसके बावजूद भी हम गोहाटी कारखाने के विकास पर विचार कर रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने हर मामले में सहयोग की शर्तों में सुधार किया है। लागत कम कर दी गई है और जब आवश्यकता हो, अपरिष्कृत तेल आसान शर्तों पर लिया जायेगा। अपरिष्कृत तेल के लाने ले जाने के सम्बन्ध में भी आज दशा पहले की तुलना में बहुत अच्छी है। हम यह नीति निर्धारित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा सभी अपरिष्कृत तेल भारतीय जहाज़ों में, जहां वे उपलब्ध हों, लाया और ले जाया जाये। वास्तव में हम इस काम के लिये भी सहयोग के सम्बन्ध में सोच रहे है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस समय "आयल इन्डिया" की स्थापना हुई थी, उस समय आसान शर्तें रखना आवश्यक हुआ होगा। परन्तु तथ्य तो यह है कि इससे सरकार पर अनुचित भार पड़ता है। सरकार "आयल इन्डिया" को 60 रुपया प्रति टन सहायता देती है। यह एक बड़ी राशि है और भविष्य में ऐसा कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा है कि भविष्य में सभी तेल शोधक कारखाने सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों में जो भी विस्तार हुआ है, वह 1963 से पहले हुआ है। परन्तु पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के गठन के बाद से किसी विस्तार की अनुमति

नहीं दी गई है। हमने यह नीति निर्धारित की है कि भविष्य में जब प्रत्येक क्षेत्र में एक या अधिक तेल शोधक कारखाने बन जायें, विस्तार के प्रश्न पर केवल वितरण की, यदि इसमें लाभ हो, दृष्टि से विचार किया जायेगा।

मद्रास में तेल शोधक कारखाने के बारे में समझौते की शर्तें आसान तथा आकर्षक हैं। आशा है कि यह कारखाना समय पर स्थापित हो जायेगा।

मई/जून में "अधिक रफ्तार डीज़ल तेल" तथा मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में जनता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। हम ने सभी सम्भव उपाय करने का प्रयत्न किया था परन्तु उन कारणों से जो हमारे नियन्त्रण से बाहर थे, कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न हुईं। इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा कम प्राप्त हुई थी। फिर भी हम ऐसे उपाय कर सके हैं जिनके परिणामस्वरूप हम अधिकांश रूप से कठिनाई का सामना करने के योग्य हुये हैं। मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये आंकड़ों में विश्वास नहीं रखते परन्तु हमें समूचे देश से जो आंकड़े मिलते हैं, उनपर ही निर्भर रहना पड़ता है। समूचे भारत के मिट्टी के तेल की कुल आवश्यकता देश के अन्दर उत्पादित तेल की मात्रा से 90,000 टन प्रति मास अधिक है। "अधिक रफ्तार डीज़ल तेल" की कमी 40,000 टन है। हम काफी आयात द्वारा यह कमी पूरी करते हैं। फिर भी मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कमी है परन्तु हमने प्रयत्न किया है कि प्रत्येक क्षेत्र को सम्भरण होता रहे। इसके लिये हम सोवियत संघ का धन्यवाद करते हैं जिसने अल्प-सूचना में ही बहुत बडी मात्रा में तेल उपलब्ध किया है। हमने सभी राज्यों से प्रार्थना की है कि वे स्थिति पर ध्यान रखें। मैंने प्रत्येक मुख्य मंत्री को पत्र लिखे हैं। हमने इस बात का प्रबन्ध किया है कि राज्य सरकारों को प्रति मास विभिन्न क्षेत्रों में सम्भरण सम्बन्धी स्थिति के बारे में सूचना दी जाये।

केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में दो जिम्मेदारियां हैं। पहली यह सुनिश्चित करना है कि स्वदेशी उत्पादन तथा आयातित माल मिला कर देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र को साम्य सम्भरण हो। हमें 27 मई के बाद कोई शिकायत नहीं मिली है। मिट्टी के तेल का मूल्य नियंत्रण आदेश राज्य सरकारों के नियंत्रण में है और हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे, जहां सम्भव हो, इस आदेश को काम में लायें। बिखरे हुये क्षेत्रों में कमी है परन्तु यह गलत वितरण के कारण हुई है। वितरण से केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

इण्डियन आयल कम्पनी इस अवसर पर पूरी उतरी है। उस ने अपने विक्रय में बहुत वृद्धि की है। 1962-63 और 1964-65 के बीच उस ने अपना विक्रय लगभग तिगुणा कर लिया है और पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष के दौरान विक्रय लगभग दुगुना होगा। यह इण्डियन आयल कम्पनी की उन्नति की बहुत ऊंची दर है और वह अपनी उन्नति के लिए बधाई की योग्य है।

इण्डियन आयल कम्पनी के आयात में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष वह 16 लाख टन से अधिक विक्रय करने की योजना बना रही है।

जहां तक मिट्टी के तेल के वितरण का सम्बन्ध है, हाल ही में किये गये दो उपायों से स्थिति में सुधार होगा। हम इण्डियन आयल कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों से मिट्टी का तेल अपने डिपुओं द्वारा बेचने के लिए कह रहे हैं, हम शहरी क्षेत्रों में कोयला भेजने की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिट्टी का तेल भी और अधिक दिया जा सके। हमने यह आदेश जारी करने का निर्णय भी किया है कि मिट्टी के तेल का प्रयोग प्रकाश तथा खाना पकाने के अतिरिक्त और किसी काम में नहीं किया जाये। हम उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल का सम्भरण करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे परन्तु यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाये। यद्यपि इसका अर्थ यह है कि इस से हमारी परेशानियां और कठिनाईयां बढ़ जायेंगी परन्तु उन्हें सहन करना ही पड़ेगा। हम मित्र देशों से सहायता मांग रहे हैं। सोवियत संघ ने हमारी सहायता की है और अब भी करने को तैयार है।

[श्री हुमायून कबिर]

मैं पैट्रो-रसायनिक समूहों के बारे में श्री मालवीय से पूर्णतया सहमत हूं । हम कई पक्षों के सहयोग से देश के लिए लाभकारी शर्तों पर पैट्रो-रसायनिक समूह बनाने की चेष्ठा कर रहे हैं । मूल उद्योगों का एक बड़ा भारी भाग सरकारी क्षेत्र में रहेगा और इस उद्योग का निर्माण करने के लिए हमें निर्बाध विदेशी मुद्रा के रूप में काफी सहायता मिलेगी ।

हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं । रक्षा सेनाओं ने शानदार कार्य किया है । हमें देश के अन्दर उनका प्रोत्साहन बनाये रखने के लिए, यथासम्भव प्रयत्न करना चाहिये तथा उनके लिए उन सेवाओं तथा वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिये जिनकी उन्हें देश की अखण्डता बनाये रखने के लिए आवश्यकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं सभा को इस प्रकार का आश्वासन देने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । यह हर्ष की बात है कि हम डीज़ल तथा मिट्टी के तेल के मामले में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं । मिट्टी के तेल की तथाकथित कमी के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को तेल कम्पनियों द्वारा दिये गये सहयोग के बारे में कुछ बताना चाहिये था । 'कैरेविलि' विमानों को दी गई दोषपूर्ण सप्लाई के कारण हमारी विमान सेवाओं को बहुत हानि पहुंची है । मैं यह बात स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या 'एस्सो' द्वारा दिये गये तेल का कोई रासायनिक विश्लेषण किया गया है । इस कम्पनी के दबाव में न आने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने यह अनुभव किया है कि वह तेल कम्पनियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है ।

तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी मेरी मांग का समर्थन न केवल विरोधी दल के सदस्यों ने, बल्कि शासक दल के सदस्यों ने भी किया है । अब समय आ गया है कि तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जाये ।

जब देश को प्रतिरक्षा के लिए वस्तुओं की आवश्यकता हो तो लोगों को इस सम्बन्ध में कठिनाई सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिये । देश की प्रतिरक्षा के नाम पर हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं परन्तु उपभोक्ताओं के हित को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये और देश की रक्षा के पर्दे में किसी प्रकार के कदाचार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

तेल कम्पनियां न केवल तेल सम्बन्धी समझौतों का उल्लंघन करती हैं बल्कि साधारण व्यक्तियों के साथ किये गये समझौतों का भी उल्लंघन करती है । मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि तेल कम्पनियों ऐसे छोटे मामलों का उल्लंघन न करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के तेल सम्बन्धी नीति के बारे में एक वक्तव्य पर, जो 16 अगस्त, 1965 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 16 सितम्बर, 1965/25 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Thursday, September 16, 1965/Bhadra 25, 1887 (Saka).

GIPN—S4—35 Lok Sabha/66—23-6-66—600